महानगर नई दिल्ली रविवार 15 सितंबर, 2024, रु. 6.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा : मोदी

डोडा की रैली में कहा, वंशवादी राजनीति ने सुंदर क्षेत्र को बर्बाद कर दिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 'इस सुंदर क्षेत्र को नष्ट करने वाली' वंशवादी राजनीति का मुकाबला करने के लिए एक नया नेतृत्व पेश किया है।

जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के अपनी सरकार के वादे को दोहराया और उन्होंने कहा कि नैशनल कांफ्रेंस (नैकां), कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को फिर से सत्ता में ना लाएं।

विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर को होने वाले मतदान से पूर्व प्रधानमंत्री की केंद्रशासित प्रदेश में यह पहली चुनावी रैली थी। इस चरण में जम्मू के तीन जिलों-डोडा, किश्तवाड़ व रामबन और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां व कुलगाम जिलों की 24 सीट पर मतदान होगा।मोदी ने लगभग 45 मिनट के भाषण की शुरुआत रैली में आए लोगों का कश्मीरी भाषा में स्वागत करके की।

उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा, 'इस बार (विधानसभा) चुनाव जम्मू-कश्मीर का भविष्य तय करेगा, जो आजादी के बाद से ही विदेशी ताकतों के निशाने पर रहा है।' मोदी ने कहा कि इतना ही नहीं, वंशवादी बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को डोडा में भाजपा की जनसभा को संबोधित करते हुए।

आरक्षण खत्म करना चाहता है 'शाही परिवार' : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 14 सितंबर (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि हरियाणा ने तय कर लिया है कि भाजपा)राज्य में पांच अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर 'हैट्रिक' लगाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव घोषणा के बाद कुरुक्षेत्र में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि शाही परिवार आरक्षण खत्म करना चाहता है।

-पूरी खबर पेज 14 पर

धरनास्थल पर अचानक पहुंचीं ममता ने डाक्टरों से कहा

मुख्यमंत्री नहीं, आपकी दीदी के तौर पर अंतिम कोशिश करने आई हूं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार जारी गतिरोध के बीच शनिवार की शाम को अचानक कनिष्ठ चिकित्सकों के धरनास्थल पर पहुंचीं और उन्हें मांगों पर गौर करने तथा दोषी मिलने पर किसी को नहीं बख्शे जाने का आश्वासन दिया।

साल्ट लेक में स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने, 'मैं आपसे मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि आपकी 'दीदी' के तौर पर मिलने आई हूं।' मुख्यमंत्री ने कहा, संकट हल करने का यह अंतिम प्रयास है।

इस घटनाक्रम के बाद डाक्टरों ने मुख्यमंत्री को ईमेल भेजकर बैठक की पेशकश की। 32 चिकित्सकों को बैठक के लिए मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया, लेकिन वे वार्ता के सीधे प्रसारण पर अड़े रहे और बातचीत टूट गई। इस दौरान ममता बनर्जी अपने बाकी पेज 8 पर

वार्ता के सीधे प्रसारण पर अड़े डाक्टर, गतिरोध जारी

ममता बनर्जी के आवास पर प्रदर्शनकारी डाक्टर।

ममता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सकों के काम पर लौटने के लिए 10 सितंबर की समयसीमा तय की थी और वह नहीं चाहतीं कि प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को परेशानी उठानी पड़े।

पूर्व प्राचार्य व थाना प्रभारी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 14 सितंबर (ब्यूरो)।

आरजी कर मेडिकल कालेज में महिला डाक्टर की बलात्कार-हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को पूर्व प्राचार्य डा संदीप घोष और टाला थाने के तत्कालीन प्रभारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर दिया। दोनों को रविवार को सियालदह की अदालत में पेश किया जाएगा।

-पूरी खबर पेज 8

फरीदाबाद में रेलवे पुल के नीचे भरे पानी में फंसी कार, बैंक के दो कर्मियों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद इलाके में रेलवे अंडरपास में पानी भरे होने के कारण एक कार के पानी में फंस जाने से उसमें सवार दो बैंक कर्मचारियों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार देर रात हुई। कार सवार पुण्याश्रय शर्मा (48) और विराज (26) गुरुग्राम से ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अपने घर लौट रहे थे। दोनों निजी बैंक के कर्मचारी बताए जा रहे हैं।

वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतकों के सहयोगी कर्मचारी आदित्य ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 31 में विराज द्विवेदी खजांची थे, जबकि इसी शाखा में पुण्याश्रय शर्मा बैंक प्रबंधक के साथ बैंक यूनियन के अध्यक्ष भी थे। आदित्य ने बताया कि शुक्रवार (13 सितंबर) को पूरे दिन बारिश हुई। इसी के कारण विराज द्विवेदी प्रबंधक पुण्याश्रय को एक्सयूवी में छोड़ने के लिए आ रहे थे।

आदित्य ने बताया कि लगभग 11:30 बजे के आसपास बैंक प्रबंधक की पत्नी का फोन आया। उन्होंने पुण्याश्रय का फोन बंद होने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने विराज को फोन किया, लेकिन दोनों के फोन बंद रहे थे। इसके बाद उनकी पत्नी फरीदाबाद में और हम लोग गुरुग्राम में उन्हें खोजने के लिए निकले।

वहीं, अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को हुई बारिश के कारण 'अंडरपास' जलमग्न हो गया था और एहतियात के तौर पर कारों को अंडरपास की तरफ नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही थी। रात करीब 11:50 बजे एसयूवी सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अंडरपास में घुस गई और गहरे पानी में फंस गई जिससे पानी वाहन में घुस गया। पुलिस ने बताया कि राहगीरों ने कार में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकलने की काफी कोशिश की और काफी प्रयास के बाद उन्हें बाहर निकाला गया लेकिन विराज की मौके पर ही मौत हो गई। शर्मा को बादशाह खान सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एनआइटी फरीदाबाद थाना प्रभारी समीर सिंह ने कहा कि उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है। हम पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप देंगे। पुलिस के अनुसार, मना करने और सावधान का बोर्ड लगे होने की अनदेखी से हादसा हुआ।

गुरुग्राम के सेक्टर 31 में विराज द्विवेदी खजांची थे, जबकि इसी शाखा में पुण्याश्रय शर्मा बैंक प्रबंधक के साथ बैंक यूनियन के अध्यक्ष भी थे।

अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को हुई बारिश के कारण 'अंडरपास' जलमग्न हो गया था और एहतियात के तौर पर कारों को अंडरपास की तरफ नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही थी।

हादसे के बाद एनआइटी थाने में खड़ी हुई कार।

जनसत्ता प्रश्नकाल

भाजपा ने खड़ा किया है उत्तर बनाम दक्षिण का टकराव

तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम का कहना है कि बीते लोकसभा चुनाव ने संसदीय राजनीति में दक्षिण भारत की अहमियत बढ़ा दी है। दक्षिण से बढ़े कांग्रेस के सांसदों ने संसद का एकतरफा माहौल बदल दिया है।

पेज 7

बीरभूम : जादू-टोने के शक में दो आदिवासी महिलाओं की हत्या

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में अधेड़ उम्र की दो आदिवासी महिलाओं की पड़ोसियों ने जादू-टोना करने के शक में कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।पुलिस ने बताया कि दोनों आदिवासी महिलाओं के शव मयूरेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिसराह गांव के पास एक नहर में मिले। उसने बताया कि घटना शुक्रवार रात की है और मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मृतका लोदगी किस्कू और डाली सोरेन के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्हें रात में कुछ लोगों ने घरों से बाहर बुलाया और रस्सियों से बांधने के बाद लाठियों से पीटा।

लोदकी किस्कू की बेटी रानी किस्कू ने बताया, 'मेरे चचेरे भाई और अन्य ग्रामीणों ने मेरी मां को घर से बाहर खींच लिया। मेरे दो भाई घर से बाहर थे, इसलिए हम उनको बचा नहीं सके।' एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे जादू-टोना करने का संदेह प्रतीत होता है, 'लेकिन हम अन्य संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर रहे हैं।'

घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंचा और मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसे भीड़ द्वारा कथित पिटाई की एक वीडियो क्लिप मिली है और फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए 15 आरोपियों को बाद में रामपुरहाट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।

मेरठ : तीन मंजिला मकान गिरा, बच्ची समेत तीन लोगों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला मुख्यालय की घनी बस्ती जाकिर कालोनी में शनिवार शाम तीन मंजिला एक मकान भरभराकर गिर गया, जिसमें डेढ़ साल की बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए एवं छह के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत विभाग ने यह जानकारी दी।

विभाग की ओर से कहा गया है कि मकान के अचानक ढहने से मलबे में 12 लोग दब गए। अब तक कुल छह लोगों को मलबे से निकाला बाकी पेज 8 पर

मेरठ में गिरा मकान।

उत्तराखंड में बारिश का कहर, चार की मौत

भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 478 सड़कें अवरुद्ध

जनसत्ता टीम
नई दिल्ली/देहरादून, 14 सितंबर।

उत्तराखंड के कई स्थानों खासतौर से कुमाऊं क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश के कारण चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य लोग लापता हो गए जबकि जगह-जगह भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 478 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गईं। वहीं दिल्ली-एनसीआर में कई जगह रुक-रुक मध्यम और भारी बारिश हुई।

वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में कई जगह रुक-रुक मध्यम और भारी बारिश बाकी पेज 8 पर

गंगा में पानी बढ़ने से वाराणसी में नमो घाट डूब गया।

एनसीआर में कई जगह रुक-रुक मध्यम और भारी बारिश हुई। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से 3.9 डिग्री कम है।

लगातार बारिश से ताजमहल के मुख्य गुंबद से पानी का रिसाव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

उत्तर प्रदेश के आगरा में तीन दिन से लगातार जारी बारिश के कारण ताजमहल के मुख्य गुंबद से पानी का रिसाव हो रहा है, वहीं परिसर स्थित एक उद्यान में पानी भर गया है। ताजमहल परिसर में जलमग्न उद्यान का कथित वीडियो गुरुवार को प्रसारित हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्य गुंबद में सीलन के कारण रिसाव हो रहा है लेकिन इससे इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

आगरा मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद् राजकुमार पटेल ने ताजमहल के मुख्य गुंबद से रिसाव को लेकर कहा कि हमने ताजमहल के मुख्य गुंबद से रिसाव देखा है। उसके बाद जब हमने निरीक्षण किया तो पता चला कि यह सीलन के कारण हुआ और मुख्य गुंबद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमने ड्रोन कैमरे के जरिए मुख्य गुंबद का निरीक्षण किया।

गुरुवार शाम को 20 सेकंड का एक कथित वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ था जिसमें ताजमहल का एक बगीचा बारिश के पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार से मान्यता प्राप्त 'टूर गाइड' के तौर पर कार्यरत स्थानीय निवासी मोनिका शर्मा ने कहा कि ताजमहल आगरा और पूरे देश का गौरव है। उन्होंने कहा कि इससे सैकड़ों स्थानीय लोगों और पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलता है।

शर्मा ने कहा कि इस स्मारक की उचित देखभाल की जानी चाहिए क्योंकि पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए यह एकमात्र उम्मीद है।

चीता परियोजना

भारत ने समझौते को अंतिम रूप दिया, केन्या की मंजूरी का इंतजार

गुजरात के बन्नी घास प्रजनन केंद्र में भी नए चीते रखे जाएंगे

अब केन्या से चीते भारत लाने की तैयारी, बढ़ेगा कुनबा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बाद अब केन्या से चीते भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए देश की चीता परियोजना के तहत भारत ने समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया है। अब इस पर केन्या की मंजूरी का इंतजार है।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस' के महानिदेशक व चीता परियोजना संचालन समिति के सलाहकार एसपी यादव ने एक साक्षात्कार में बताया कि गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में बनाए जा रहे प्रजनन केंद्र के लिए भी चीते केन्या से लाए जाएंगे। इस केंद्र में 16 चीते रखे जा सकते हैं। उन्हें लाने के लिए सर्दी का मौसम आदर्श समय है।

चीता को फिर से भारत में बसाने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने एक विशेष परियोजना शुरू की है। इसके तहत अब तक 20 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। इस पहल को 17 सितंबर को दो साल पूरे हो जाएंगे। सितंबर 2022 में नामीबिया से आठ और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। भारत लाए जाने के बाद इनमें से आठ वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है, जिनमें तीन मादा और पांच नर चीते थे। भारत में 17 शावकों का जन्म हुआ है, जिनमें से 12 जीवित हैं, जिससे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शावकों सहित चीतों की कुल संख्या 24 हो गई है। वर्तमान में इन सभी चीतों को बाड़े में रखा गया है। चीता परियोजना संचालन समिति के मुताबिक, इन चीतों को मानसून के बाद चरणबद्ध तरीके से खुले वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। चीता परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अन्य अफ्रीकी देशों से पांच वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 12-14 चीते लाने की बात कही गई है। चीता परियोजना संचालन समिति के सलाहकार एसपी यादव ने कहा कि केन्या सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दोनों देशों की सरकारें समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगीं।

इस परियोजना के तहत 12 से 16 अतिरिक्त चीतों को चिह्नित कर लिया गया है। यादव ने कहा कि अफ्रीकी देशों में चीतों को अभयारण्यों में रखा जाता है। अगर उनकी आबादी क्षमता से ज्यादा हो जाती है, तो उन्हें या तो दूसरे देशों में भेज दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है।

यादव ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि पिछले महीने पवन नामक चीता की जहर से मौत हो गई थी। उस चीते के मुंह से लार निकलने या नाक से तरल पदार्थ निकलने जैसे जहर के कोई लक्षण नहीं थे।

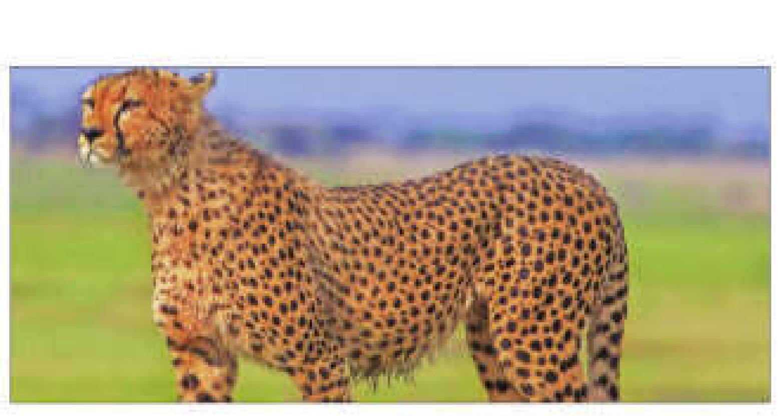

चीता परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अन्य अफ्रीकी देशों से पांच वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 12-14 चीते लाने की बात कही गई है। चीता परियोजना संचालन समिति के सलाहकार एसपी यादव ने कहा कि केन्या सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दोनों देशों की सरकारें समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगीं। इस परियोजना के तहत 12 से 16 अतिरिक्त चीतों को चिह्नित कर लिया गया है।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,hitherto known as Reena,W/o Brijesh Malhotra R/o T-87A, Third Floor,Front Side, Shukkar Bazar Road,Near Bikaner Sweets,Uttam Nagar,D.K Mohan Garden, West Delhi,Delhi-110059,have changed my name and shall hereafter be known as Reena Malhotra. 0040749657-1

I,RAJ KUMAR ABROL,S/O-MANGAL SINGH ABROL,R/O-88B, GREEN APARTMENT,G&JU BLOCK,PITAMPURA DELHI-110034,HAVE CHANGED MY,NAME RAJ KUMAR ABROL AND RAJ KUMAR IS ONE AND SAME PERSONS. 0040749647-8

I,RAKESH KUMAR,S/O-MANGAL SINGH ABROL,R/O-117-B,G&JU BLOCK,GREEN APARTMENT,PITAMPURA, DELHI-110034,HAVE CHANGED MY,NAME TO RAKESH KUMAR ABROL AND RAKESH KUMAR IS ONE SAME PERSONS. 0040749647-9

I AJEET KUMAR MITTAL S/O S SHAMBHU LAL AGRAWAL R/O G-45A 4th-Floor Shakarpur-Laxmi Nagar East Delhi-110092 Name of mine, my-wife and my-minor son has been wrongly written as AJEET KUMAR, SEEMA and ANSH in my minor son ANSH MITTAL aged-13-years in his birth certificate.The actual-name of mine, my-wife and my-minor son are AJEET KUMAR MITTAL, SEEMA AGRAWAL and ANSH MITTAL. 0040749674-5

I,Yeshpal Singh,S/o-Bhanwar Singh,R/o,RZ-1091,Gali-5/7,Main-Sagarpur, Sagarpur, South-West,Delhi-110046,that name of mine and my-father is wrongly-written as Yesh Pal Singh and Bhawer Singh in my-Driving Licence.No.P09082006403636.The actual-name of mine and my-father are Yeshpal Singh and Bhanwar Singh. 0040749674-3

I Deepak Kumar Tulasayan S/o Mahesh Kumar Tulasayan R/o C-415, Gali No-10, Block-C, Majlis Park, Adarsh Nagar, Delhi-110033, have changed my name to Deepak Kumar Tulsyan 0070924223-1

I,ARUSHI D/O RAJAN GARG R/O D-28, Ground Floor,New Multan Nagar, Delhi -110056 have changed my name to ARUSHI GARG. 0040749671-1

I,Azad Singh s/o Sultan Singh,R/o B-60,Sangam Apartment,Plot No.23,Sector-9, Rohini,Delhi-110085,have changed my name to Azad Singh Saini permanently. 0040749668-3

I,Arun Kumar Lakra,S/o Sahib Singh Lakra,R/o A-2/133,Near Govt School,Janakpuri,Delhi-110058,have changed my name to Arun Kumar Takra. 0040749647-3

I,Ankit Mukherjee son of Lal Chand Mukherjee resident of H.No.241,Mir Dard lane MAMC Campus,Darya Ganj,New Delhi-110002,inform that in my documents my father & Mother name wrongly mentioned as Lal Chand Mukharjee and Reena Mukharjee whereas there correct and actual name is Lal Chand Mukherjee & Rina Mukherjee. 0040749671-4

I,Abha and XXX Abha,D/o-Suraj Bhan Vashisht,R/o-205,125,Parkway,Forest-North York,On,M2J1L9,Canada,is also Known as XXX Abha according to Canadian Passport,both names are of one person the same-person. 0040749654-4

I, Satamal Kumar,S/o Parshuram,R/o-149, E-16,Rama Vihar, Delhi-110081,have changed my name to Satmal Kumar. 0040749668-5

I, Mohd Arman S/O Chand Mohd R/O Type -II/47, Schedule-b, President Estate, New Delhi-110004, aged 33 years have changed my name and shall hereafter be known as Mohammad Arman for all future purposes. 0070924211-1

I,NASIR AHMED S/O ABDUL GAFOOR R/O 1784, MOHAMMADIN ELAICHI MARG,TURKMAN-MARG,DELHI-110006. HAVE CHANGED MY NAME TO MOHD NASIR. 0040749668-1

I, Jyoti,W/o Nittin Kumar,R/o-59, 2nd Floor,Pocket-28, Sector-24,Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Jyoti Sharma 0040749668-4

I, Iqbal Singh S/o Harbhajan Singh, R/o-23/86A, Tilak Nagar, Delhi-110018, have changed my name to Iqbal Singh Wadhwa. 0040749618-4

I, Durga Kumari C/o Binod Kumar Singh R/o Flat No.12080, Block-E1, Tower-5, Ghaziabad, UP-201016 have changed my minor son's name from KARTIK to KARTIK KUMAR for all purposes. 0040749618-3

I, Durga Kumari C/o Binod Kumar Singh R/o Flat No.12080, Block-E1, Tower-5, Ghaziabad, UP-201016 have changed my minor daughter's name from IRSHITA to IRSHIRA KUMARI for all purposes. 0040749618-2

I,hitherto known as Brijesh Kumar,S/o Har Charan,R/o T-87A,Third Floor,Front-Side, Shukkar Bazar Road,Near Bikaner Sweets, Uttam Nagar,D.K Mohan Garden, West Delhi,Delhi-110059,have changed my name and shall hereafter be known as Brijesh Malhotra. 0040749657-3

I,Yogesh Kumar Chandak S/o Govind Prakash Chandak R/o A-79, Sector-72, Noida(U.P) inform that Yogesh Chandak & Yogesh Kumar Chandak both are same & one person. The correct name is Yogesh Kumar Chandak for all future purposes. 0040749608-1

I,VISHAL JYOTI SHARMA,D/O YUDHISHTAR LAL SHARMA, R/O E -116,KARAMPURA,NEW DELHI-110015,HAVE CHANGED MY NAME TO VISHAL JYOTI. 0040749647-2

I,SURENDER SINGH,S/O AMAR SINGH,R/O RZT-44 ARJUN NAGAR NIHAL-VIHAR NANGLOI DELHI-110041,have changed my name to SURINDER SINGH. 0040749647-4

I,SUMIT KUMAR S/o-Sohan prasad, house no-E 139, kusumpur pahari vasant vihar new delhi 110057, changed my name to SUMIT. 0040749647-1

I,SUMAN W/O SANJAY CHAUDHARY R/O B-8/169,Ground Floor,Sector-3,Rohini,Delhi-110085 have changed my name to SUMAN CHAUDHARY. 0040749671-2

I,SHARAD TONDARE,S/O-NAGNATH BHADRAPA TANDARE, R/O-TOWER-12A,FLAT 1403, LOTUS BOULEVARD,SECTOR-100,NOIDA MAHARISHI-NAGAR, GAUTAMBUDH-NAGAR,U.P-201304,have changed my name to SHARAD NAGNATH TONDARE,for all,future purpose. 0040749668-6

I,SANJAY KUMAR S/O PREM LAL,R/O-B-8/169,Ground Floor,Sector-3,Rohini,Delhi-110085,have changed my name to SANJAY CHAUDHARY. 0040749671-3

I,Rajesh Kumar Sethi,S/o Roop Chand Sethi,R/o,DG-2/227-C,2nd-Floor Vikas-Puri, Tilak-Nagar,West-Delhi,Delhi-110018,that name of mine has been wrongly-written as RAJESH SETHI in my-minor daughter Srishti Sethi aged-14-years in her School-Records.The actual-name of mine is Rajesh Kumar Sethi. 0040749674-2

I,PUNIT KASANA,S/o-DHANRAAJ,R/o-A-62,HARSHWAROP-COLONY, NEAR-POST OFFICE, FATEH-PUR BERI,SOUTH-DELHI,DELHI-110074,declare that name of mine and my-father has been wrongly-written as CHARAT SINGH and DHANRAJ in The actual-name of mine and my-father are PUNIT KASANA and DHANRAAJ,which may be amended-accordingly. 0040749647-7

I,PARVEEN ALWADHI S/O SURAJ PARKASH R/O 8/27 East Punjabi Bagh New Delhi 110026, have changed my name to PARVEEN KUMAR. 0040749674-1

I,Om Parkash Sarraf Alias Om Prakash,S/O-Brj Mohan Lal Sarraf,R/O-D-1102,La Lagune Apartments,Golf-Course Road-Gurgaon,Sector-54, Haryana-122011,have changed my name to OM PRAKASH SARAF,permanently. 0040749668-8

I,Mohammad Nasir,S/o-Mohammad Saddiq,R/o-8847, Pul-Bangash,Naya-Mohalla, Near Azad-Market-Chowk, Azad Market,Delhi-110006, That in my-Passport my-father name has been wrongly-written as Mohammad Saddeeq instead of Mohammad Saddiq,which may be amended accordingly. 0040749668-7

I,MEENU KAUSHIK W/O SUNIL KUMAR R/O HNO.47,MAIN CHOWK,NEAR JUGAL MEDICAL-STORE,BUDHPUR,DELHI-110036.HAVE CHANGED MY NAME TO MEENU SHARMA. 0040749668-2

I,MEENA W/o Gopal Das,R/o- I-447, Shastri Nagar,Meerut,U.P have changed my name to MEENA DEVI,for all,future purposes. 0040749647-5

I,Huma W/o Dilshad Mansoori R/o-55-A,Gali No.4A,Aram Park, Shastri Nagar,East Delhi,Delhi-110031,have changed my name to Huma Mansoori. 0040749654-7

I,Dilshad S/o Nasruddin Mansoori R/o-55-A, Gali.No. 4A,Aram-Park, Shastri Nagar, East Delhi,Delhi-110031,have changed my name to Dilshad Mansoori. 0040749654-3

I,Dharmvir Singh,S/o Ghasi Ram R/o Village-Sehlanga, Jhajjar ,Haryana-124106,have changed my name to Dharmvir Singh permanently. 0040749647-6

I,DEEPAK SAINI,S/O-SHRI RAM AVTAR SAINI,R/O-3953,GALI AHIRAN MANISHA,RAM-CHOWK,BAHADUR-GARH ROAD,DELHI-110006.DECLARE THAT HAVE CHANGE MY-SON'S NAME NAKSH SAINI TO MADHAV SAINI IN EVERY GOVERNMENT-DOCUMENT AS WELL AS HIS SCHOOL-RECORDS,FOR FUTURE. 0040749654-1

I,hitherto known as Eshant,S/o Brijesh Malhotra,R/o T-87A,Third Floor,Front-Side, Shukkar Bazar Road, Near Bikaner Sweets, Uttam Nagar,D.K Mohan Garden,West Delhi,Delhi-110059,have changed my name and shall hereafter be known as Eshant Malhotra. 0040749657-2

मैं, दिव्याबेन जगजीवनकुमार शर्मा पत्नी, वरुण शर्मा निवासी प्रतीक विस्टेरिया, टावर एन, एन–606, सेक्टर–77, नोएडा–यूपी ने अपना नाम दिव्याबेन जगजीवनकुमार शर्मा से बदलकर दिव्या जगजीवनकुमार शर्मा कर लिया है। भविष्य के सभी उद्देश्य के लिए दिव्या जगजीवनकुमार शर्मा के नाम से जाना जाएगा।

मैं, वरुण अशोक शर्मा पुत्र स्वर्गीय अशोक शर्मा निवासी प्रतीक विस्टेरिया, टावर एन, एन–606, सेक्टर–77, नोएडा–यूपी ने अपना नाम वरुण अशोक शर्मा से बदलकर वरुण शर्मा कर लिया है। अब से भविष्य के सभी उद्देश्य के लिए वरुण शर्मा के नाम से जाना जाएगा।

I, Aanchal Galav W/o Nitin Jain,R/o W-2/21, DLF Phase-3,Gurgaon (Haryana),inform that Aanchal as given name and Galav Surname. 0040749654-2

I, ANJALI D/o Khyat Singh Rawat R/o H. No.- 3/60, Second Floor, Trilok Puri, East Delhi, Delhi-110091 have changed my name to ANJALI RAWAT. 0070924222-1

I Vijay Kumar Chaliha S/o Sh. Rampal Chaliha R/o Chaliha House No.58/1, Kalu Sarai, Near Houz Khas Metro Station Gate No.4, New Delhi - 110016 have changed the name of my minor daughter from Stuti to Stuti Chaliha for all purposes. 0040749611-6

I Sunil Kumar S/o Sh .Bant Ram Bainsla R/o A-63, 3/F, South Extension Part-II, New Delhi -110048 have changed my name to Sunil Choudhary Bainsla for all purposes. 0040749611-5

I SANDEEP GHANGAS S/O BHAGAT RAM R/O-1186 Sector-46,Gurgaon Haryana-122001 changed my-minor daughter's name AASHI SEERAT GHANGAS to AADISHREE GHANGAS aged-9-Years. 0040749674-4

I Premvati W/o Shri Chand Jain R/o 1930, Gali Lahswa, Near Amar Sushil Oushdalay, Bazar Sita Ram, Delhi-110006, have changed my name to Premvati Jain 0070924219-1

PUBLIC NOTICE

IT IS FOR THE INFORMATION TO PUBLIC AT LARGE THAT MY CLIENT SHRI ARUN GOEL S/O SHYAM BABU GOEL R/O 2114/4E, GALI NO. 6, PREM NAGAR, PATEL NAGAR, DELHI 110008, IS THE ABSOLUTE AND LAWFUL OWNER OF PROPERTY BEARING NO. 2114/4E, GALI NO. 6, PREM NAGAR, PATEL NAGAR, DELHI 110008. ANY PERSON CLAIMING THE OWNERSHIP, TITLE, RIGHT, INTEREST OR LOAN, MORTGAGE OF THE SAID PROPERTY SHALL BE A ILLEGAL, UNLAWFUL, FRAUD, AND MY CLIENT IS NO WHERE INVOLVED, AND NONE CAN CREATE THIRD PARTY INTEREST IN SAID PROPERTY. ALL ARE CAUTIONED NOT TO DEAL WITH THIS PROPERTY IN ANY MANNER WHATSOEVER. MY CLIENT WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY ACT DONE CONTRARY TO LAW.

Sd/-
Satish Kumar
Advocate
Ch. No. C-184, C.L. Joseph Block
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

My client Parveen Bano W/o Late Sh. Mohd. Azam, R/o C- 113, Shaheen Bagh, Abul Fazal Enclave Part-II, Jamia Nagar, New Delhi-110025 has severed her all relation and disown/debar her son Mohd. Hashim from her all movable-immovable properties and assets. My client shall not be responsible for any acts and deeds done by him.

Sd/-
SAJID ALI
ADVOCATE
CHAMBER NO. 786, LAWYERS BLOCK SAKET COURT NEW DELHI-110017

PUBLIC NOTICE

It is Hereby Intimated To All Concerned That Our Client, Colonel Sumesh Seth, A Veteran And His Wife Mrs Deepali Seth Are The Legal Owners And Occupants Of House No. E-1045 (Top Floor) Alongwith Roof Rights, Saraswati Vihar, New Delhi-110034 Having A Built Up Area Of Approximately 199.83 Sqm (239 Sq Yds/2151 Sqft) By The Virtue Of A Written Family Agreement Made In Jan 2011 And After Having Paid The Full And Final Consideration Amount To The Previous Owner, Mr. Gian Chand Nandrajog. It Has Come To Our Notice Through Reliable Sources That Some Unscrupulous Elements Are Trying To Dispose Off The Said Property Fraudulently. Please Note That Anybody Entering Into Any Kind Of Agreement To Sell Or Sale/purchase Of This Property, Our Client Reserves His Right To Initiate Necessary Criminal Proceedings Against Any Such Person(s) At Their Cost And Risk, Strictly In Accordance With Law. Our Client Is Available At Mobile Numbers 7703888326 & 9873553221 For Seeking Any Clarification Of Any Kind, Whatsoever.

COL MUKUL DEV (Advocate)
Off. N-1101, Sispal Vihar, Sohna Road, Sector-49, Gurugram-122018

PUBLIC NOTICE

To be it known that I GAURAV KUMAR S/o Shri J.B. Bhoria & late Smt. Kaushal Bhoria, R/o Flat No. 07, Nav Jagriti Apartments, C-11, Vasundhara Enclave, Delhi, say that my mother late Smt. Kaushal Bhoria was the owner of Flat No. 07 (HIG Simplex) in Nav Jagriti Apartments, C-11, Vasundhara Enclave, Delhi–110096. The ORIGINAL SHARE CERTIFICATE AND POSSESSION LETTER, in respect of the above said Flat are lost and F.I.R/N.C.R. to this effect have been lodged vide NCR No 924/2011 Dated. 09-05-2011 and L.R No: 2117599/2024 Dated. 14-09-2024 MOBILE No. 7020549613

PUBLIC NOTICE

MAY IT BE KNOWN TO GENERAL PUBLIC NOTICE THAT my clients **Ms. Kawaljeet Kaur** & **S. Harpreet Singh** both residing with their children at WZ-F-21B, Sant Garh, Gali No. 6, Near Sehgal Clinic, Tilak Nagar, New Delhi-110018, do hereby severe all their social relations with their sister-in-law **(Bhabhi) Ms. Manmeet Kaur** & **S. Paramjeet Singh** both residing with their children at WZ-36B, Krishna Puri, Gali No. 16, Near Durga Mandir, Tilak Nagar, New Delhi-110018 from their family as all of them are not only disobedient, disrespectful but their behaviour and conduct is apparently unlawful towards the family & other family members of my clients. Whosoever will be dealing or having social relations with them w.e.f. today onwards will be dealing at his/her own risk, cost and consequences. My clients shall not be liable for any of his act, deal and transaction etc. with immediate effect.

Sd/-
BALDEV RAJ
Advocate
Ch. No. Y-1, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

व्यक्तिगत

I,NAZAN BEGUM,W/O-TANVIR AHMED SHAH,R/O-1709,SECOND-FLOOR,KUCHA-DAKHNI RAI,PATAUDI HOUSE,DARYAGANJ,NEW-DELHI-02,HEREBY INFORMED THE GENERAL-PUBLIC THAT I HAVE-LOST THE ORIGINAL-CONVEYENCE DEED OF MY-MOTHER MRS KHURSHEED BEGUM IN RESPECT OF FLAT.NO. 103-B,DDA-FLATS, MATA SUNDRI-ROAD,NEW DELHI-02,SOMEWHERE AND THE SAME IS NOT TRACEABLE ANYBODY-FOUND THE SAME PLEASE RETURN AT ABOVE ADDRESS.FOUNDER WILL BE GIVEN HANDSOME REWARD.(NAZAN-BEGUM) PH.NO.8586998674. 0040749674-7

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला मीना पत्नी श्री गोबिंद राम निवासी सी–377, रीसेटलमेंट कालोनी, ख्याला, वेस्ट, नई दिल्ली–18 के द्वारा अपने पुत्र हिमांशु व उसकी पत्नी कृतिका को नियंत्रण से बाहर होने के कारण अपनी समस्त चल व अचल संपत्तियों से बेदखल करते हुए सभी सामाजिक पारिवारिक रिश्ते–नाते सम्बन्ध–विच्छेद कर लिए हैं। आज के बाद मेरी मुवक्किला व परिवार का कोई सदस्य इनके क्रिया–कलापों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हस्ता./–
अतुल कुमार गुप्ता
एडवोकेट
चै.नं. बी–93, बी.जी.एस. ब्लॉक,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली–54

PUBLIC NOTICE

KNOW all men by this presents that my clients namely **DEVENDER S/O SH. JAGDISH PRASAD & SMT. ROSHANI DEVI W/O SH. DEVENDER KUMAR BOTH R/O H.NO.99, BEHIND TAIL MILL, VILLAGE BEGUMPUR, DELHI-110086.** They have disowned and debarred their son namely **MR. MAYANK** from all their movable and immovable properties, due to their bad behavior, misconduct and disobedient attitude and my client's have severed all relations from him. If their son anybody deals with any other person shall do at his/her/their own risk in future and my clinet shall not be responsible.

PARKASH CHAND
Advocate
Enrl. No. D/9065/2019

PUBLIC NOTICE

I, AMIT KUMAR s/o UMED SINGH r/o Pole No.-14, VPO Kakrola Village, Delhi-110078 have changed my minor (aged 16 years) son's name from **LAVANYA to LAVANYA AHLAWAT** for allpurposes.

PUBLIC NOTICE

It is for general information **I, GURNEET TEJ D/O SH. SURINDER SINGH TEJ EX. WIFE OF MAJOR P. VIPIN MENON R/O D-1/90, RABINDRA NAGAR, AMRITA SHERGILL MARG, NEW DELHI-110003** declare that I got divorce from my husband **MAJOR P. VIPIN MENON** vide court decree HMA Case RT No. **RT-235/29.09.2016** dated **02.11.2016,** further I remarried to **SH. MANASHVI KUMAR S/O SH. SHASHI KANT SINGH** vide marriage certificate No. **90740000008957** dated **09.09.2024.** Henceforth I have changed the name of my minor daughter from **AANYA MENON** aged 14 years and she shall hereafter be known as **AANYA** for all future purposes.

PUBLIC NOTICE

Our Client Shri Harbhajan Singh S/o Late Sh. Surain Singh R/o 26/1,New Sahib Pura, MBS Nagar, Tilak Nagar, West Delhi, Delhi-110018 has sever his relations with his son Hardev Singh aged about 44 years and has disown him from his all movable and immovable properties as he is out of my control. Any person dealing with him shall be doing his/her own risks and consequences thereof.

HARMINDER SINGH BANGA (ADVOCATE)

The Indian EXPRESS Classifieds

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)

Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST

PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090967, 22235837, **PREET VIHAR :** AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR :** PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22518890, 22549890

WEST

JANAKPURI : TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, **KAROL BAGH (REGHARPURA) :** K R ADVERTISERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, **KARAMPURA :** GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI NAGAR :** MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, **MOTI NAGAR :** UMA ADVERTISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, **RAMESH NAGAR :** POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, **TILAK NAGAR :** SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI :** AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL

CHANDNI CHOWK : RAMNIWAS ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT PLACE :** HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH

TIS HAZARI COURT : SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748 **KINGWAY CAMP :** SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, **PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION) :** MAHAN ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, **PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) :** PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH

CHATTARPUR : A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI :** ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, **MALVIYA NAGAR :** POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, **YUSUF SARAI :** TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, **FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) :** PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, **FARIDABAD :** SURAJ ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810680954, 9953526681, **GURGAON :** SAMBODHI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399, **GURGAON :** AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, **NOIDA (SEC. 29) :** RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, **NOIDA (SEC. 65) :** SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, **NOIDA (SEC. 58) :** JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 **GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA) :** TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)

FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

For CAD enquiries please contact :
ROHIT JOSHI 9818505947, **ABHINAV GUPTA** 9910035901
For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail : delhi.classifieds@expressindia.com

प्रपत्र फॉर्म 'ए' सार्वजनिक सूचना

[भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के तहत]

एएसपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण		
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एएसपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	07.09.2006
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है :	आरओसी दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70109DL2006PTC153308
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय का पता (यदि कोई)	पंजी. कार्यालयः एफ–93ए ग्राउंड फ्लोर गली नंबर 7, जगतपुरी, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110051 कार्यालयः प्लॉट नंबर 130011, गोगल रोड, परतापुर, पराग मिल्क प्लांट के पास, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250103
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भन तिथि	12.09.2024 (आदेश 13.09.2024 को प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तारीख	11.03.2025
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	नीरज कुमार IBBI/IPA-001/IP-P-02368/2021-2022/13586
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	ई–47, IARI पूसा कैम्पस, नई दिल्ली–110012 ई-मेलः njhaandco@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	205, अंसल इंपीरियल टॉवर, सी–ब्लॉक सामुदायिक केंद्र, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028 ईमेलः cirp.aspg@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26.09.2024
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप–धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई हो	निर्धारित नहीं
13.	दिवाला पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाना गया (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	निर्धारित नहीं
14.	(क) प्रासंगिक फॉर्म यहां उपलब्ध हैं: (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads भौतिक पताः जैसा कि ऊपर कॉलम 10. में दिया गया है।

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, **नई दिल्ली बेंच-VI** ने दिनांक **12.09.2024** को **एएसपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड** की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है (आदेश 13.09.2024 को प्राप्त हुआ)।

एएसपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से कहा जाता है कि वे सबूत के साथ अपने दावे **26.09.2024** को या उससे पहले अंतरिम समाधान पेशेवर को प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करें।

वित्तीय ऋणदाता अपने दावे प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या 12 में सूचीबद्ध किसी एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय ऋणदाता को फॉर्म सी ए में [वर्ग निर्दिष्ट करें] के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 में सूचीबद्ध तीन दिवालियापन पेशेवरों में से अपने प्रतिनिधि की पसंद का संकेत देना होगा।

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

हस्ताक्षर/–
नीरज कुमार
अंतरिम समाधान पेशेवर
IBBI/IPA-001/IP-P-02368/2021-2022/13586

दिनांकः 14.09.2024
स्थान : दिल्ली

PUBLIC NOTICE

TO BE IT KNOWN THAT I SANJAY GUPTA S/O AK GUPTA R/O HOUSE NO.2, CLUB MARG DLF PHASE-1, GURUGRAM HARYANA IS THE OWNER OF ENTIRE BUILT-UP PROPERTY HOUSE NO.2, CLUB MARG DLF PHASE-1 GURUGRAM HARYANA-122002, I HAVE LOST/ MISPLACED MY PROPERTY ORIGINAL DLF PLOT BUYER AGREEMENT NUMBER-20111 DATED 13TH SEPTEMBER 1984 OF THE ABOVE SAID PROPERTY AN FIR TO THIS EFFECT HAS BEEN LODGED IN POLICE STATION, VIDE LR NO.No: LR No:2116504/2024 Date:13/09/2024 ANY PERSON CLAIMING ANY RIGHT, INTEREST HAVING ANY OBJECTON MAY RIGHT/CONTACT WITH ABOVE NAMED PERSON AT ABOVE ADDRESS/MOBILE NO.**7982651477**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

The Indian EXPRESS Classifieds

EXPRESS EDUCATION

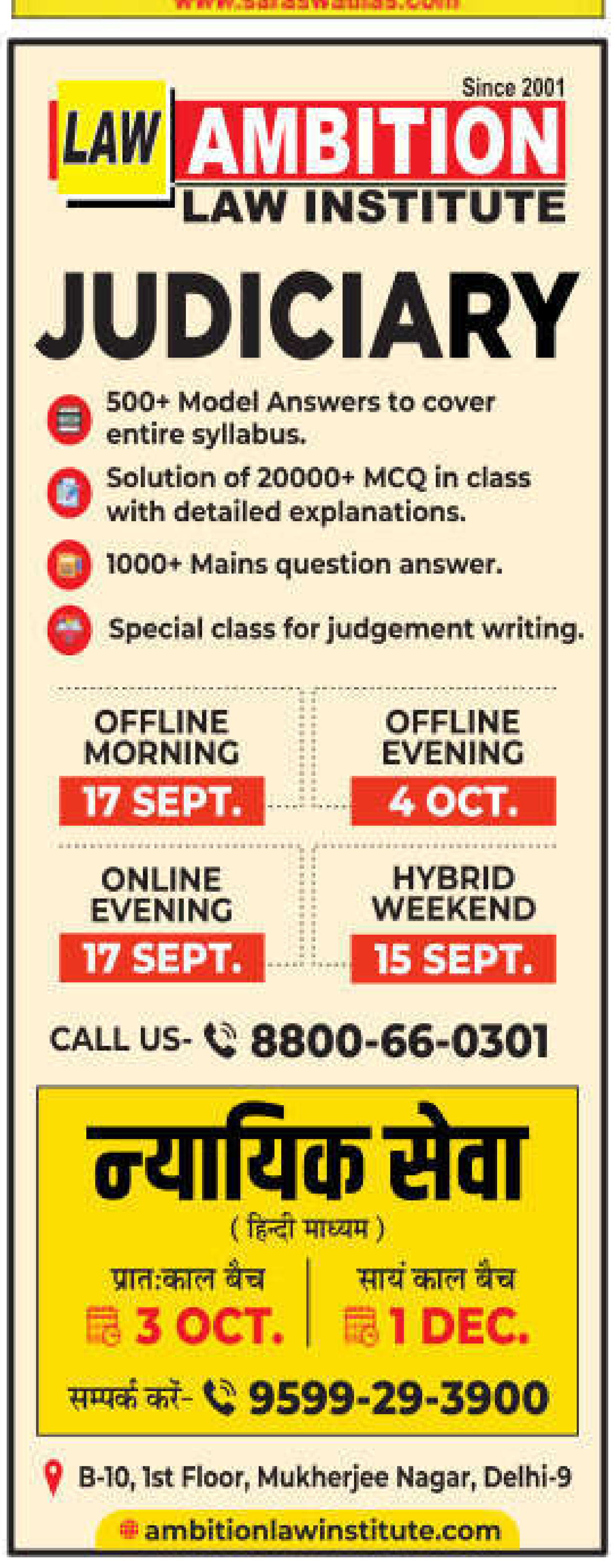

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service (M): 9212665841, 9212008155

Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)
In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana

HDFC Bank
Vs.
Arun Singh

CNR NO: PBLD03-037365-2021
COMA/12920/2021

Notice To: 1) Arun Sigh Address- S/o Sohan Lal R/o 148 New Krishna Vihar Colony Jwala Nagpur Rampur U. P 244901

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordnary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-10-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)
In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana

Ajay Sharma
Vs.
Anket Sharma

CNR NO: PBLD03-047912-2021
COMA/15651/2021

Notice To: 1 aniket sharma address- h. no 19, khasra no 423 aditya green city jalalawad dhuhal ghaziabad uttar pradesh 2nd address kh no 410 meerut road dhuhal ghaziabad u.p 3rd address plot no 11, kh, no 21 near tyagi tea shop mainapur industrial area ghaziabad uttar pradesh

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordnary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-10-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड — कब्जा–सूचना

पंजीकृत कार्यालयः 27BKC, C–27, G–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई– 400051
शाखा कार्यालयः 7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर –125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

जबकि, अधोहस्ताक्षरी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का 54) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जैसा कि नीचे दिया गया है, संबंधित उधारकर्ताओं को उसी की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उसके सामने उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन संबंधित तिथियों से भविष्य के ब्याज, लागत और शुल्क के साथ इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ताओं का विवरण, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि, कब्जे की तारीख नीचे दी गई हैं:

उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	अचल संपत्ति का विवरण	1. कब्जे की तिथि 2. कब्जे का प्रकार 3. मांग सूचना दिनांक 4. देय राशि रु.
श्रीमती उर्मिला देवी (सह–उधारकर्ता की हैसियत से तथा उधारकर्ता श्री जगदीश प्रसाद (अब दिवंगत) की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में) पताः 43/480 सी महल सिकंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश–282007 और मेवा जगदीश [illegible] आगरा–282007 और दोनों का पताः मकान संख्या 43/492 ग्राम सिकंदरा बहिश्ताबाद, पुरानी आबादी महल सिकंदरा, लोहामंडी वार्ड, तहसील और जिला आगरा–282007 ऋण खाता संख्याः 461 बीएलएसएल 242148 ऋण राशिः रु. 5,20,000/– (पांच लाख बीस हजार रुपये मात्र)	मकान संख्या 43/492, ग्राम सिकंदरा बहिश्ताबाद, पुरानी आबादी महल सिकंदरा, लोहामंडी वार्ड, तहसील और जिला आगरा–282007 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा [illegible] सीमाः पूर्वः [illegible] बन्धककर्ता का नामः श्रीमती उर्मिला देवी	1. 11.09.2024 2. सांकेतिक कब्जा 3. 03.06.2024 4. रु.5,50,716.36/– (पांच लाख पचास हजार सात सौ सोलह और छत्तीस पैसे मात्र) दिनांक 10.09.2024 तक बकाया और देय है और दिनांक 11.09.2024 से पूर्ण भुगतान होने तक लागू ब्याज।
ताज मोहम्मद और शवाना बेगम, दोनों का पताः 403 कृष्णा इंटर कॉलेज रोड, वार्ड नंबर 5, सादाबाद हाथरस, सादाबाद, उत्तर प्रदेश – 281306 और मजीद खान का पताः कृष्णा इंटर कॉलेज रोड, सादाबाद, हाथरस, सादाबाद, उत्तर प्रदेश, 281306 और एच/एल्स [illegible] रोड सादाबाद, हाथरस, सादाबाद, उत्तर प्रदेश, 281306 ऋण खाता संख्याः 461बीएलएसएल1376582 ऋण राशिः रु.9,20,000/– (नौ लाख बीस हजार रुपये मात्र)	खसरा नंबर 133 के भाग, प्रकाश सेवा के पीछे सदन, सादाबाद वार्ड नं. 5, कस्बा और तहसील सादाबाद, जिला महामाया नगर में स्थित अचल संपत्ति का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 99.60 वर्ग गज या 83.27 वर्ग मीटर है, जिसका माप पूर्व से पश्चिम –20 फीट, उत्तर से दक्षिण –44.10 फीट है, सीमाः पूर्वःखानदान जंगजीत सिंह का खेत, पश्चिमः प्रथम पक्ष का प्लॉट, उत्तरः दूसरे पक्ष का प्लॉट, दक्षिणः रास्ता 10 फीट चौड़ा। नाम बंधककर्ता का नामः शाहिना बेगम	1. 11.09.2024 2. सांकेतिक कब्जा 3. 06.05.2024 4. रु.10,16,720.48/– (रुपये दस लाख सोलह हजार सात सौ बीस एवं अड़तालीस पैसे मात्र) दिनांक 11.09.2024 तक बकाया और देय है और दिनांक 11.09.2024 से पूर्ण भुगतान से लागू ब्याज के साथ देय।
शहनाज शाह पताः बिरियाडांडा ककराला, बदायूं, उत्तर प्रदेश, 243637 और एलीमेन्स सायर कांट्रेक्ट सिस्टम और मोहम्मद साहिल, दोनों का पताः वार्ड [illegible] बदायूं, उत्तर प्रदेश, 243601 ऋण खाता संख्याः PW80PBL2917775, ऋण राशिः रु.7,71,340/– (सात लाख इकहत्तर हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र)	मोहल्ला नाहर खान सराय नई बस्ती, अमर ज्योति नई बस्ती के पास तहसील और जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश 243601 में स्थित अचल संपत्ति मकान नंबर 385 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश जिसका माप 42.91 वर्ग मीटर है, सीमाः पूर्वः श्री/जो अफसाना अली वाला, पश्चिमः मुसर्रफ का घर, उत्तरः 7 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः मुसर्रफ की दीवार। बंधककर्ता का नामः मोहम्मद साहिल	1. 14.09.2024 2. सांकेतिक कब्जा 3. 29.12.2023 4. रु.7,98,787.51/– (सात लाख अट्ठानवे हजार सात सौ सत्तासी और इक्यावन पैसे मात्र) 10.09.2024 तक और देय और भुगतान योग्य सहित 11.09.2024 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री अरविंद कुमार तिवारी, श्री शैलेन्द्र सिंह, (मोब – +919810698044/+919811638929) से संपर्क करें।

दिनांकः 15.09.2024, स्थानः उत्तर प्रदेश — कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के लिए, प्राधिकृत अधिकारी

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएनः [illegible]
पंजीकृत कार्यालयः [illegible] गुरुग्राम (हरियाणा)–122002

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

[illegible]

उधारकर्ता/आवेदक/गारंटर/बंधककर्ता का नाम	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि और राशि	बंधक संपत्ति का विवरण
(1) अंकित पुत्र संजय पाल (उधारकर्ता) (2) आंचल पत्नी अंकित (सह–उधारकर्ता) दोनों उपरोक्त निवास स्थान – एच. न. 3 गली नं. 1, सी.पी.एस. एन्क्लेव बेहटा हाजीपुर लोनी, गाजियाबाद यू.पी. 201102 ऋण संख्या LXNOP1923-240026799 ऋण अनुबंध तिथि– 28.07.2023 ऋण राशि: [illegible]	09–सितंबर–24 रु. 11,36,200/– (रुपये ग्यारह लाख छत्तीस हजार दो सौ मात्र) 09–सितंबर–2024 के अनुसार + 10–सितंबर–2024 से भावी ब्याज और अन्य शुल्क	[illegible]
(1) संजय पुत्र सुरेश दत्त (उधारकर्ता) (2) कविता शर्मा पत्नी संजय शर्मा (सह–उधारकर्ता) (3) शिवम शर्मा पुत्र संजय शर्मा (सह–उधारकर्ता), उपर्युक्त सभी निवासी– एफ–256, पूर्वी अवधान नगर लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश – 201002, साथ ही– एफ–85, पूर्वी अवधान नगर, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201002 ऋण सं.: LXJNP02918-190002849 – LXGGN03022-230018720	09–सितंबर–24 रु. 9,98,186/– और रु. 1,96,721/– कुल रु. 11,94,907/– (रुपये ग्यारह लाख चौरानबे हजार नौ सौ सात मात्र) 09–सितं–2024 के अनुसार + 10–सितं–2024 से भावी ब्याज और अन्य शुल्क	[illegible]
ऋण अनुबंध तिथि– 29–10–2018 और 12–08–2022, ऋण राशि : रु. 1005090/– + 240000/–		
(1) सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय अजय कुमार (सह–उधारकर्ता सह कानूनी वारिस) निवासी– मकान संख्या 205, टीला, शाहबा. जपुर, लोनी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201102 ऋण संख्या : स्स्ए02717.180000332 ऋण अनुबंध तिथि : 28.06.2017 ऋण राशि : रु. 492037/–	09–सितंबर–24 रु. 3,82,639/– (रुपये तीन लाख बयासी हजार छह सौ उनतालिस मात्र) 09–सितंबर–2024 के अनुसार + 10–सितंबर–2024 से भावी ब्याज और अन्य शुल्क	[illegible]
(1) हरि सिंह पुत्र जयपाल सिंह (उधारकर्ता) (2) प्रकाशी पत्नी हरि सिंह (सह–उधारकर्ता) दोनों निवासी– खोड़ा, प्रकाश नगर, गाजियाबाद–201309 ऋण सं.: LXNOI03622-230023066 ऋण अनुबंध तिथि : 28.02.2023 ऋण राशि : रु. 5,10,000/–	11–सितंबर–24 रु. 4,82,423/– (रुपये चार लाख बयासी हजार चार सौ तेईस मात्र) 11–सितंबर 2024 के अनुसार + 12–सितंबर–2024 से भावी ब्याज तथा अन्य शुल्क	[illegible]
(1) विनय भाटी पुत्र प्रकाश भाटी (उधारकर्ता) (2) राजेश पुत्र प्रकाशवीर (सह–उधारकर्ता) (3) प्रकाश वीर पुत्र रघु राज सिंह (गारंटर), उपरोक्त सभी निवासी– कुराली 90, बल्लभगढ़, फरीदाबाद हरियाणा 121101, ऋण सं.: LXLAX03223-240032844, ऋण अनुबंध तिथि : 20.01.2024, ऋण राशि : रु. 15,00,000/–	09–सितं.–24 रु. 11,03,648/– (रुपये ग्यारह लाख तीन हजार छह सौ अड़तालीस मात्र) 09–सितम्बर–2024 के अनुसार + 10–सितम्बर–2024 से भावी ब्याज और अन्य शुल्क	[illegible] संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो जिसकी माप 180 वर्ग गज (6 मरले) है जो कि कित्ता 4 रकबा 17 कनाल 15 मरले का 6/355वां हिस्सा है, जो खेवट/खाता संख्या 180/235 एम. नं. 17 किला संख्या 1/3, 3/1, 8, 11/1 मिन. पर, मौजा कुराली उप–तहसील दयालपुर जिला फरीदाबाद हरियाणा में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– आम रास्ता, पश्चिम– देपू का प्लॉट, उत्तर– राजवीर का घर, दक्षिण– रणवीर का घर।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 15 सितं. 2024

प्राधिकृत अधिकारी, श्री गौरव त्रिपाठी, मोबाइल– 9650055701
उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Rajbir Kaur JMIC , Bathinda

M/s Cormandel International Ltd
Vs.
M/s Sri Balaji Krishi Sewa Kendra

CNR NO: PBBT03-002963-2022
Next Date: 14-10-2024
NACT/1624/2023

Publication Issued To: M/s Sri Balaji Krishi Sewa Kendra Through Its Prop./auth Person Ranju Shukla No S/584 Backside Raj Kamal Cinema, Premi Nagar Barabanki UP 225001

In above titled case, the accused could not be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 Cr. P.C. through publication is hereby issued against accused. It is ordered that accused is directed to appear or through counsel on 14-10-2024 at 10:00 a.m. if accused failed to appear before this court despite his proclamation through publication, then accused may be declared as proclaimed offender for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Bathinda

JMIC Bathinda

पुलिस ने केजरीवाल के आवास के बाहर आतिशबाजी पर प्राथमिकी दर्ज की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने पर उनके स्वागत में उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित उनके आवास के बाहर आतिशबाजी करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच में जुटी है।

दरअसल, दिल्ली सरकार ने सोमवार को सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राजधानी में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर आतिशबाजी करने के मामले में सिविल लाइंस पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री के शुक्रवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद उनके आवास के बाहर पटाखे फोड़े गये थे। आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए थे। यह प्राथमिकी एक उपनिरीक्षक की शिकायत पर दर्ज की गई है, जो शुक्रवार शाम को 6, फ्लैग स्टाफ रोड पर तैनात थे। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि शाम छह बजकर 45 मिनट पर कानून-व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए 6, फ्लैग स्टाफ रोड पर तैनात था। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और पटाखों की आवाज सुनी, जिससे प्रदूषण फैल रहा था। अधिकारी ने बताया कि जब वह देखने गए तो पटाखे फोड़ रहे लोग भाग गए। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी। वह पांच महीने से अधिक समय तक तिहाड़ जेल में बंद रहे।

भाजपा ने साधा निशाना : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई के समय कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे जलाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर रवि शंकर लेन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर भी पटाखे जलाए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने 10 सितंबर को प्रदूषण को लेकर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया था। दिवाली जैसे त्योहारों पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई का जश्न के नाम पर लाखों रुपए के पटाखे जला दिए गए।

हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की

सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कनाट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तथा सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद कहा था कि भगवान हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है।

आज पार्टी के नए मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नए मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसको लेकर शनिवार से ही मुख्यालय में तैयारियां शुरू हो गईं थी।

दरअसल, आप सुप्रीमो ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने से पहले दो जून को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इससे पहले उन्हें मई में शीर्ष अदालत ने दो जून तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

पार्टी की मानें तो हरियाणा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच रविवार को कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। हरियाणा से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि केजरीवाल के बाहर आने के बाद पार्टी को नई ऊर्जा मिली है।

आशा किरण आश्रय गृह मामला

उपराज्यपाल ने अधिकारी को हटाने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा)।

आश्रय गृह के चिकित्सा अधिकारी को हटाने के लिए प्रशासक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
आशा किरण आश्रय गृह में जुलाई में, 14 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया था।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच रपट के आधार पर आशा किरण आश्रय गृह के चिकित्सा अधिकारी को हटाने के लिए प्रशासक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। राज निवास के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

आशा किरण आश्रय गृह में जुलाई में, 14 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया था। अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट में आश्रय गृह में अत्यधिक संख्या में लोगों को रखा जाना, चिकित्सकों की अनुपस्थिति, संक्रामक रोग, साफ-सफाई न होना, चिकित्सा रेकार्ड नहीं रखा जाना और पेयजल की कमी जैसी अनियमितताओं के अलावा अन्य मुद्दे सामने आए हैं।

उन्होंने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने रपट के निष्कर्षों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव से निवारण, सुधार और निगरानी के लिए कहा है। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने आश्रय गृह के प्रशासक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और जांच में बाधा डालने के लिए चिकित्सा अधिकारी को हटाने का निर्देश दिया है।

केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं संग की बैठक

नई दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा)।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के साथ शनिवार को बैठक की। 'आप' ने हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर वार्ता विफल होने के बाद अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

केजरीवाल द्वारा बुलाई गई बैठक में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, संदीप पाठक और राघव चड्ढा के अलावा दिल्ली के मंत्रियों गोपाल राय, आतिशी और सौरभ भारद्वाज समेत अन्य लोग मौजूद थे। 'आप' के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) पाठक ने बताया कि बैठक में हरियाणा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान की योजना बनाई गई। पाठक ने कहा कि 'आप' हरियाणा में व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है।

गीता कालोनी में पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

हत्या करने के बाद शव के पास कुछ देर तक बैठा रहा आरोपी। पुलिस ने गिरफ्तार किया।

शाहदरा जिले के गीता कालोनी इलाके में अवैध संबंध के शक में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के दौरान आरोपी ने अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। हत्या करने के बाद आरोपी करीब 20 मिनट तक अंदर शव के पास बैठा रहा। बेटी के दरवाजा खटखटाने के बाद जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को मौके ही दबोच लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 5.54 बजे गीता कालोनी थाना पुलिस को एक सूचना मिली। फोन करने वाले ने पुलिस को बताया कि एक महिला के पति ने अपनी पत्नी का गला काट दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। पुलिस को मौके पर महिला खून से लथपथ मिली और उसका पति उसके पास ही बैठा हुआ था। पुलिस महिला को लेकर अस्पताल गई, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में पुलिस को पता चला कि वह अपने पति से अलग रह रही थी। शुक्रवार को वह अपनी पत्नी को देखने के लिए आया था। इसी दौरान उसने उसकी गला काटकर हत्या कर दी।

चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार दो कार भिड़ीं, चार लोग घायल

नई दिल्ली, 14 सितंबर (ज.सं.)।

चाणक्यपुरी थाना क्षेत्र में दो कारों की आमने-सामने की टक्कर में चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह दुर्घटना शुक्रवार देर 1:27 बजे हुई थी। यह घटना चाणक्यपुरी में साइमन बोलिवर मार्ग के पास घटी।

पुलिस ने बताया कि घायलों की पहचान अंकित (21), चांद कुब्बा (31), वासु गर्ग (18) और राम नरेश (58) के तौर पर की गई है। घटना के बाद घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

मैथिली-भोजपुरी अकादमी, दिल्ली
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार)
आपूर्ति भवन, आराम बाग, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055
दूरभाष: 9911177300, 8851772293,
ई-मेल : mbacademy@rediffmail.com

पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना
(2024-2025)

मैथिली-भोजपुरी भाषा और साहित्य सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत अकादमी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के रचनाकारों से साहित्यिक, सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ में उपयोगी रचनाओं की पांडुलिपियों के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। इस योजना के अंतर्गत शोध प्रबंध, संपादित अथवा संकलित की गयी पांडुलिपियों स्वीकार्य नहीं होगी।

- इस योजना के अंतर्गत 40 वर्ष तक की आयु के ही रचनाकारों की पांडुलिपियों पर विचार किया जाएगा। 40 वर्ष से अधिक आयु के रचनाकारों एवं वरिष्ठ लेखकों की कंक्ल उन्हीं पांडुलिपियों पर विचार किया जाएगा जा सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कृष्ट एवं अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी।
- प्रकाशन राहयोग योजना का उद्देश्य नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन देना है। अतः नवोदित लेखकों, जिन्हें अकादमी से अभी तक कोई आर्थिक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, की पाण्डुलिपि पर आर्थिक सहयोग देने में प्राथमिकता दी जायेगी।
- एक लेखक की केवल एक ही विधा की पांडुलिपि स्वीकार्य होगी। पाण्डुलिपि पुरतक के रूप में प्रकाशित होने पर लगभग 125 पृष्ठ की सामग्री होना आवश्यक है।
- पांडुलिपि टंकित या स्वच्छ हस्तलिखित एवं राजिल्द हो जिसमें लेखक के नाम का उल्लेख केवल मुखपृष्ठ पर हो। फोटोस्टेट प्रति स्वीकार्य नहीं होगीं।
- पांडुलिपि निर्धारित प्रपत्र पर भरकर दिल्ली में रहने के आवास प्रमाण-पत्र एवं पाण्डुलिपि के. मालिक एव अप्रकाशित होने के प्रमाण-पत्र संलग्न कर अकादमी में जमा करनी होगी।
- यदि किसी रचनाकार को पाण्डुलिपि पर अकादमी द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रकाशन सहयोग प्रदान किया गया है तो उनकी पाण्डुलिपि स्वीकार्य नहीं होंगी।

इस संबंध में नियमावली एवं आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अकादमी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

DIP/SHABDARTH/CLASSIFIED/0179/24-25 ह०/ सचिव

बिक्री सूचना
कॉर्पोरेट देनदार का नाम: इंडिग्लोबल ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत)
सीआईएन: U51909DL2015PTC283752
कॉर्पोरेट देनदार का पंजीकृत कार्यालय: निचला तल, 108 बी, मदनगीर गांव, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110062
समाधान प्रोफेशनल : मोहम्मद नाज़िम खान
पता: एमएनके हाउस, 9ए/9-10, बेसमेंट ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली - 110008
ईमेल: nazim@mnkassociates.com,cirp.indiglobal@gmail.com;
मोबाइल नं.:+91 9818156340
ई-नीलामी
व्यापार के सामान्य क्रम से बाहर परिसंपत्तियों की बिक्री
आईबीबीआई (सीआईआरपी विनियमन), 2016 के विनियमन 29 के अंतर्गत
नीलामी की तिथि और समय: 03 अक्टूबर 2024 दोपहर 03:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सीआईआरपी विनियम), 2016 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के विनियम 29 के अंतर्गत बिक्री के लिए नोटिस जारी किया जाता है, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ III द्वारा नई दिल्ली में सीपी (आईबी) संख्या 34/एनडी/2020 में दिनांक 13 मई, 2021 के आदेश के तहत नियुक्त समाधान प्रोफेशनल के कब्जे में है और सार्वजनिक नोटिस जारी होने की तारीख यानी 22.09.2024 से (7) सात दिनों के भीतर रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए है। परिसंपत्ति की बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म **https://ncltauction.auctiotiger.net** के माध्यम से की जाएगी।

बिक्री के लिए वाहन का मूल विवरण:

वाहन का विवरण	मद	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी राशि (रु.)	बोली वृद्धि राशि (रु.)
हुंडई वेरना कार मॉडल नं. VERNAVTVTSX 1.6 पंजीकरण सं.: HR26DS9230 पंजीकरण तिथि : 20/07/2012 पंजीकरण की वैधता : 19.07.2027 तक रंग : क्रिस्टल व्हाइट ईंधन : पेट्रोल	1	1,36,800 (रुपये एक लाख छत्तीस हजार आठ सौ मात्र)	12,500 (रुपये बारह हजार पांच सौ मात्र)	1,250 (रुपये एक हजार दो सौ पचास मात्र)

वाहन का स्थान: एमएनके हाउस, 9ए/9-10, बेसमेंट, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, 110008
ई-नीलामी की शर्तें और नियम इस प्रकार हैं:
1. ई-नीलामी "जहां है, जैसा है, और जो है यही है" के आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. संभावित बोलीदाता से ईओआई प्राप्त होने पर, समाधान प्रोफेशनल **24.09.2024** को योग्य बोलीदाता की घोषणा करेगा।
3. योग्य बोलीदाता 28.09.2024 तक नीलामी के तहत परिसंपत्तियों का निरीक्षण या ड्यू डिलिजेंस कर सकता है और फिर, उसे **28.09.2024** तक ईएमडी जमा करना होगा।
4. समाधान प्रोफेशनल कॉर्पोरेट देनदार के हित में परिस्थितियों के अनुसार नीलामी की तारीख बढ़ा सकता है।
5. संपूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज जिसमें परिसंपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा और वचनबद्धता प्रपत्र, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं, जिसे समाधान प्रोफेशनल से निम्नलिखित ईमेल पर लिखकर मांगे जा सकते हैं: **cirp.indiglobal@gmail.com, nazim@mnkassociates.com**
6. अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक बोलीदाता 28.09.2024 को सोमवार से शनिवार तक किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 11:00 **बजे से शाम** 05:00 **बजे** के बीच अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं।

हस्ता./-
मोहम्मद नाज़िम खान, समाधान प्रोफेशनल
इंडिग्लोबल ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईआरपी के तहत)
दिनांक:14-09-2024
स्थान: दिल्ली
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-18/10207

फॉर्म संख्या INC-26
[कंपनियों (संविधान) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन
केंद्र सरकार के समक्ष उत्तरी क्षेत्र
कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (संविधान) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में
तथा
M/S LYCON BUILDCON PRIVATE LIMITED,
जिसका पंजीकृत कार्यालय 11, शहजादा बाग एफ एंड वी मार्केट इंदरलोक, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110035 में स्थित है, के मामले में।
--------- **याचिकाकर्ता**

सामान्य जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी केंद्र सरकार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी के ज्ञापन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए विशेष प्रस्ताव के अनुसार वार्षिक आम बैठक / असाधारण आम बैठक में 06/09/2024 को 11, शहजादा बाग एफ एंड वी मार्केट इंदरलोक, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110035 पर पारित किया गया था, ताकि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ROC- दिल्ली से राज्य उत्तर प्रदेश, ROC- कानपुर में स्थानांतरित किया जा सके। किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित परिवर्तन से हित प्रभावित हो सकता है, वह MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अपनी आपत्तियां, जिनमें उसके हित की प्रकृति और विरोध के कारणों का उल्लेख हो, एक हलफनामे के साथ उत्तरी क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 पर इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर भेज सकते हैं। साथ ही एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर, जो नीचे दिया गया है, भेजी जानी चाहिए।

कंपनी की ओर से
LYCON BUILDCON PRIVATE LIMITED
के लिए और उसकी ओर से
ललित पुंढीर (प्रतिज्ञाकर्ता 1)
अनीता सिंह (प्रतिज्ञाकर्ता 2)

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-II, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001, ईमेल : agmcl4.50950@sbi.co.in, फोन : 011-43179555

कब्जा सूचना (नियम 8(1) देखे) (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-II, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग,** 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001 का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार **मैसर्स गोपिश फार्मा लिमिटेड, रजि. पता. एच-1455, सेक्टर-एच, डीएसआईआईडीसी, नरेला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली - 110040 और: रोपड़ रोड, ढेरोवाल बैरियर के पास, गांव बेहरामपुर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश -174101 और निदेशक / गारंटर अर्थात श्री रतीश गोयल (निदेशक और गारंटर) पुत्र श्री रवि प्रकाश गोयल पता: ए-96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, श्री रवि प्रकाश गोयल (निदेशक और गारंटर) पुत्र श्री हरि देव गोयल, पता: ए-96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 और श्रीमती संतोष गोयल (निदेशक एवं गारंटर) पत्नी श्री रवि प्रकाश गोयल, (निदेशक एवं गारंटर) पता: ए-96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 को** एक मांग नोटिस दिनांक **13.02.2019 को जारी** किया था जिसमें उल्लेखित राशि **रू 34,02,71,153.53 (रु. चौंतीस करोड़ दो लाख इकहत्तर हजार एक सौ तिरेपन्न और पैसे तिरेप्पन मात्र) दिनांक 30.06.2024 तक और उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि सहित** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार / गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार / गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **दिनांक 10.09.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते राशि रू 34,02,71,153.53 (रु. चौंतीस करोड़ दो लाख इकहत्तर हजार एक सौ तिरेपन्न और पैसे तिरेप्पन मात्र) दिनांक 30.06.2024 तक और उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति पर मालिकाना हक: मैसर्स गोपीश फार्मा लिमिटेड
फैक्ट्री भूमि और भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 5 बीघा, 5 बिस्वा, खतौनी सं. 2/14, खसरा सं. 336/19 कितात, गांव-बेहरामपुर हदबस्त 104, परगना और तहसील नालागढ़, जिला- सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स गोपीश फार्मा लिमिटेड के नाम पर है।

दिनांक: **10-09-2024** स्थान: नालागढ़, हिमाचल प्रदेश हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

सूचना
सुश्री श्वेता झा, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के निवासी जो सक्षम इन्फोटेक के पार्टनर हैं, वे श्री रश्मिन खाण्डेकर, एकाकी मध्यस्थ के समक्ष जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवादी सं. 3 हैं। मध्यस्थता कार्यवाही में अगली तिथि 23.12.2024 है। सुश्री श्वेता झा से अनुरोध है कि इस मामले के विस्तृत विवरणों की जानकारी के लिये श्री कौस्तुभ राय; अधिवक्ता, जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी लिमिटेड (kaustubh.rai@apogeelawoffices.com; +91-8765629295) से सम्पर्क करें।

Criminal Court, Ludhiana
(complaint-138 negotiable instrument act)
In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
m/s UP money ltd
Vs.
Suman Rana
CNR NO: PBLD03-011786-2021
COMA/7770/2021
Notice To: 1) Suman Rana
Address- D/o Deep Chand R/o H. No 20 Block No 6 Jundla Karnal 132001
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordnary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-10-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

ग्रेटर नोएडा शाखा, परी चौक, अंसल प्लाजा मॉल के पीछे, तुगलपुर गाँव, ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0-201301

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदार एवं गारंटर को मांग सूचना।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार एवं गारंटर का नाम	प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
उधारकर्ता: श्री श्रवण प्रसाद पुत्र बच्चूलाल (1) जेजी-22, तीसरी मंजिल कृष्णा मंदिर के पास, खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर, दक्षिणी दिल्ली-110017. (2) सी-2008, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर-16, नोएडा एक्सटेंशन, केबीएनओडब्ल्यूएस अपार्टमेंट, ग्रेटर नोएडा पश्चिमी-201009.	**अचल सम्पत्ति:** **सम्पत्ति का ब्यौरा:** सी-2008, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर-16, नोएडा एक्सटेंशन केबीएनओडब्ल्यूएस अपार्टमेंट ग्रेटर नोएडा पश्चिम-201009. क्षेत्रफल परिमाप 1940 वर्गफीट	13(2) सूचना की तिथि: 07/05/2024 नॉन परफॉर्मिंग एसेट : 30/04/2024 रू.35,88,652.33 (पैंतीस लाख अठासी हजार छः सौ बावन रूपये एवं तैंतीस पैसे मात्र) अनुसूची ए में उल्लिखित लागू ब्याज दर पर भावी ब्याज, जो राशि पर सूचना की तिथि 07.05.2024 से पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की तिथि तक नियत आकस्मिक व्ययों, शुल्कों और लागतों, इत्यादि सहित है।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक: 14/09/2024 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान: ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पता: 32-बी, सेक्टर-62, नोएडा-201307

गिरवी रखे गए सोने के आभूषण/गहने/सिक्के की सार्वजनिक नीलामी हेतु सूचना

एतद्द्वारा निम्नलिखित स्वर्ण ऋण उधारकर्ताओं, उनके कानूनी वारिसों, स्वर्ण आभूषणों / गहने / सिक्कों के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों और आम जनता के ध्यान में लाया जाता है कि बैंक द्वारा बार-बार अनुस्मारक / नोटिस के बावजूद, निम्नलिखित उधारकर्ता बैंक को अपना बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं।

एतद्द्वारा यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि यदि वे अपने संबंधित स्वर्ण ऋण खातों (अद्यतन ब्याज और सभी लागत शुल्क / व्यय सहित) में अपनी सभी बकाया राशि **दिनांक 27.09.2024 तक** जमा करने में विफल रहते हैं, तो **दिनांक 30.09.2024 को सुबह 11.00 बजे** उनके गिरवी रखे हुए सोने के आभूषण / गहने / सिक्के सार्वजनिक नीलामी के लिए शाखा परिसर में रखे जाएंगे। इसके लिए, संबंधित उधारकर्ताओं को हुई किसी भी असुविधा या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में किसी भी उधारकर्ता के किसी भी आरोप या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) शाखा प्रबंधक के पास निर्धारित समय / तिथि से पहले बयाना राशि के रूप में जमा करना चाहिए। अंतिम बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 48 घंटे के भीतर पूरी राशि बैंक में जमा करने में सक्षम होना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर बैंक में जमा उनकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। बैंक बिना कोई कारण बताए नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि इस प्रकार निकाली गई बोली का मूल्य कम या अपर्याप्त पाया जाता है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो बैंक उपरोक्त निर्धारित नीलामी की तिथि, समय या स्थान को बदलने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्र. सं.	खाता संख्या	नाम	पता	सोने का सकल वजन (ग्राम में)	नीलामी का स्थल / शाखा का नाम
1	780577610000336	इमरान पुत्र शमीम अहमद	मकान नंबर-1002, लादम सराय, मजोई रोड, तहसील और जिला-संभल यूपी-244302	40.051	बैंक ऑफ इंडिया संभल शाखा
2	780577610000339	राधिका गुप्ता पत्नी तरूण गुप्ता	कल्कि मंदिर के पास, कोट पूर्वी संभल, तहसील और जिला-संभल यूपी-244302	94.800	बैंक ऑफ इंडिया संभल शाखा
3	780577610000340	राधिका गुप्ता पत्नी तरूण, गुप्ता	कल्कि मंदिर के पास, कोट पूर्वी संभल, तहसील एवं जिला-संभल यूपी-244302	62.200	बैंक ऑफ इंडिया संभल शाखा
4	780577610000018	मलखान सिंह पुत्र सरदार सिंह	बेलीपुर, चक संभल, तहसील एवं जिला-संभल यूपी-244302	55.350	बैंक ऑफ इंडिया संभल शाखा

तिथि: 14.09.2024 शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया

खबर कोना

एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया विशेष अभियान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र द्वारा शनिवार को विक्रेताओं/कब्जाधारियों के संबंध में मिल रही शिकायतों को संज्ञान लेते हुए उपायुक्त (दक्षिण क्षेत्र) के नेतृत्व में संयुक्त अस्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान आइआइटी गेट से राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान तक पूरे हिस्से में फुटपाथों और सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि लंबे समय से विक्रेताओं/कब्जाधारियों को वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही बाधित करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इनके अलावा पाया गया गया कि विक्रेता फुटपाथों को अवरुद्ध करते हुए और सड़कों पर सामान बेच रहे थे। इस तरह की गतिविधियों से आम जनता को काफी असुविधा हो रही थी।

वाहन चोरी करवाने वाला गिरफ्तार, चार नाबालिग भी पकड़े गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

जगतपुरी थाना पुलिस ने नाबालिगों से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चार नाबालिग समेत पांच आरोपियों को दबोचा है। आरोपी की पहचान राशिद मार्केट निवासी उवेश उर्फ ओवैसी (22) के तौर पर की गई है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने शनिवार को बताया कि अभी हाल में ही 6-12 सितंबर को वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। शिकायत के आधार पर टीम ने इन आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई। घटनास्थल के आसपास लगे 36 सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद टीम को इस गिरोह के बारे में सूचना मिली। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नशे का आदि होने की वजह से एक गिरोह बना कर वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। आरोपी ओवैसी जानबूझ कर नाबालिगों से वाहन चोरी करवाता था। बाद में चोरी के वाहनों से आरोपी झपटमारी और लूटपाट की वारदात को भी अंजाम देते थे।

दिल्ली के चिड़ियाघर में शामिल हुए गैंडा और बाघ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

दिल्ली के चिड़ियाघर में आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत असम से एक गैंडा, एक बाघ और एक जोड़ी ह्हासनिबिल्ह पक्षी को लाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इन वन्य जीवों को 21 दिनों तक प्राणी उद्यान के पृथक-वास में रखे जाने के बाद, लोग इन्हें देख सकेंगे। असम राज्य प्राणी उद्यान-सह-वनस्पति उद्यान से इन जीवों को लाए जाने की पुष्टि करते हुए दिल्ली प्राणी उद्यान के निदेशक संजीत कुमार ने बताया कि एक बाघ, एक गैंडा और एक जोड़ी ह्हासनिबिल्ह पक्षी को आज सुबह यहां लाया गया। चिकित्सा जांच के बाद इन सभी को पृथक-वास में रखा गया है।

केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी से उनके आवास पर मुलाकात की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाला मामले में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के एक दिन बाद शनिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा और उनके सहयोगी बिभव कुमार भी मौजूद रहे। आप ने मुलाकात के बाद केजरीवाल दंपति और सिंघवी दंपति की तस्वीर सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट की। पार्टी ने लिखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी ने देश के सबसे नामी-गिरामी वकीलों में शुमार अभिषेक मनु सिंघवी से उनके आवास पर मुलाकात की।

दिल्ली में बेखौफ बदमाश, दो की हत्या

गीता कालोनी में अज्ञात हमलावरों ने दुकानदार की गोली मार कर की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

गीता कालोनी थाना क्षेत्र में शनिवार शाम अज्ञात हमलावरों ने एक दुकानदार की गोली मार कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रानी गार्डन, गीता कालोनी निवासी शाहिद उर्फ आशू (20) के तौर पर की गई है। वारदात की जानकारी पुलिस को शनिवार शाम करीब 6:41 बजे मिली थी। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवगृह में रखवा दिया है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है।

शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने शनिवार को बताया कि शाहिद अपने परिवार के साथ रानी गार्डन में रहते थे। वह इलाके में बी-64, में कपड़ों की धुलाई (ड्राइ क्लीनिंग) का दुकान चलाते थे। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच में पता चला कि शाम करीब 5:49 बजे घटना के बाद पास के अस्पताल में शाहिद को भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया था। चिकित्सकों ने बताया कि शाहिद को गोली लगी है।

किराए को लेकर चल रहा था विवाद

उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मकान मालिक मुन्ना के साथ शाहिद का किराए को लेकर विवाद चल रहा था। मुन्ना ने शाहिद को दुकान खाली करने के लिए कहा था। पर वह नहीं खाली कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आशंका है कि गोलीबारी करने वाला मुन्ना के दोनों बेटे चांद और इमरान हो सकते हैं।

रुपए के लेनदेन में दुकान में घुस कर युवक की चाकू से वार कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

नरेला औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को तीन लोगों ने दुकान में घुस कर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुमित (24) के रूप में की गई है।

वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवगृह में रखवा दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि वारदात के पीछे रुपए का लेनदेन कारण हो सकता है। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दिव्या खत बीज दुकान के पास कुछ लोग एक दुकान के अंदर घुस गए हैं और चाकू से एक शख्स पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। पुलिस को मौके पर दुकान मालिक सुमित को लहूलुहान अवस्था में पास के अस्पताल में भर्ती कराया, चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगे की जांच में पुलिस को पता चला कि सुमित गांव मंडोरा सोनीपत का रहने रहने वाले थे।

बाद में मौके से क्राइम और एफएसएल की टीमों ने भी साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि घटना के समय वह अपनी दुकान पर बैठा था।

***वारदात* से पहले आरोपियों की दुकान पर शख्स से हुई थी कहासुनी। *नरेला* औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।**

अंतरराज्यीय बसों के लिए नया 'स्टैंड शुल्क' लागू

नई दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) से चलने वाली बसों के लिए नया 'स्टैंड शुल्क' शनिवार आधी रात से लागू किया गया। राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि संशोधित शुल्क केवल 'फास्टैग' आधारित प्रणाली के माध्यम से वसूला जाएगा और बिना फास्टैग के किसी भी बस को टर्मिनल परिसर में प्रवेश करने और परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अधिकारियों ने कहा, राज्य सरकार की बसों, एआइटीपी और अन्य निजी बसों (वैध परमिट के साथ) के अंतरराज्यीय संचालन के लिए नया 'स्टैंड शुल्क' 14-15 सितंबर की मध्यरात्रि से लागू होगा। यह कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां स्थित आइएसबीटी से चलने वाली ऐसी सभी बसों पर लागू होगा। वर्तमान में निजी बसों से अधिक किराया लिया जाता है, जिस वजह से वे आइएसबीटी परिसर के बाहर सड़कों पर अनाधिकृत रूप से वाहन पार्क करके यात्रियों को बैठाती हैं, जिससे सड़क पर भारी यातायात जाम की स्थिति पैदा होती है और राज्य द्वारा संचालित बसों को यात्री/राजस्व की हानि होती है। परिवहन विभाग इन बस टर्मिनल का उपयोग करके आने-जाने वाली अंतरराज्यीय बसों के लिए नई दरें और मानदंड अधिसूचित करेगा।

जूस में गंदगी मिलाकर बेचने का आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद, 14 सितंबर (भाषा)।

गाजियाबाद जिले में लोनी बार्डर की पुलिस ने एक जूस विक्रेता को जूस में पेशाब मिलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी जूस विक्रेता आमिर ने बताया कि पेशाब करने के लिए आस-पास कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने इसे प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा किया था। पुलिस के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ता मनीष सूर्यवंशी और उसके साथियों की शिकायत पर जूस विक्रेता आमिर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि उसके नाबालिग साथी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार शाम को आमिर को रंगे हाथों उस समय पकड़ लिया जब वह जूस में कथित तौर पर पेशाब मिला रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी जूस विक्रेता ने पुलिस को बताया कि पेशाब करने के लिए आस-पास कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने इसे प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा किया था। पुलिस ने उसकी दलील को सिरे से खारिज कर दिया है।

अपर पुलिस आयुक्त भास्कर वर्मा ने बताया कि इस हरकत के बारे में सुनकर वहां मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने आरोपी आमिर की पिटाई कर दी।

विदाई

नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से एम्स अस्पताल तक दिवंगत पार्टी नेता सीताराम येचुरी की अंतिम यात्रा के दौरान मार्च करते हुए माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य और अन्य लोग।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर रहेगा जारी, आज भी छाए रहेंगे बादल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में जारी बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान हल्की बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है।

दिल्ली एनसीआर में रुक रुककर हुई बारिश के बाद राजधानी का मौसम सुहाना बना हुआ है। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री कम 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह विभिन्न क्षेत्रों में हल्की वर्षा के बाद एनसीआर के कई क्षेत्रों में शाम को भी बारिश हुई। लगातार बारिश होने से लोगों को ठंड का भी एहसास हो रहा है। इसके अलावा से उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिल रही है। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री कम 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 3.9 डिग्री कम है। रविवार के लिए मौसम विभाग ने हल्की बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है।

अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी का 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) शाम 4 बजे 62 के साथ 'संतोषजनक' श्रेणी में दर्ज किया गया।

***शनिवार* को दिल्ली एनसीआर में रुक रुककर हुई बारिश के बाद राजधानी का मौसम सुहाना बना हुआ है।**

***दिल्ली* का अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री कम 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।**

अदालत ने कब्रिस्तान के निर्माण पर वक्फ बोर्ड-सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बोर्ड पर ईदगाह रोड स्थित कब्रिस्तान में कथित बिक्री और अवैध निर्माण पर चुप रहने का आरोप लगाया गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्राधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा तथा मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को तय की। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति पर किया गया कोई भी निर्माण न्यायालय के आगामी आदेशों के अधीन होगा तथा निर्देश दिया कि स्वामित्व के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।

याचिकाकर्ता मोहम्मद मजहर अहमद ने दलील दी कि ईदगाह रोड स्थित कब्रिस्तान अहाता बदरुद्दीन एक अधिसूचित वक्फ संपत्ति है।

***अदालत* ने प्राधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को तय की।**

सौ से अधिक आपराधिक वारदातों में संलिप्त तीन बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

सागर पुर थाना पुलिस ने सौ से अधिक आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों ने पिछले 12 सितंबर को एक महिला के साथ झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद टीम ने करीब पांच सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर इन तीनों बदमाश को दबोचा। पुलिस ने बताया कि इनकी पहचान बापरोला निवासी अवधेश कुमार उर्फ भोमिया (28), पालम गांव निवासी एलेक्जेंडर (24) और मोहन गार्डन, उत्तम नगर निवासी (27) के तौर पर की गई है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने केटीएम मोटरसाइकिल, एक अन्य मोटरसाइकिल और चार तोला सोना के अलावा मास्टर चाभी बरामद की है।

दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने शनिवार को बताया कि इन आरोपियों ने पिछले तीन सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था।

आठ करोड़ रुपए के आभूषण की लूट का मामला

साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

हरियाणा के एक आभूषण विक्रेता से मध्य दिल्ली में दो साल पहले की गई आठ करोड़ रुपए की लूट का साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान झज्जर, हरियाणा निवासी अजीत सिंह (46) के तौर पर की गई है। आरोपियों ने पुलिस की वर्दी में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि, स्थानीय पुलिस ने लूटपाट में शामिल छह आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया था।

अपराध शाखा के उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि हरियाणा के अंबाला शहर निवासी सोमवीर की शिकायत के बाद 31 अगस्त 2022 को लूट का मामला दर्ज किया गया था।

गोयल ने बताया कि जब सोमवीर और जय माता दी लाजिस्टिक्स में काम करने वाले उनके सहयोगी जगदीश सैनी दिल्ली में सोने और हीरे के आभूषण पहुंचाने जा रहे थे, तभी यह घटना हुई। पहाड़गंज में देश बंधु गुप्ता रोड के पास चार लोगों ने उन पर हमला किया। लुटेरों में से एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, उन्होंने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और आभूषण लूट लिए।

***पुलिस* से बचने के लिए आरोपी द्वारका इलाके में बस चालक के तौर पर कर रहा था काम। अपराध शाखा की टीम ने आरोपी को दबोचा, पुलिस की वर्दी में आरोपियों ने की थी लूटपाट।**

दिशा-निर्देश | दिल्ली पुलिस ने राजधानी के नागरिकों से की अपील, नियम नहीं मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

विदेशी किराएदारों को लेकर 24 घंटे में सूचना दें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

दिल्ली पुलिस की ओर से शनिवार को विदेशी नागरिकों को किराए पर संपत्ति देने वाले मकान मालिक के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने मकान मालिक, होटल संचालक, होटल मालिक और किसी अन्य प्रकार की संपत्ति को लेकर नागरिकों से अपील की है कि इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस थाने को दें और किराए पर लेने वाले विदेशी नागरिकों का सत्यापन जरूर कराएं। ऐसा नहीं करने पर दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने शनिवार को कहा कि अकसर देखा जाता है कि विदेशी नागरिकों को किराए पर रखा जाता है। पर उनकी पूरी जानकारी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के साथ साझा नहीं किया जाता। विदेशी नागरिक (संशोधन) आदेश, 2016 के खंड 16 व विदेशी अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार, होटल मालिक/संपत्ति मालिक को अपने परिसर में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के आगमन के 24 घंटे के भीतर उस विदेशी नागरिक की संपूर्ण जानकारी जैसे राष्ट्रीयता, संपर्क नंबर, यात्रा का उद्देश्य, रहने का स्थान व अवधि, वीजा आदि का विवरण विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) कार्यालय में जाकर फार्म 'सी' पर या आनलाइन वेबसाइट पर सूचित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस राजधानी में स्थित सभी होटल मालिकों/संपत्ति मालिकों से यह अपेक्षा/ अपील/ अनुरोध करती है कि वह विदेशी नागरिकों को अपनी संपत्ति को किराए पर देते समय इस संबंध में बने सभी नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करके पुलिस का सहयोग करें।

***पुलिस* की प्रवक्ता सुमन नलवा ने शनिवार को कहा कि अकसर देखा जाता है कि विदेशी नागरिकों को किराए पर रखा जाता है। पर उनकी पूरी जानकारी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के साथ साझा नहीं किया जाता।**

***दिल्ली* पुलिस ने मकान मालिक, होटल संचालक, होटल मालिक और किसी अन्य प्रकार की संपत्ति को लेकर नागरिकों से अपील की है कि इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस थाने को दें और किराए पर लेने वाले विदेशी नागरिकों का सत्यापन जरूर कराएं। ऐसा नहीं करने पर दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है।**

हिंदी नई चाल में चली भी और ढली भी : अनिल राय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल महाविद्यालय (सांध्य) में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी विभाग ने 'हिंदी : संभावनाओं के विविध आयाम' पर व्याख्यान का आयोजन किया।

महाविद्यालय के प्राचार्य नचिकेता सिंह ने स्वागत-वक्तव्य में कहा कि आज हिंदी के अनेक आयाम हमारे सामने नजर आते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है। भाषा के विकास से राष्ट्र का विकास जुड़ा हुआ है। मुख्य वक्ता अनिल राय ने कहा कि आज के इस दौर में हिंदी नई चाल में चली भी और ढली भी है।

सार्वजनिक सूचना

(दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 102 (1) एवं (2) के अंतर्गत

श्री अपूर्वा जोशी, शीन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के पर्सनल गारंटर के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	डेब्टर पर्सनल गारंटर का नाम	अपूर्वा जोगी, पुत्र जगदीश चन्द्र जोशी
2.	डेब्टर पर्सनल गारंटर का पता	डी–169/56, सेक्टर 50, नोएडा, उ.प्र.–201301
3.	पर्सनल गारंटर के मामले में दिवाला शुरू होने की तिथि	10.09.2024 (आदेश 13.09.2024 को प्राप्त हुई)
4.	आदेश का विवरण तथा कॉर्पोरेट/डेब्टर/पर्सनल गारंटर्स के लिये दिवाला शुरू होने की तिथि	माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, कोर्ट–IV द्वारा पारित आदेश तिथि 10.9.2024 जिसका IB807 (ND) 2021 है।
5.	प्रस्ताव कर्मी के रूप में कार्यरत दिवाला कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	सुरिन्दर बब्बर IBBI/IPA-001/IP/P-02534/2021-2022/13878
6.	बोर्ड में यथा पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का पता तथा ईमेल	पताः सी–13/54, सेन्टर 3, रोहिणी, दिल्ली–110085 ई–मेलः ip. surinderbabbar@gmail.com
7.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई–मेल	ई–19/321, 1ला तल, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली–110085 irp.apoorvajoshi@gmail.com
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	06.10.2024
9.	संबंधित प्रपत्र जिसमें दावे जमा की जाएगी उपलब्ध हैः	भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट डेब्टर्स के पर्सनल गारंटर्स के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमन, 2019 का प्रपत्र बी वेब लिंक : https://www.ibbi.gov.in /home/down-loads

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ IV ने " यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" द्वारा दाखिल की गई आवेदन पर 10.9.2024 को अपूर्वा जोशी, पर्सनल गारंटर का दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

अपूर्ण जोशी, पर्सनल गारंटर के क्रेडीटरों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं० 6 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्ताव कर्मी के पास प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें। क्रेडीटर्स इलेक्ट्रॉनिक संचार अथवा कूरिअर, स्पीड डाक अथवा पंजीकृत पत्र द्वारा दावे का विवरण भेजकर प्रस्ताव कर्मी के पास प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करे। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

सुरिन्दर बब्बर
प्रस्ताव कर्मी
अपूर्वा जोशी के मामले में
IBBI पंजी सं. : IBBI/IPA-001/IP-P-02534/2021-2022/13878
(एएफए की वैधता 08.11.2024 तक)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 15.09.2024

फॉर्म नं. INC-26

[कंपनी (पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली राज्य से महाराष्ट्र राज्य में स्थानांतरित करने के लिए अखबार में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निर्देशक, उत्तरी क्षेत्र
बी–2 विंग, द्वितीय मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय मंज़िल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 30 की उप–नियम (5) के खंड (a) के संदर्भ में
और
वन ग्रुप लिमिटेड ("कंपनी")
CIN: U74999DL1984PLC018468
जिसका पंजीकृत कार्यालय है प्लॉट नं. 25 2 ब्लॉक बी बेसमेंट ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–II, मोदी फ्लाईओवर के पास,
नई दिल्ली – 110 020 ....अर्जीकर्ता

यह सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत एक आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है, ताकि 28 जून, 2024 को शुक्रवार को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि की जा सके, ताकि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली राज्य" से "महाराष्ट्र राज्य" में स्थानांतरित किया जा सके।

जिस किसी व्यक्ति का हित इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय स्थानांतरण से प्रभावित हो सकता है, वह अपनी आपत्ति MCA–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा एक हलफनामे के साथ क्षेत्रीय निर्देशक, उत्तरी क्षेत्र, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, दिल्ली के पते पर चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है, जिसका एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजा जाए।

पता: 'प्लॉट नं. 25 2 ब्लॉक बी बेसमेंट ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–II, मोदी फ्लाईओवर के पास, नई दिल्ली – 110 020'

आवेदक की ओर से – वन ग्रुप लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
सुमित फूलचंद शर्मा
(निर्देशक, DIN: 08436004)

तारीख: 15/09/2024
स्थान: दिल्ली

Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703
Website: homefirstindia.com
Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

कब्जा सूचना

सन्दर्भ : प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के उपनियम (1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के तहत **होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोलिखित आप/कर्जदारों से सम्बन्धित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया देय का भुगतान करने के लिए कहते हुए नीचे वर्णित सम्बन्धित तिथियों पर मांग सूचनाएँ जारी की थीं। किन्तु आप सभी/कर्जदार निर्धारित समय के भीतर कथित बकायों का भुगतान करने में विफल रहे, अतः होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं उसके तहत नियमों के साथ पठित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग एवं अधिकार से नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतियों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतियों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

क्र. सं.	कर्जदारों/सह–कर्जदारों/ जमानतियों के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक कुल बकाया (रु. में)	कब्जा करने की तिथि
1.	गोपाल गुप्ता– काजल कुमारी	फ्लैट–जी –2, प्लॉट नंबर 50, जयपुर विकास प्राधिकरण, जी –2 ग्राउंड फ्लोर पवनधाम – पांचवां, प्लॉट नंबर –50, लक्ष्मी नगर, कलवाड़ रोड, जयपुर (राजस्थान), जयपुर, 302012, सीमा – उत्तर में: प्लॉट नंबर 51, पूर्व में: 30–0 चौड़ा रोड कॉरिडोर, पश्चिम में: प्लॉट नंबर 49, दक्षिण में: 30–0 चौड़ा रोड / फ्लैट नंबर जी –1	04-07-2024	19,71,103	10-09-2024
2.	गौरव माहेश्वरी– सपना माहेश्वरी	फ्लैट–प्लॉट नं. ९ए, खसरा नं. 543, शिवा स्मार्ट सिटी, प्लॉट नं. ९ए, खसरा नं. 543, शिवा स्मार्ट सिटी, ग्राम–छपरौला, परगना 8>तहसील–दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र., उत्तर प्रदेश,201005, सीमा – उत्तर में: रोड 21 चौड़ी, पूर्व में: प्लॉट नं. 9, पश्चिम में: प्लॉट नं. 10, दक्षिण में: प्लॉट नं. 22	04-07-2024	17,76,703	10-09-2024
3.	हेमन्त शर्मा, शिवदत्त, राजवती	एफएफ–01 सामने बाईं ओर, खसरा नं. 399. प्रेम विहार–III, गांव सादुल्लाबाद, लोनी गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102. सीमा:– उत्तर में: तजम्मुल का प्लॉट, पूर्व में: दूसरे का प्लॉट, पश्चिम में: रोड 20 चौड़ी, दक्षिण में: मार्कंडेय प्रजापति का प्लॉट	04-07-2024	13,85,519	10-09-2024
4.	कैलाश चंद्र गुर्जर, सीता	फ्लैट–प्लॉट नं. 83, विक्रेता. प्लॉट नं. 83, खसरा नं. 3663, आसिंड़. भीलवाड़ा, राजस्थान, 311301. सीमाः उत्तर में: अन्य आराजी, दक्षिण में: सड़क 30 फीट, पूर्व में: प्लॉट नंबर 84, पश्चिम में: प्लॉट नंबर 82	04-07-2024	19,47,325	10-09-2024
5.	कमल सिंह, कमली बाई	मकान–3271, पट्टा नंबर 3271, मिसल नंबर 21, खसरा नंबर 1487/1251, धनेश्वर, धनेश्वर, राजस्थान, 323022. सीमाः पूर्व में: पाचू भील का मकान, पश्चिम में: भावना भील का मकान, उत्तर में: सड़क, दक्षिण में: देवी लाल भील का मकान	04-07-2024	17,20,257	10-09-2024
6.	कविता एन चौधरी, विमल चौधरी	फ्लैट–एफएफ–02, प्लॉट नंबर 98 और 99, खसरा नंबर 1587एमआई, खसरा नंबर 1590 मिन, राधा गार्डन हदबरास्त, गांव रईसपुर, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201013	04-07-2024	7,39,121	10-09-2024
7.	लोकेन्द्र सिंह, रूप कंवर	मकान–48–ए,49–ए,योजना–सूरज नगर, दिल्ली बाई पास रोड नं.17 के पास आकेड़ा में, वीकेआई क्षेत्र,प्लॉट नं. 48–ए,49–ए,योजना सूरज नगर, दिल्ली बाई पास रोड नं.17 के पास आकेड़ा में, वीकेआई क्षेत्र, जयपुर, जयपुर, राजस्थान–302013 सीमाएं – पूर्व में: सड़क, पश्चिम में: अन्य प्लॉट, उत्तर में: प्लॉट नं. 50–ए, दक्षिण में: प्लॉट नं. 47–ए	04-07-2024	12,01,967	10-09-2024
8.	लोकनाथ मीना, मीरा बाई	मकान–100, पट्टा नं. 100, मिसल नं. 68, खसरा नं. 137, रंगपुर, कोटा, राजस्थान–324002, सीमाएं : पूर्व : श्री राजेश मीना का मकान, पश्चिम : श्री सतीश कुमार मालव का मकान, उत्तर : रोड, दक्षिण : श्री हरी लाल मीना का मकान	04-07-2024	9,72,909	10-09-2024
9.	लवकुश कुमार– भाग्यवती	मकान खसरा नं. 13, खसरा नं. 13, मकान नं. सी–132 वेक मौजावास विकास नारायण कुंज कॉलोनी, तहसील– काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 244714, काशीपुर, उत्तराखंड–244713, सीमाएं : – पूर्व में: मकान नंबर सी–113 (4.62 मीटर), पश्चिम में: रोड 5.90 चौड़ा (4.62 मीटर), उत्तर में: मकान नंबर सी–131 (6.93 मीटर), दक्षिण में: मकान नंबर सी–133 (6.93 मीटर)।	04-07-2024	14,06,688	10-09-2024
10.	मंगल सिंह नरूका, ममता देवी	मकान –259, गोवर्धन धाम–III, खोरी रोड, लूनियावास, जयपुर, राजस्थान, 302019। सीमा:– उत्तर:– प्लॉट नं. 260, पूर्व:– 30'-0" चौड़ी सड़क, पश्चिम:– अन्य का प्लॉट, दक्षिण:– प्लॉट नं. 258	04-07-2024	16,37,091	10-09-2024
11.	मोहम्मद मोहिदुल गाजी, रिना बीबी गाजी,सुनीता	फ्लैट–एमआईजी यूजीएफ–3, प्लॉट नं. डी–26, गंगा विहार, ऊपरी तल, पीछे की ओर, प्लॉट नं. डी–26, गंगा विहार, गांव सादुल्लाबाद. परगना और तहसील लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201102. सीमाः उत्तरः सड़क 30 चौड़ी, पूर्वः प्लॉट नं. डी–27, पश्चिमः प्लॉट नं. डी–25, दक्षिणः अन्य का प्लॉट.	04-07-2024	17,93,876	10-09-2024
12.	नितिन गौतम, प्रियंका, लेख सिंह	मकान–खसरा नं. 319, खसरा नं. 319, गांव–सिहानी परगना–लोनी तहसील और जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पुरानी आबादी गांव सिहानी में, खसरा नं. 319, गांव–सिहानी परगना–लोनी तहसील और जिला–गाजियाबाद यू.पी., गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201003, सीमा – उत्तर में: अन्य प्लॉट, दक्षिण में: संतोष की संपत्ति, पूर्व में: 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में: अन्य प्लॉट।	04-07-2024	9,04,572	10-09-2024
13.	प्रकाश चंद, मुकेश कुमार	प्लॉट–48, प्लॉट नंबर 48, स्कीम– गुण सागर इस्तफातपुरा रोड, जेडीए स्कीम के पास, वाटिका रोड, जयपुर, राजस्थान–302029। सीमा – पूर्व में: रोड 30, पश्चिम में: प्लॉट नंबर 47, उत्तर में: रोड 30, दक्षिण में: प्लॉट नंबर 49	04-07-2024	8,19,131	10-09-2024
14.	प्रशांत शर्मा, विकास शर्मा, गीता शर्मा	प्लॉट– 25ए, प्लॉट नंबर 25ए, खसरा नंबर 401, प्लॉट नंबर 25ए, खसरा नंबर 401, सीमा – उत्तर में: प्लॉट नं. 10, पूर्व में: प्लॉट नं. 25, पश्चिम में: प्लॉट नं. 24, दक्षिण में: 20 फीट चौड़ी रोड।	04-07-2024	10,20,574	10-09-2024
15.	प्रेम चंद शर्मा, अजय कुमार शर्मा, विष्णु कुमार शर्मा, 988	मकान–प्लॉट नं. 116, श्याम वाटिका, ग्राम–हीरापुरा, लूनियावास, जयपुर, श्याम वाटिका ग्राम–हीरापुरा, लूनियावास, जयपुर, जयपुर, राजस्थान, 303608, सीमा – पूर्व में: रोड 30, पश्चिम में: प्लॉट नं. 123, उत्तर में: प्लॉट नं. 117, दक्षिण में: प्लॉट नं. 115	04-07-2024	15,42,751	10-09-2024
16.	राजू–उषा	मकान–खसरा नं. 1806, प्लॉट नं. 345, कृष्णा एन्क्लेव, गांव धूम मानिकपुर, परगना और तहसील दादरी, डिश. गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 203207. सीमा:– उत्तर:– प्लॉट नं. 346, पूर्व:– अन्य की संपत्ति, पश्चिम:– रोड 20 चौड़ी, दक्षिण:– प्लॉट नं. 344	04-07-2024	6,46,646	10-09-2024
17.	रामकिशन गुर्जर– कृष्णा देवी गुर्जर	प्लॉट नं. –148, स्कीम – गोकुल धाम, रिंग रोड के पास, गांव खेड़ी गोपालपुरा, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान–303905. सीमा:– उत्तर:– प्लॉट नं. 149, पूर्व:– प्लॉट नं. 137, पश्चिम:–30'0" चौड़ी सड़क, दक्षिण:– प्लॉट नं. 147	04-07-2024	4,73,724	10-09-2024
18.	सचिन, नितिन कुमार, आकाश कुमार	मकान–खसरा नंबर 331/3एम, खसरा नंबर 331/3 मिन, गाँव कचनाल गजी, तहसील काशीपुर, उधम सिंह नगर, काशीपुर, उत्तराखंड–244713, सीमाएं – पूर्व में: 18 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में: खाली प्लॉट (पीयूष), उत्तर में: खुला प्लॉट (सुधीर कुमार), दक्षिण में: विधि अग्रवाल का मकान।	04-07-2024	4,40,795	10-09-2024
19.	शानू, सविता पथरिया	प्लॉट नंबर डी–43 एनपी सानू, प्लॉट नंबर डी–43 का उत्तरी भाग, स्कीम रॉयल सिटी, माचवा, कलवार रोड, जयपुर, राजस्थान, 302012, सीमाएं:– पूर्व:– प्लॉट नंबर डी 30, पश्चिम:– सड़क 30 फीट, उत्तर:– प्लॉट नंबर डी 44, दक्षिण:– प्लॉट नंबर डी43 दक्षिण भाग	04-07-2024	25,94,735	10-09-2024
20.	शिवम चौहान, विनेश कुमार, निखिल सांगवान	फ्लैट–एसएफ 4, दूसरी मंजिल (पीछे बाईं ओर) प्लॉट नंबर 272 और 273, खसरा नंबर 1529, बालाजी एन्क्लेव कॉलोनी, गाँव रईसपुर, परगना डासना, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201002। सीमा – उत्तर में: प्लॉट नंबर 271, पूर्व में: रोड 20 फीट, पश्चिम में: अन्य प्लॉट, दक्षिण में: अन्य प्लॉट।	04-07-2024	7,45,533	10-09-2024
21.	सोनू–हाजरा, सोहिल, रिजवान	प्लॉट नंबर 45 और 46, ब्लॉक–बी, खसरा नंबर। 1342, शिव वाटिका सिटी–4, गांव डूम मानिकपुर, परगना एवं तहसील– दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 203207, सीमाएं:– उत्तर:–17 चौड़ी सड़क, पूर्व:– प्लॉट नंबर 47, पश्चिम:– रोड 22 चौड़ी, दक्षिण:– प्लॉट नंबर 43 और 44	04-07-2024	12,65,730	10-09-2024
22.	उजमा–,आरिफ	फ्लैट–खसरा सं. 170 मिन, रघुनाथपुर, उज्मा, कृष्ण वाटिका फेज 1,खसरा 170 गांव जलालपुर रघुनाथपुर कृष्ण वाटिका फेज 1 मोदीनगर गाजियाबाद, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, 201204, सीमाएं– उत्तरः अनीश का प्लॉट, दक्षिणः गुलजार अहमद का प्लॉट, पूर्वः अन्य प्लॉट, पश्चिमः 16 फीट चौड़ी सड़क।	04-07-2024	14,31,670	10-09-2024
23.	उर्मिला, अमन	पट्टा संख्या 9700, मिसल संख्या 107/2022–23, खसरा संख्या 1795/988, डाबी, राजस्थान, 323022, सीमा:– उत्तर:– रोड, पूर्व:– नारायण सुंधिया का मकान, पश्चिम:– सुनीता यादव का मकान, दक्षिण:– रविन्द्र यादव का मकान	04-07-2024	4,57,662	10-09-2024
24.	विजय प्रकाश, विक्रम सिंह	मकान–654(डी), नारायण विहार 'ओ', फेज 05, असरपुरा/गणपतपुरा/भांकरोटा अजमेर रोड, जयपुर, जयपुर, राजस्थान, 302026, सीमाएं – पूर्व में: प्लॉट नंबर 665, पश्चिम में: 30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर में: प्लॉट नंबर 653, दक्षिण में: प्लॉट नंबर 655।	04-07-2024	25,48,414	10-09-2024
25.	वीरेन्द्र कुमार, वीणा देवी, पूजा वीरेन्द्र,	फ्लैट–तीसरी मंजिल प्लॉट नंबर 20, पीछे की तरफ छत के अधिकार के साथ संपत्ति नंबर आरजेड–20, गली नंबर 5, खसरा नंबर 290,, पश्चिम सागरपुर कॉलोनी, गांव नसीरपुर, नई दिल्ली 110046	10-04-2022	16,56,851	09-09-2024

कर्जदार के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण, एतद्वारा कर्जदार/जमानती तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर उपर्युक्त तिथि पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को तथा जनसामान्य को उपर्युक्त सन्दर्भित सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्तियों अथवा उसके किसी भाग के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार यहां ऊपर उल्लिखित सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध उल्लिखित राशि के लिए होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा जो पूर्ण भुगतान तक उस पर भावी ब्याज के साथ देय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान : रा.रा.क्षे., राजस्थान,
तिथि : 15.09.2024

अधिकृत प्राधिकारी,
होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड

SUPRAJIT ENGINEERING LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L29199KA1985PLC006934
Registered Office: No.100 & 101, Bommasandra Industrial Area, Bengaluru, Karnataka, 560099
Tel No.: 080-43421100, **Fax No.:** 080-27833279,
Contact Person: Mr. Medappa Gowda Jantikapu, CFO, Company Secretary and Compliance Officer **Email:** investors@suprajit.com | **Website:** www.suprajit.com

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF SUPRAJIT ENGINEERING LIMITED

This post buyback public announcement ("**Post Buyback Public Announcement**") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (**"Buyback Regulations"**) regarding completion of the Buyback. This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated August 17, 2024, published on August 19, 2024 ("**Public Announcement**"), the letter of offer dated August 29, 2024 along with form of acceptance cum acknowledgement **("Tender Form")** and share transfer form (Form SH-4) ("**Letter of Offer**"). Unless specifically defined herein, all capitalised terms and abbreviations used herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Letter of Offer.

1. **THE BUYBACK**

1.1. Suprajit Engineering Limited ("**Company**") had announced the buyback of up to 15,00,000 (Fifteen Lakhs) fully paid-up equity shares of the Company having the face value of ₹1/- each (Rupees Two only) ("**Equity Shares**"), representing 1.08% of the total number of issued and paid up Equity Shares of the Company, from all the Equity Shareholders/beneficial owners of the Company who holds Equity Shares as on record date i.e. Tuesday, August 27, 2024 ("**Record date**"), on a proportionate basis, through the tender offer route using stock exchange mechanism ("**Tender Offer**") at a price of ₹750/- (Rupees Seven Hundred Fifty Only) per Equity Share ("**Buyback Price**") for an aggregate maximum amount not exceeding ₹112,50,00,000/- (Rupees One Hundred Twelve Crore Fifty Lakh Only) ("**Buyback Size**") excluding filing fees payable to the SEBI, advisors' fees, stock exchanges fee for usage of their platform for Buyback, transaction costs viz. brokerage, applicable taxes inter alia including Buyback tax, securities transaction tax, GST, stamp duty, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses ("**Transaction Cost**") which represents up to 9.37 % of the fully paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) as per latest audited Standalone balance sheet of the Company for the financial year ended March 31, 2024 and up to 9.53 % of the fully paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) as per latest audited consolidated balance sheet of the Company for the financial year ended March 31, 2024 of the Company (the "**Audited Financial Statements**").

1.2. The Company had adopted the Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented through the "*Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange*", as provided under the SEBI Buyback Regulations and circular no. CIR/CFD/ POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, circular no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"). For the purposes of the Buyback, BSE Limited was the designated stock exchange.

1.3. The Buyback Opening Date was September 02, 2024, and the Buyback Closing Date was September 06, 2024.

2. **DETAILS OF THE BUYBACK**

2.1 15,00,000 (Fifteen Lakhs) Equity Shares were bought back pursuant to the Buyback, at a price of ₹750/- (Rupees Seven Hundred Fifty Only) per Equity Share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback was ₹112,50,00,000/- (Rupees One Hundred Twelve Crores Fifty Lakhs Only) excluding Transaction Costs.

2.3 The Registrar to the Buyback i.e., Integrated Registry Management Services Private Limited ("**Registrar**"), considered a total of **50,193** valid bids for **1,06,87,482** Equity Shares in response to the Buyback resulting in the subscription of approximately **7.12** times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category	Number of Equity Shares reserved in the Buyback	Number of valid bids	Total Equity Shares validly Tendered	Response (times)
Reserved Category for Small Shareholders	2,25,000	47,688	11,35,430	5.05
General Category for all other Eligible Shareholders	12,75,000	2,505	95,52,052	7.49
Total	**15,00,000**	**50,193**	**1,06,87,482**	**7.12**

2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations, Public Announcement and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection has been dispatched by the Registrar, via email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their email IDs registered with the Company/Registrar or the depositories) on September 13, 2024. In cases where email IDs were not registered with the Company/ Registrar or depositories, physical letters of acceptance / rejection has been dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same has been completed on September 13, 2024. Further where the emails bounced back, the dispatch for the same shall be completed by the Registrar on or before September 16, 2024.

2.5 The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited and the National Securities Clearing Corporation (collectively referred to as the "Clearing Corporations") on September 13, 2024. Clearing Corporations have made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India / relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder was transferred to the Seller Member for onward transfer to their respective shareholders holding Equity Shares in dematerialized form.

2.6 Demat Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's Demat Account on September 13, 2024. The unaccepted Demat Shares have been returned to respective Eligible Shareholders / Shareholders brokers / custodians and lien has been removed by Clearing Corporations on September 13, 2024.

2.7 The extinguishment of 15,00,000 (Fifteen Lakhs) demat Equity Shares accepted under the Buyback, is currently under process and shall be completed in accordance with the Buyback Regulations on or before September 24, 2024.

3. **CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN**

3.1 The capital structure of the Company before and after the completion of the Buyback is set forth below: (₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Pre Buyback*	Post Buyback#
1.	Authorized Share Capital:		
	85,00,00,000 Equity Shares of ₹1/- each	85,00,00,000	85,00,00,000
	Total		
2.	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
	13,85,69,385 Equity Shares of ₹1/- each	13,85,69,385	
	13,70,69,385 Equity Shares of ₹1/- each		13,70,69,385

** As on the date of the Record date i.e. August 27, 2024.*

 # Subject to extinguishment of 15,00,000 Equity Shares.

3.2 Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back under the Buyback are as under:

Sr. No.	Name Of Shareholder	Number Of Equity Shares Accepted Under The Buyback	Equity Shares Accepted As a % Of Total Equity Shares Bought Back	Equity Shares Accepted As a % Of Total Post Buayback Equity Capital Of The Company#
1	HDFC SMALL CAP FUND	1,14,507	7.63	0.08
2	DSP SMALL CAP FUND	99,109	6.61	0.07
3	KULA AJITH KUMAR RAI	37,025	2.47	0.03
4	SUPRIYAJITH FAMILY TRUST	5,01,215	33.41	0.37
5	INDIA CAPITAL FUND LTD	30,969	2.06	0.02
6	KULA RAMPRASAD RAI	17,328	1.16	0.01
7	SUPRIYA AJITKUMAR RAI	16,572	1.10	0.01
8	SAMIHA GREWAL MISHRA	15,674	1.04	0.01
9	EMERGING SECURITIES PVT LTD	13,493	0.90	0.01

 # Subject to extinguishment of 15,00,000 Equity Shares

3.3 The shareholding pattern of the Company before (as on Record Date i.e. Tuesday, August 27, 2024) and after completion of the Buyback is set out below:

Category of shareholder	Pre-Buyback		Post Buy Back#	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share Capital	Number of Shares	% to the existing Equity Share Capital
Promoter	6,17,74,277	44.58	6,11,85,250	44.64
Foreign Investors (including Non-Resident Indians, FIIs, FPIs and Foreign Mutual Funds	1,25,90,764	9.09	1,24,30,725	9.07
Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	2,38,05,097	17.18	2,35,62,938	17.19
Other (public, bodies corporate etc.)	4,03,99,247	29.15	3,98,90,472	29.10
Total	**13,85,69,385**	**100.00**	**13,70,69,385**	**100.00**

 # Subject to extinguishment of 15,00,000 Equity Shares.

4. **MANAGER TO THE BUYBACK**

FINSHORE
Creating Enterprise Managing Values

Finshore Management Services Limited
Anandlok Building, Block-A, 2nd Floor, Room No. 207,227 A.J.C Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal, India
Tel. No.: 033 – 2289 5101 / 4603 2561;
Contact Person: Mr. S. Ramakrishna Iyengar;
Email: info@finshoregroup.com;
Website: www.finshoregroup.com;
SEBI Registration No: INM000012185;
Validity: Permanent
CIN: U74900WB2011PLC169377

5. **DIRECTORS' RESPONSIBILITY**

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors accepts responsibility for all the information contained in this Post-Buyback Public Announcement and confirms that it contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of
Suprajit Engineering Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Kula Ajith Kumar Rai	**Mohan Srinivasan Nagamangala**	**Medappa Gowda Jantikapu**
Chairman and Executive Director	**Managing Director**	**CFO, Company Secretary & Compliance Officer**
DIN: 01160327	**DIN: 01916468**	**M. No: 4111**

Date : September 14, 2024
Place : Bengaluru

कल्पमेधा

संस्कृति के नैतिक विकास का सबसे ऊंचा स्तर तब आता है, जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें।
- चार्ल्स डार्विन

चांद का काला चेहरा

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

मणिपुर संदेह, छल और जातीय संघर्ष के जाल में फंसा हुआ है। मणिपुर में शांति बनाए रखना और सरकार चलाना कभी आसान नहीं था। भाजपा द्वारा संचालित केंद्र सरकार की लापरवाही और राज्य सरकार की अक्षमता के कारण यह अकल्पनीय रूप से बदतर हो गया है।

पिछले स्तंभों को पलटते हुए, देखा कि मणिपुर के बारे में मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, इसके लिए खुद को कोसा। मैंने आखिरी बार 30 जुलाई, 2023 को मणिपुर पर लिखा था। अब उसे तेरह महीने से ज्यादा हो गए हैं। यह अक्षम्य है। यह उन सभी भारतीयों के लिए भी बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है, जिन्होंने मणिपुर को अपनी सामूहिक चेतना के सबसे गहरे अंधेरे कोने में दबा दिया है।

जब मैंने पिछले वर्ष लिखा था, तो संकेत अशुभ थे। मैंने कहा था, 'यह नस्ली सफाए की शुरुआत है'। मैंने कहा था 'आज, मुझे जो भी रपटें मिली हैं या पढ़ी हैं, उनमें इंफल घाटी में व्यावहारिक रूप से कोई कुकी-जोमी नहीं रह गया है और कुकी-जोमी के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में कोई मैतेई नहीं बचा है'। मैंने कहा था कि 'मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अपने घर से दफ्तर के काम करते हैं और प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा नहीं करते या नहीं कर सकते हैं'। मैंने यह भी कहा था कि 'कोई भी जातीय समूह मणिपुर पुलिस पर भरोसा नहीं करता' और 'कोई भी हताहतों की आधिकारिक संख्या पर विश्वास नहीं करता है'।

कठघरे में तीन

मैंने जो कुछ लिखा था, दुर्भाग्य से उसका एक एक शब्द सच साबित हुआ। संसदीय लोकतंत्र में, मणिपुर की इस दुखद स्थिति के लिए, एक या उससे अधिक सत्ताधीशों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यहां तीन ऐसे लोग का जिक्र जरूरी है, जो सत्ता में हैं-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीः उन्होंने संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे मणिपुर का दौरा नहीं करेंगे। उनका रवैया ऐसा लगता है कि 'मणिपुर को जलने दो, मैं मणिपुर की धरती पर कदम नहीं रखूंगा'। 9 जून, 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से, प्रधानमंत्री ने इटली (13-14 जून), रूस (8-9 जुलाई), आस्ट्रिया (10 जुलाई), पोलैंड (21-22 अगस्त), यूक्रेन (23-24 अगस्त), ब्रुनेई (3-4 सितंबर) और सिंगापुर (4-5 सितंबर) की यात्रा करने का समय निकाला। 2024 के बाकी बचे महीनों के लिए भी उनके कार्यक्रम तय हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, लाओस, समोस, रूस, अजरबैजान और ब्राजील की यात्राएं शामिल हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा, समय या ऊर्जा की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए नहीं किया है, क्योंकि वे इस बदकिस्मत राज्य का दौरा करना ही नहीं चाहते हैं।

मणिपुर का दौरा करने से उनका इनकार, उनकी जिद का सबूत है। गुजरात दंगों, सीएए विरोधी प्रदर्शनों और तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी हमें इसकी झलक मिली थी और तब भी जब उन्होंने अपने मंत्रियों को संसद के दोनों सदनों में सभी स्थगन प्रस्तावों का विरोध करने का निर्देश दिया था- चाहे वह कोई भी जरूरी मामला रहा हो।

गृहमंत्री अमित शाहः मणिपुर के शासन से जुड़े हर पहलू पर उनके निर्देश शामिल होते हैं, चाहे वह राज्य सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ा मामला हो या सुरक्षा बलों की तैनाती का। वे मणिपुर सरकार का हिस्सा हैं। उनके कार्यकाल में हिंसा तेजी से बढ़ी है। मणिपुर के लोग सिर्फ बंदूकों और बमों से एक-दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार राकेट और हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। पिछले एक हफ्ते में दो जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल और कालेज बंद कर दिए गए हैं, पांच जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और इंफल की सड़कों पर पुलिस छात्रों से लड़ रही है। मणिपुर में पहले से तैनात 26,000 कर्मियों को मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ की दो और बटालियन (2000 पुरुष और महिलाएं) भेजी गई हैं।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंहः वे अपनी ही बनाई जेल में बंदी हैं। वे और उनके मंत्री इंफल घाटी में भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं। कुकी-जोमी उनसे नफरत करते हैं। मैतेई लोगों ने सोचा था कि वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, लेकिन उनकी पूरी तरह से विफलता ने उन्हें मणिपुर में सबसे अलोकप्रिय व्यक्ति बना दिया है, जिसमें मैतेई भी शामिल हैं। प्रशासन का कोई नामोनिशान नहीं है। उनका अयोग्य और पक्षपातपूर्ण शासन नागरिक अशांति का कारण बना। अब वे खुद एक समस्या हैं और सभी पक्षों के लिए उकसावे का कारण बन रहे हैं। उन्हें कई महीने पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनका पद पर बने रहना मोदी साहब और शाह साहब के निरंकुश, कभी अपनी गलती न मानने वाले रवैये को दर्शाता है।

वास्तव में विभाजित

मणिपुर वास्तव में दो राज्य है। चूड़ाचांदपुर, फेरजवाल और कांगपोकपी जिले पूरी तरह से कुकी लोगों के नियंत्रण में हैं, और तेंग्नौपाल जिला (जिसमें सीमावर्ती शहर मोरेह भी शामिल है) जिसमें कुकी-जोमी और नगा की मिश्रित आबादी है, व्यावहारिक रूप से कुकी-जोमी के नियंत्रण में है। कुकी-जोमी एक अलग प्रशासन चलाते हैं। कुकी-जोमी नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी मैतेई सरकारी कर्मचारी नहीं है; वे घाटी के जिलों में बसे हुए हैं। कुकी-जोमी ऐसे राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जहां मैतेई बहुमत में हों (60 सदस्यों वाले सदन में 40 विधायक)। मैतेई मणिपुर की पहचान और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। समुदायों के बीच दुश्मनी का स्तर बहुत ऊंचा और गहरा है।

किसी के बीच कोई बातचीत नहीं है- सरकार और जातीय समूहों के बीच या मैतेई और कुकी-जोमी के बीच। नगा लोगों की केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक शिकायतें हैं और वे मैतेई बनाम कुकी-जोमी संघर्ष में उलझना नहीं चाहते।

कहीं कोई रोशनी नहीं

मणिपुर संदेह, छल और जातीय संघर्ष के जाल में फंसा हुआ है। मणिपुर में शांति बनाए रखना और सरकार चलाना कभी आसान नहीं था। भाजपा द्वारा संचालित केंद्र सरकार की लापरवाही और राज्य सरकार की अक्षमता के कारण यह अकल्पनीय रूप से बदतर हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री को शायद यह एहसास हो गया है कि संघ के एक राज्य, मणिपुर की उनकी यात्रा चंद्रमा के अंधेरे पक्ष की यात्रा जितनी खतरनाक होगी।

कभी चुप भी रहें

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

देशद्रोह का आरोप इतनी आसानी से लगाते हैं मोदी भक्त कि जैसे राष्ट्रवाद का ठेका लेने का अधिकार सिर्फ उनको है। सोचने की तकलीफ नहीं करते हैं ये लोग कि उनको किसी ने हक नहीं दिया है फैसला करने का कि देशद्रोही कौन हैं और देशभक्त कौन। गांधी परिवार को निशाना काफी दिनों से बनाए रखा है मोदी भक्तों ने, लेकिन हाल में मैंने देखा है कि उनकी इस मुहिम में एक नई चीज दिखने लगी है : घबराहट।

कभी-कभी समझना मुश्किल है कि राहुल गांधी मदद करते हैं मोदी सरकार की या मोदीजी के मंत्री मदद कर रहे हैं राहुल गांधी की। बात कर रही हूं नेता प्रतिपक्ष की हाल में हुई विदेश यात्रा की। राहुल गांधी अक्सर जब विदेश गए हैं पिछले दस वर्षों में, कुछ न कुछ ऐसी बात कर आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ इस्तेमाल करती है। पिछले दौरों में उन्होंने कई उल्टी-सीधी बातें कही हैं, जैसे कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और इसको दुबारा जीवित करने के लिए पश्चिमी लोकतांत्रिक राजनेताओं की मदद चाहिए। इस बार उनकी पहली विदेश यात्रा थी बतौर नेता प्रतिपक्ष, इसलिए मैंने सोचा समझदारी से बातें करेंगे। मिलेंगे ऐसे लोगों से, जो भारत के दुश्मन न हों, ताकि उनके दौरे का गंभीरता से विश्लेषण हो देश में।

ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मालूम नहीं क्या है विदेश की हवा-पानी में कि राहुल गांधी पर असर ऐसा होता है कि उल्टी-सीधी बातें फौरन करना शुरू कर देते हैं। इस बार उन्होंने पहले तो सिखों के बारे में कहा कि उनको भारत में साफा और कड़ा पहनने का अब अधिकार नहीं है। एक तो ये सरासर झूठ है, ऊपर से उन्होंने इस बात को कहकर कनाडा में बसे खालिस्तानी अलगावादियों के दिल इतने खुश किए कि उन्होंने उनकी बातों से खुल कर सहमति जताई। अपने देश में नतीजा यह हुआ कि भाजपा के बड़े नेताओं ने फौरन याद दिलाया गांधी परिवार के इस वारिस को कि सिखों के साथ अत्याचार अगर कभी हुआ था, तो उनके पिताजी के दौर में, जब हजारों सिखों ने अपनी जान गंवाई थी, ऐसे हत्यारों के हाथों जो कांग्रेस पार्टी के जाने-पहचाने कार्यकर्ता थे। जो हुआ, कोई दंगा नहीं था। दंगा होता तो कम से कम एक हिंदू मिलता मरनेवालों में। जनसंहार था और इस जनसंहार को राहुल जी के पिताश्री ने जायज ठहराया यह कहकर कि 'बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है'। यानी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ऐसा होना ही था।

आगे राहुलजी ने यह भी कहा कि हाल में हुए लोकसभा चुनावों में धांधली न हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी होती। इतना तो सोच लिया होता राहुल गांधी ने कि धांधली करनी थी अगर नरेंद्र मोदी को तो इतना तो गारंटी करते कि पूर्ण बहुमत मिले तीसरी बार। यहां भी नहीं रुके कांग्रेस के आला नेता। आगे यह भी कह डाला अमेरिका में कि भारत की नब्बे फीसद आबादी का हाल इतना बुरा है कि आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित रहते हैं जातिवाद के कारण। अपने इस सबसे पसंदीदा विषय पर बोलने के बाद उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाई इल्हान उमर नाम की एक अश्वेत, मुसलिम सांसद के साथ, जो बार-बार स्पष्ट कर चुकी हैं कि उसकी नजर में भारत में मुसलमानों के साथ इतना जुल्म होता है कि अमेरिका को हमारे साथ रिश्ता तोड़ना चाहिए। यानी राहुल गांधी ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी इतनी बार मारी पिछले दिनों कि किसी और को हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं थी।

पलटवार करने में लेकिन मोदी के मंत्री इतने उतावले रहते हैं कि गृहमंत्री का बयान आया पिछले सप्ताह जिसमें राहुल गांधी की बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी ने कहा था एक सवाल का जवाब देते हुए कि जातियों के आधार पर आरक्षण तभी समाप्त किया जाएगा जब भारत में हर जाति को बराबर के अवसर मिलने शुरू होंगे। इस पर गृहमंत्री जी ने कहा कि साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। कैसे इस बात को कही उन्होंने, समझना मुश्किल है इसलिए कि पिछले कुछ महीनों से राहुल ने अपने आप को पिछड़ी जातियों के मसीहा के रूप में पेश किया है।

जब मोदी के वरिष्ठ मंत्री इस तरह के बयान देते हैं, तो देर नहीं लगती है छुटभैयों को हल्ला मचाने में। सोशल मीडिया पर भाजपा की ट्रोल सेना हावी हो गई यह साबित करने में कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। देशद्रोह का आरोप इतनी आसानी से लगाते हैं मोदी भक्त कि जैसे राष्ट्रवाद का ठेका लेने का अधिकार सिर्फ उनको है। सोचने की तकलीफ नहीं करते हैं ये लोग कि उनको किसी ने हक नहीं दिया है फैसला करने का कि देशद्रोही कौन हैं और देशभक्त कौन। गांधी परिवार को निशाना काफी दिनों से बनाए रखा है मोदी भक्तों ने, लेकिन हाल में मैंने देखा है कि उनकी इस मुहिम में एक नई चीज दिखने लगी है : घबराहट। दिखने लगी मुझे घबराहट पहली बार, जब लोकसभा के परिणाम ऐसे आए कि 'चार सौ पार' तो दूर की बात, तीन सौ पार भी सपना बन कर रह गया।

अब घबराहट इतनी ज्यादा दिखने लगी है मोदी के मंत्रियों और भक्तों में कि ऐसा कहना जरूरी हो गया है कि उनको वास्तव में राहुल गांधी से खतरा दिखने लगा है। अभी तक तो आसानी से कहते फिरते थे ये लोग कि गांधी परिवार के वारिस सिर्फ पप्पू हैं और भविष्य में भी पप्पू ही रहेंगे। लेकिन पप्पू शब्द इन दिनों कम सुनाई देता है। घबराहट इसमें भी दिखती है कि राहुल गांधी के हर बयान को खंडन करने पूरी फौज खड़ी हो जाती है भक्तों की। जैसे कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला एक ही व्यक्ति है और वह है राहुल। शायद यह बात सच भी है, लेकिन जिस तरह से उनको बदनाम करने में लग जाते हैं मोदी के समर्थक, उससे फायदा राहुल गांधी का होता है ज्यादा, मोदी का कम। राहुल गांधी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने में इतने माहिर हैं कि जरूरत ही नहीं है किसी और को वार करने की। मोदी भक्तों को एक पूर्व भक्त से सुझावः कभी-कभी चुप रहना बेहतर होता है।

बुद्धि और विवेक का समन्वय

शिक्षा

जगमोहन सिंह राजपूत

ज्ञान का सदुपयोग करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए बुद्धि और विवेक का प्रश्रय अवश्य लेना होगा। जिस कालखंड में आधुनिक विज्ञान में ज्ञान प्राप्ति की पराकाष्ठा थी, परमाणु विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाना, वह मिली, लेकिन उसके विवेकहीन दुरुपयोग का परिणाम था हिरोशिमा और नागासाकी।

उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अंत से पहले ही यह चर्चा शुरू हो चुकी थी कि 'भविष्य के साम्राज्य ज्ञान के साम्राज्य होंगे'। कितने ही शोषित और हर प्रकार से संसाधन-विहीन नव-स्वतंत्र देशों के समक्ष समस्याओं और चुनौतियों के नए-नए परिदृश्य उभर रहे थे और स्वतंत्रता से बड़ी-बड़ी आशाएं लगाए आमजन इनके संपूर्ण समाधान की अपेक्षा अपने नए शासकों से कर रहे थे। जिन देशों को समर्पित और भविष्य-दृष्टि से युक्त नेतृत्व मिला था, वे यह भली भांति समझते थे कि विकास और प्रगति का रास्ता शिक्षा केंद्रों से ही होकर गुजरेगा। जो इस सच्चाई को समझ सके, जिन्होंने शिक्षा के प्रचार-प्रसार और गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया, उच्च शिक्षा और शोध के लिए संस्थान बनाए, वे ही आगे बढ़ सके। भारत इसी दिशा में आगे बढ़ने वाला उदाहरण माना जाता है। यहां के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व समझता था कि शिक्षा ही प्रगति का मार्ग पुनः प्रशस्त कर सकती है, जिसे विदेशी शासकों द्वारा जानबूझ कर अवरुद्ध किया गया था। संविधान में 6-14 वर्ष के हर बच्चे को निश्शुल्क शिक्षा का अत्यंत विषम परस्थितियों में प्रावधान करना एक साहसपूर्ण कदम था।

आज विश्व में भारत का जो अग्रणी स्थान अंतरिक्ष विज्ञान, संचार तकनीक, नाभिकीय विज्ञान और शोध के क्षेत्र में बना है, उसका श्रेय देश को आजादी के बाद मिले राजनीतिक और वैज्ञानिक नेतृत्व को ही दिया जाना चाहिए। यह भी अब अध्ययन, शोध और विश्लेषण के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन भारत को जो वैश्विक स्तर पर श्रेष्ठता मिली थी, वह उसकी बौद्धिक क्षमता के मूल आधार पर ही स्थापित हुई थी। ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म जैसे अनेक क्षेत्रों में नव-ज्ञान सृजन की जो परंपरा भारत ने स्थापित की थी, उसी से प्रभावित होकर विदेशों से अनेकानेक जिज्ञासु भारत में अध्ययन करने आते थे। यहां का दर्शन स्पष्ट थाः व्यक्ति स्वयं का जीवन सुचारु रूप से निर्वहन कर सके, 'सर्वभूत हिते रतः' के लक्ष्य का क्रियान्वयन करे, धनार्जन अवश्य करे, लेकिन सदाचरण यानी धर्म के मार्ग पर चल कर ही करे। इस प्रकार के जीवन निर्वाह के लिए विनयशीलता आधारशिला थी। आज भारत को इसी सोच को व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। परिपूर्ण शिक्षा नीति और उसका अनुपालन इसी चिंतन के इर्द-गिर्द व्यवस्थि किया जाना चाहिए।

स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में गहन विचार-विमर्श और बौद्धिक चर्चाओं में बर्ट्रेंड रसेल जैसे चिंतकों का यह विचार भी चर्चित रहा कि मनुष्य अगर केवल ज्ञान प्राप्ति के पीछे पड़ा रहा, तो अपने को समाप्त कर लेगा! ज्ञान प्राप्ति के प्रयास पवित्र प्रेरणा का परिणाम माने जाते रहे हैं। ज्ञान का सदुपयोग करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए बुद्धि और विवेक का प्रश्रय अवश्य लेना होगा। जिस कालखंड में आधुनिक विज्ञान में ज्ञान प्राप्ति की पराकाष्ठा थी, परमाणु विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाना, वह मिली, लेकिन उसके विवेकहीन दुरुपयोग का परिणाम था हिरोशिमा और नागासाकी। बुद्धि, विवेक, विश्लेषण और 'सर्वजन-हिताय, सर्वजन-सुखाय' के लिए ज्ञान के उपयोग की समझ अगर विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ बढ़ी होती, तो आज मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में घोर बिगाड़ आने के कारण उत्पन्न समस्याएं इस पृथ्वी के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न न लगा रही होतीं!

इस समय जब विद्वत वर्ग में चर्चा इस वैचारिकता की ओर मुड़ती है, तो इसकी 'अव्यावहारिकता' को लेकर ही अधिकाधिक विचार सामने रखे जाते हैं। अनेक व्यक्तिगत अनुभव यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं कि जहां शिक्षा केवल अधिकाधिक धनार्जन के अर्जुन-लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ाई जाती है, वहां इस सोच को स्वीकार्यता कैसे मिलेगी? एक उदाहरण जो सबसे अधिक दोहराया जाता है वह है किसी भी युवा के डाक्टर बनने का। कितनी स्कूली पढ़ाई, कितनी कोचिंग, कितनी भारी-भरकम फीस, कठिन प्रतियोगी परीक्षा, सफलता को लेकर कितना लंबा असमंजस, कितने वर्ष, तब मिलती है पहली डिग्री। फिर परा-स्नातक उपाधि पाना तो इससे कठिन होगा ही! इस सबमें परिवार पर कितना बोझ पड़ता होगा? यह समस्या केवल मेडिकल तक सीमित नहीं है। यह स्थिति हर शिक्षित युवा के समक्ष किसी न किसी ढंग से अनेक प्रकार के तनाव और आशंकाएं पैदा कर रही है।

इस स्थिति से निपटने के लिए भारत की प्राचीन संस्कृति और साहित्य में बहुत कुछ उपलब्ध है। भारत की आध्यात्मिक समझ उसके विचारकों और दार्शनिकों की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में गिनी जा सकती है। जहां लालच नहीं होगा, वहां ईर्ष्या, द्वेष तथा अनावश्यक मनमुटाव स्वतः कमजोर हो जाएंगे। समाज को हिंसा और संघर्ष में अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करनी होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस मूलभूत मूल्यों और दर्शन-तत्त्व को देश की नीतियों में समुचित स्थान मिला होता, प्राचीन परंपराओं में जो व्यावहारिक थीं उन्हें भी कृत्रिम आधार पर छोड़ न दिया गया होता, तो संभवतः पिछले सात दशक में सामाजिक परिदृश्य तेजी से सकारात्मकता की ओर बढ़ा होता। आज ऐसा नहीं है, हर ओर अविश्वास पसरा हुआ है, व्यग्रता और उग्रता अनेक प्रकार से लगातार हर तरफ बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। इनके परिणामस्वरूप हिंसा बढ़ी है। महिलाओं के खिलाफ जो दरिंदगी की घटनाएं सामने आती हैं, उसका मुख्य कारण सार्वभौमिक स्तर पर नैतिकता और मूल्यों के ह्रास तथा परंपरागत संस्कृति तथा उससे लगातार बढ़ती दूरी ही है।

सामस्याओं के तात्कालिक समाधान आवश्यक हैं, लेकिन दीर्घकालीन तथा सशक्त समाधान की रणनीति भी बनाने की आवश्यकता है। केवल शिक्षा-व्यवस्था या कानून-व्यवस्था के अनुपालन पर सारा उत्तरदायित्व नहीं डाला जा सकता, इसमें समाज का उत्तरदायित्व प्रथम स्थान पर स्वीकार करना होगा।

एक बहस ऐसी भी

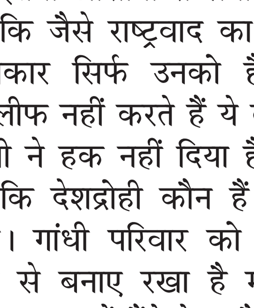

बाखबर

सुधीश पचौरी

एक अंग्रेजी चैनल में आई 'प्राइम टाइम' की एक नायाब बहस, जिसमें दिखी कुछ 'ज्ञानियों' के बीच 'डब्लूडब्लूएफ' छाप 'ज्ञान की कुश्ती', 'सोशल मीडिया' वाले नित्य के 'दंगली सीन', कि जैसे ही 'एक' ज्ञानी ने दूसरे की 'पोल' खोली, वैसे ही 'दूसरे' ने पहले की 'पोल' खोल दी। उसके बाद सारी बहस 'मिनी महाभारत' का आनंद देने लगी।

एक दिन 'देश की बेटी' 'राज्य की बेटी' बता दी गई, तो राष्ट्रवादी चिढ़े कि 'देश की बेटी' एक 'राज्य की बेटी' कैसे हो गई? अरे भई, जब बेटी को आपत्ति नहीं, तो आप कौन?

फिर एक पड़ोसी प्रशासक कह उठे कि हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं, राजनीतिक हैं। अपने चैनलों ने जवाब दिया कि तब तो इधर होने वाली 'लिंचिंगें' भी सांप्रदायिक नहीं, राजनीतिक हैं। हत्याओं का ऐसा 'औचित्यीकरण' कब देखा-सुना?

खबर आई कि जिस 'याचक' ने 'याचिका' दी थी कि 'इंडिया' के अपने 'हथियार' मानवाधिकारों का हनन करने वाले देशों को बेचने पर रोक लगे, उसे बड़ी अदालत ने नहीं माना। बताइए, इसके बाद कोई क्यों न रोए कि न्यायपालिका दबाव में है!

इसके बाद आया खांटी 'जाति विमर्श'। एक 'अपराधी' का 'एनकाउंटर' हुआ, तो 'विमर्शकार' बोले कि जाति देखकर 'एनकांउटर' किए जा रहे हैं! कितनी बुरी बात कि हर गोली पर लिखा है 'जाति' का नाम!

एक दिन अमेरिका से उवाचे एक नेता कि उनकी सोच आसानी से समझ नहीं आती।... देखा तो बात सही ठहरी, क्योंकि जो बोला वह हमारे जैसे उच्च बुद्धि वालों को ही समझ नहीं आया कि चुनाव के बाद 'डर' निकल गया है... कि न्यायपालिका और मीडिया भारत में खत्म है... कि अपनी भूमिका देश को तानाशाही से बचाना है... कि भारत में फर्नीचर, कपड़े सब चीन के हैं! जरा देखिए, तो एक लाइन में 'डर' निकल गया, दूसरी में वापस आ गया... ऐसी 'उलटबांसियों' पर भी कुछ जलोकड़े जल उठे कि विदेश में क्यों बोले, कि देशद्रोह का मुकदमा चले। तो जवाब आया कि उन्होंने तो सच का आईना दिखाया! जवाब में पक्षधर फिर भी देते रहे 'आंकड़े' पर 'आंकड़े', लेकिन जो उनने चिपकाया वह तो चिपका रह गया न!

भाई जी! ये 'चिपक राजनीति' के दिन हैं। वे चिपकाएं तो तुम भी चिपकाओ। कोरी हाय हाय से कुछ नहीं होने का।

फिर बरसा विदेश से कुछ अनमोल 'आध्यात्म' कि देवता 'भगवान' नहीं होते, 'भगवान' पारदर्शी होते हैं। ये हुई न ऊंची सोच, जो बड़े-बड़े विद्वानों को समझ आती नहीं दिखी! फिर भी एक 'वैदिक विद्वान' समझाए कि देवता का मतलब 'लीला करने वाला', चमत्कारी, यही 'भगवान' बन जाते हैं! गनीमत कि यह 'सोच' सचमुच किसी को समझ न आई और सब 'बोर' होने से बच गए।

फिर आए कुछ 'आदर्श विचार' कि जब 'आदर्श स्थिति' होगी, तो आरक्षण हटा देंगे। लेकिन यहीं सर जी 'फंसे'। एक आरक्षणवादी नेता बोलीं कि ये रही इनकी असिलयत! मगर आरक्षण कभी नहीं हटेगा। लेकिन फिर जैसे ही दूर की हांकी कि 'इंडिया' में सिख पगड़ी, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, वैसे ही बहुत से सिख नेता बरस पड़े कि यह सच नहीं... कि, हम कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं... कि वे एक खतरनाक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। दो एंकर, एक प्रवक्ता ने अपने हाथ में पहने कड़े भी दिखाए!

पहला सबकः जब 'ऊंचा ज्ञान' बघरता है, तो ऊपर से निकल जाता है।

दूसरा सबकः इन दिनों आंकड़े नहीं चिपकते, चिपकती हैं दो-तीन लाइन की 'सूक्तियां'! ये 'मिनीमलिज्म' का जमाना है आदरणीय!

बहरहाल, इस 'बेदर्द जमाने' में, एक दिन दीदी जी ने कह दिया कि जनहित में इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन किसी भी मुए ने यकीन नहीं किया, बल्कि कटाक्ष ही किए कि ये एक 'चतुर चाल' है!

अब देखिए न कि मुख्य न्यायाधीश ने एक दिन अपने घर 'गणेश पूजा' की, तो वीडियो में प्रधानमंत्री भी दिख गए। जैसे ही दिखे, वैसे ही शुरू हो गई 'हाय हाय' कि यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है... कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संदेह है... लेकिन अगले दिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 'बेल' दे दी, तो फिर होने लगी 'वाह वाह'! 'अपनी सी' हो तो 'वाह' नहीं तो 'हाय'! इन दिनों की राजनीति भी चाकलेट की तरह है। मिले तो 'वाह वाह', न मिले तो 'हाय हाय'!

इसके बाद एक अंग्रेजी चैनल में आई 'प्राइम टाइम' की एक नायाब बहस, जिसमें दिखी कुछ 'ज्ञानियों' के बीच 'डब्लूडब्लूएफ' छाप 'ज्ञान की कुश्ती', 'सोशल मीडिया' वाले नित्य के 'दंगली सीन', कि जैसे ही 'एक' ज्ञानी ने दूसरे की 'पोल' खोली, वैसे ही 'दूसरे' ने पहले की 'पोल' खोल दी। उसके बाद सारी बहस 'मिनी महाभारत' का आनंद देने लगी। फिर 'दूसरे' के जले पर, 'तीसरे' के जले पर नमक छिड़क दिया, तो तुरंत आस्तीनें चढ़ीं, भुजाएं फड़कीं और 'देख लूंगा' कि 'देख लूंगा' कि 'आ जा' कि 'आ जा' होने लगा। शेष ज्ञानी आनंदित भए और 'बिचौलिए' बनकर 'ज्ञान फाइटरों' को रोक कर पुण्य कमाए। एक का तो 'पोडियम' तक बदल दिया गया।

शुरू में चकित, फिर थकित, फिर हंसित एंकर जी आखिर में कहने लगीं कि 'जूस' पीके जाना जी!

बहरहाल, जिसने भी 'कुश्ती बहस' देखी, वही मस्त हुआ। जिसने न देखी, वह 'यूट्यूब' पर देखे! सिद्ध हुआ कि हमारी पत्रकारिता में आज भी बड़ी जान है!

> राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े। दक्षिण भारत से कांग्रेस के ज्यादा सांसद आ रहे हैं, वे अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं तो भाजपा इसे विभाजनकारी स्थिति के रूप में दिखाना चाहती है। भारत के बारे में भाजपा का मानना है कि एकरूपता ही एकता है, वहीं कांग्रेस एकता और विविधता में विश्वास रखती है। हमारे लिए विविधता ही एकता का उत्सव है। भाजपा इस विविधता के खिलाफ रही है।

भाजपा ने खड़ा किया है उत्तर बनाम दक्षिण का टकराव

तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम का कहना है कि बीते लोकसभा चुनाव ने संसदीय राजनीति में दक्षिण भारत की अहमियत बढ़ा दी है। दक्षिण से बढ़े कांग्रेस के सांसदों ने संसद का एकतरफा माहौल बदल दिया है। एकध्रुवीय राजनीति में आए इस विकेंद्रीकरण को देख कर ही भाजपा उत्तर बनाम दक्षिण भारत का विवाद खड़ा कर रही है। उनका कहना है कि तमिल समुदाय पारंपरिक रूप से धार्मिक है जिसने धर्म को शुद्धतम रूप में संरक्षित रखा है। जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि नीतिगत फैसले लेने के लिए यह जरूरी कदम है और बहस इन आंकड़ों के उपयोग पर हो। नई दिल्ली में कार्ति चिदंबरम के साथ कार्यकारी संपादक *मुकेश भारद्वाज* की विस्तृत बातचीत के चुनिंदा अंश।

● कार्ति चिदंबरम ने राजनीति को ही क्यों चुना? आपके पास और भी विकल्प थे।

●● मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां मेरे पिता पहले से राजनीतिज्ञ थे। राजनीति की ओर झुकाव का यह बुनियादी कारण तो है। लेकिन, मैं स्कूली समय से ही सार्वजनिक मंचों पर मुखर रहता था। आस-पास की चीजों में रुचि लेना, जहां जरूरत हो वहां नेतृत्व करने के लिए आगे आना मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा रहा। इसलिए विदेश से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद मुझे अपने व्यक्तित्व के अनुकूल यही क्षेत्र लगा। मैं स्वाभाविक रूप से लोगों के बीच रहने वाला आदमी हूं।

● कांग्रेस आपकी स्वाभाविक पसंद रही इसलिए आप यहां आए या आपके पिता यहां स्थापित थे और आप पार्टी को बेहतर तरीके से जानते थे इसलिए इसे चुना।

●● यह तो एक तथ्य है कि मेरे जन्म के पहले मेरे पिता युवा कांग्रेस में थे। उनकी पहचान बन चुकी थी। इसलिए यहां के प्रति मेरा झुकाव था। व्यावहारिक स्तर पर मैं स्वतंत्र विचार का उदारवादी व्यक्ति रहा हूं। मैं जिस तरह की स्वतंत्र विचारधारा का, आधुनिक, मुक्त बाजार का समर्थक रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कांग्रेस के अलावा किसी और दल में जगह थी। कांग्रेस में ही मुझे वैसा माहौल मिला जहां मेरे जैसे लोकतांत्रिक मिजाज का व्यक्ति आगे बढ़ सकता था।

● आज ऐसा माहौल है कि कांग्रेस से बड़े स्तर पर नेताओं का पलायन हुआ है। केंद्रीय सत्ता से दूरी के अलावा इसकी क्या और कोई वजह है?

●● कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी में यह संभव नहीं है कि हर किसी की महत्त्वाकांक्षा पूरी हो जाए। हर कोई अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हर पलायन विचारधारा के स्तर पर हुआ हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी को अचानक कांग्रेस के प्रति बहुत घृणा हो जाए और भाजपा में ही सारा आदर्श दिखे। संघर्ष के समय पार्टी छोड़ कर चले जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं है।

● एक आरोप अभी यह भी लग रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में दक्षिण भारत का गुट ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इसके साथ ही उत्तर-दक्षिण के बीच टकराव बढ़ रहा है।

●● यह उत्तर-दक्षिण का विभाजन भाजपा का खड़ा किया गया है। भाजपा ने क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय पहचानों को हाशिये पर रखने की कोशिश की है। भाजपा का हिंदी-हिंदुत्व पर पुराना जोर रहा है। इसी के खिलाफ दक्षिण से प्रतिरोध की आवाज आती है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े। वहां से ज्यादा सांसद आ रहे हैं, वे अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं तो भाजपा इसे विभाजनकारी स्थिति के रूप में दिखाना चाहती है। भारत के बारे में भाजपा का मानना है कि एकरूपता ही एकता है, वहीं कांग्रेस एकता और विविधता में विश्वास रखती है। हमारे लिए विविधता ही एकता का उत्सव है। भाजपा इस विविधता के खिलाफ रही है। भाजपा हर कानून, हर योजना, हर नाम हिंदी या संस्कृत में रखती है। किसी और भाषा को स्थान क्यों नहीं देती है? भाजपा छोटी क्षेत्रीय पहचानों को दबाना और अपने में शामिल करना चाहती है। यहीं से उत्तर और दक्षिण के बीच प्रतिरोध आता है।

● भारत में हर क्षेत्र अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन उनकी हिंदी से ऐसी नफरत नहीं दिखती जैसी तमिलनाडु में दिखती है? ऐसा क्यों?

●● यह साठ के दशक की बात है जब हिंदी को अनिवार्य बनाने की बात आई थी। वैकल्पिक से अनिवार्य की ओर बढ़ती हिंदी ने ही तमिलनाडु में पहचान आधारित आंदोलन खड़ा किया। इसी भाषाई पहचान के संघर्ष के कारण द्रमुक जैसी पार्टी खड़ी हुई और वहां भाषाई पहचान जनआंदोलन के रूप में उभरा। तमिल पहचान धर्म या किसी और चीज के इर्द-गिर्द नहीं बल्कि भाषा की पहचान की परिधि में घूमती है।

कार्ति क्यों

राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की और वायनाड से चुनाव लड़े। रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस के भविष्य को देखते हुए उन्होंने वायनाड को वरीयता दी। बजरिए दक्षिण भारत कांग्रेस को राजनीतिक पुनर्जन्म मिलने के बाद भारतीय राजनीति में उत्तर बनाम दक्षिण भारत की बहस तेज हो गई है। राजनीति के केंद्र दिल्ली में दक्षिण भारत के सांसद मुखर हैं और क्षेत्रीय विविधता के जश्न को ही भारत की असली एकता बता रहे हैं। इसी विविधता के तहत सनातन को लेकर भी विवाद उठा। दक्षिण भारत के दल जातिगत जनगणना की भी पुरजोर वकालत कर रहे हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ विचारधारा के दल ही मुख्य राजनीतिक शक्ति हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण के इस उदय को समझने के लिए कार्ति चिदंबरम से बेहतर कौन होता?

● राष्ट्रीय भाषा की अवधारणा से आखिर दिक्कत क्या है?

●● यह अवधारणा ही समस्या की शुरुआत है। आप सुविधा के लिए किसी भाषा को अपना सकते हैं, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। मेरे बहुत से सहयोगी नियमित तौर पर दिल्ली में रहते हैं तो सुविधानुसार धाराप्रवाह हिंदी बोलते हैं। लेकिन, तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग जिनका इधर से कोई व्यावसायिक नाता नहीं है या जो मध्य पूर्व जैसी जगहों पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए हिंदी क्यों अनिवार्य होनी चाहिए? कोई अपनी सुविधा और पसंद से किसी भाषा को सीखता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही आप भाषा को अनिवार्य करने के नाम पर जबरन थोपिएगा तो फिर प्रतिरोध होगा।

> कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी में यह संभव नहीं है कि हर किसी की महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए। हर कोई अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करता ही है। कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी से हर पलायन विचारधारा के स्तर पर हो रहा है।

जनसत्ता रविवारी के नियमित स्तंभ सोमवार को पेज सात पर पढ़ें।

● केरल में खाता खोलने के साथ दक्षिण भारत में भाजपा अपनी पैठ बना रही है। इसे आप कैसे देखते हैं?

●● केरल में भाजपा को एक सीट सुरेश गोपी ने दिलाई है। गौरतलब है कि सुरेश गोपी लोकप्रिय फिल्म कलाकार हैं। उन्होंने अपनी छवि को एक ब्रांड की तरह स्थापित किया है। लोग उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पसंद करते हैं। इसलिए गोपी सुरेश की जीत को भाजपा की बढ़त के रूप में नहीं देखा जा सकता। तमिलनाडु में भी यही स्थिति है। वहां अभी भी भाजपा का वोट फीसद इकाई संख्या में है। भाजपा वहां अपने दम पर कोई भी सीट नहीं जीत सकती है। यही हाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी है। कर्नाटक में उसने जगह बनाई है। यह बात सही है कि दक्षिण भारत में भाजपा अपनी स्थिति में सुधार कर रही है, वोट बढ़ा रही है।

● दक्षिण भारत में भाजपा की स्थिति में सुधार होना कांग्रेस के लिए खतरे का संकेत तो नहीं?

●● बिल्कुल नहीं। आप यह समझिए कि तमिलनाडु में 1967 से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। वास्तव में दो द्रविड़ दल वहां मुख्य शक्ति हैं। हम अच्छे समय में वहां तीसरी शक्ति तो बुरे समय में चौथी या पांचवीं शक्ति रहे हैं। हमने वहां मूल्यपरक गठबंधन राजनीति की है। तमिलनाडु में अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने के लिए अभी हमें बहुत संघर्ष करना होगा।

● 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल गांधी की 'मोहब्बत की दुकान' ने उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। लेकिन ऐसे समय में दक्षिण भारत से 'सनातन' के लिए नफरत भरे बोल आए। 'सनातन' पर क्या दृष्टिकोण है?

●● यह बात पूरी तरह से गलत है। मुझे उम्मीद है कि आज मैं इस गलतफहमी को पूरी तरह से दूर कर दूंगा। पूरे भारत में तमिल सबसे ज्यादा पारंपरिक, आनुष्ठानिक धार्मिक समुदाय है। मैं खुद बिना अपने पूजा कक्ष में गए घर से बाहर नहीं निकलता, रुद्राक्ष की माला पहनता हूं। मैं खुद इतनी बार मंदिर जाता हूं कि आपके कई पाठक भी उतनी बार मंदिर नहीं गए होंगे। सबसे पुराने वैदिक मंदिर तमिलनाडु में हैं। यहां सबसे ज्यादा मंदिर हैं। पूरे भारत की तुलना में सबसे ज्यादा नारियल तमिल फोड़ते हैं। हम सबसे ज्यादा धार्मिक लोग हैं। कृपया यह समझिए कि सनातन एक संस्कृत शब्द है। यह वैसा तमिल शब्द नहीं है जिसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। मुझे धार्मिक संस्कार अपनी दादी से मिले। हमारे यहां कोई यह नहीं कहता कि चलो आओ और सनातन धर्म का पालन करो। मैं फिर से जोर देकर कहता हूं कि तमिलनाडु में सनातन एक खास अर्थ में ही इस्तेमाल होता है। यहां यह सिर्फ जाति पदाक्रम को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बात उदयनिधि स्टालिन ने कही थी और मैं उनके लिए स्पष्टीकरण देनेवाला कोई प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि स्टालिन ने यह बात जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए कही थी न कि धार्मिक प्रथाओं को। अभी ऐसा दिखता है कि गणेश उत्सव सिर्फ महाराष्ट्र का त्योहार है। तमिलनाडु में हजारों साल से गणेश उत्सव होते रहे हैं। मेरे निर्वाचन इलाके में प्राकृतिक चट्टान की संरचना से बना प्राचीन गणेश मंदिर है जो सबसे खूबसूरत गणेश मंदिरों में से एक है। तमिलनाडु के लोगों ने धर्म को उसके शुद्धतम रूप में संरक्षित रखा है।

● तमिलनाडु में जातिगत विभाजन भी बहुत ज्यादा है। खास कर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच।

●● हमारे समाज में ब्राह्मण दो फीसद से भी कम हैं। शिक्षा की परंपरा में उनकी पहुंच के कारण वे विशेषाधिकार प्राप्त समूह बन गए। साठ के दशक में इनके एकाधिकार के विरोध में द्रविड़ आंदोलन ने जन्म लिया। लेकिन पिछले पचास वर्षों में किसी एक भी ब्राह्मण पर उसके ब्राह्मण होने के कारण शारीरिक हिंसा नहीं हुई। राजनीति में ज्यादा न हों लेकिन कला, संस्कृति, नौकरशाही और अन्य जगहों पर उनका अच्छा प्रदर्शन है। उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। तमिलनाडु में आज भी ब्राह्मण एक प्रभावशाली समुदाय है।

● जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों? क्या यह समाज में किसी तरह की सकारात्मकता लाएगा?

●● सवाल यह है कि हम जातिगत जनगणना के आंकड़ों का क्या करेंगे? उदाहरण के तौर पर मैं देश में बाएं हाथ से काम करने वालों का डाटा इकट्ठा कर रहा हूं। क्योंकि उन्हें बहुत सी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर दरवाजे, चाबी दाएं हाथ से ही खुलते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ दाएं हाथ को ही प्रमुख मान कर बनाई जाती हैं। इससे बाएं हाथ को प्रमुख रखने वालों के साथ भेदभाव हो रहा है। मैं बाएं हाथ को प्रमुख मानने वालों की दिक्कतों को खत्म करने के लिए आंकड़ा इकट्ठा कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब दाएं हाथ को प्रमुख मानने वालों से किसी तरह का भेदभाव होगा। बाएं हाथ के आंकड़ों से दाएं हाथ को किसी तरह का खतरा नहीं है। अभी तक उच्च वर्ग से आने वाले लोग ही यह कहते हैं कि मैं जाति में विश्वास नहीं रखता। हमारे देश में जाति एक वास्तविकता है। इसलिए हमें अपनी नीतियों को बनाने के लिए ऐसे आंकड़ों की जरूरत है कि विभिन्न लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है। कृपया आंकड़े संग्रह का विरोध मत कीजिए, यह बहस कीजिए कि हम आंकड़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं।

> अभी तक उच्च वर्ग से आने वाले लोग ही यह कहते हैं कि मैं जाति में विश्वास नहीं रखता। हमारे देश में जाति एक वास्तविकता है। इसलिए हमें अपनी नीतियों को बनाने के लिए ऐसे आंकड़ों की जरूरत है कि विभिन्न लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है।

● इसका मकसद तो बताया जा रहा है, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।

●● इसका मकसद यही है कि हमें नीति बनानी है। हर तरह के संसाधनों की पहुंच सबके पास हो। यह विस्तृत आर्थिक और सामाजिक अध्ययन भी होगा।

● एक समय में जवाहरलाल नेहरू जातिगत आरक्षण के विरोधी थे। आज पार्टी नेतृत्व का जोर इस पर है। लेकिन, जब पार्टी कहती है कि एक समय बिंदु पर जाकर आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे तो इसका क्या मतलब है?

●● अमेरिका से लेकर कई जगहों पर आरक्षण से कई सकारात्मक नीतियां बनीं। इसका और भी आधार हो सकता है। तमिलनाडु के मेडिकल कालेजों में उन विद्यार्थियों के लिए 7.5 फीसद का आरक्षण है जो सरकारी स्कूलों से पढ़ कर आए हैं। अब सरकारी स्कूलों में वंचितों, शोषितों के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो यह ऐसा मानदंड बन गया जिसका फायदा वंचित तबके के लोगों को ही मिलेगा। हमारे पास कोई आर्थिक आंकड़ा नहीं है तो हमें दूसरे कारकों के साथ आना पड़ेगा। मसलन कोई किस तरह के स्कूल में गया है, उनके माता-पिता के पास किस तरह की शैक्षणिक योग्यता है। अभी हमारे पास आरक्षण ही एकमात्र कारक है। इस संदर्भ में हमें और कारकों को जोड़ना होगा।

● भाजपा ने हिंदुत्व के साथ वंशवाद का मुद्दा उठाया और कांग्रेस की छवि को इससे नुकसान भी पहुंचा।

● एक राजनीतिक परिवार से आने के कारण मैं भी इसके लाभार्थियों में हूं और राजनीति में वंशवाद से इनकार नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेस को लेकर भाजपा का दुष्प्रचार है। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नजर उठा कर देख लीजिए कौन सी पार्टी में वंशवाद नहीं दिखेगा। और यह सिर्फ भारत की राजनीति तक सीमित नहीं है। पूरे दक्षिण एशिया की यही स्थिति है। आश्चर्यजनक रूप से जापान में 70 फीसद जनप्रतिनिधि राजनीतिक परिवारों से आते हैं। भाजपा या प्रधानमंत्री को लगता है कि वंशवाद भारतीय राजनीति के लिए इतनी बड़ी समस्या है तो उन्हें तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी पार्टी से शुरू करना चाहिए।

● भाजपा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार का भी पर्याय बना दिया। आप पर भी आरोप है।

●● राजनीति एक महंगी प्रक्रिया है। भाजपा के पास अधिक संसाधन थे तो वह अपने संचार साधनों से कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हुई। दुखद है कि भाजपा के दुष्प्रचार को रोकने में हम नाकामयाब रहे। चुनावी चंदे से लेकर अभी जो साठगांठ का पूंजीवाद चल रहा है, भाजपा का भ्रष्टाचार सबके सामने है। मेरे खिलाफ आरोपपत्र को पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। एक आरोपपत्र 9.86 लाख का है टीडीएस काटने और सेवा कर जोड़ने के बाद, दूसरा 25 लाख रुपए का है जिसमें दुर्भाग्य से आठ आइएएस अधिकारी भी आरोपी बनाए गए हैं। ये मामले समय के साथ स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएंगे।

● क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं आप?

●● प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी एक शख्सियत होती है। मैं उनके सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी भी तरह से सहमत नहीं हूं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव जीतने को लेकर डटे रहते हैं। ऐसा लगता है कि इसके अलावा उनका कोई लक्ष्य और रुचि नहीं है। उनका कोई सामाजिक जीवन नहीं दिखता। वे चौबीस गुणे सात जुटे रहने वाली चुनावी मशीन हैं। चुनाव केंद्रित रहना ही उनकी खासियत है। ऐसा होना आसान नहीं होता है।

● क्या आपको लगता है कि भाजपा की अजेय वाली छवि टूट चुकी है?

●● लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साबित किया कि भाजपा एक घटती हुई शक्ति है। निश्चित तौर पर 2029 में बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखेगा।

● आप अपने पार्टी नेतृत्व को कोई सलाह देना चाहते हैं?

●● कांग्रेस को अपने क्षेत्रीय नेताओं को और सशक्त बनाने पर जोर देना चाहिए ताकि वे अपनी क्षेत्रीय इकाइयों का समाधान कर सकें और वहां की संवेदनशीलता के हिसाब से राजनीतिक फैसले कर सकें।

प्रस्तुति : मृणाल वल्लरी
विशेष सहयोगः सुशील राघव

'हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि राजभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती, क्योंकि वे एक-दूसरे की पूरक हैं। साथ ही कहा कि राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार तब तक नहीं हो सकता, जब तक अन्य सभी भारतीय भाषाओं को मजबूत नहीं किया जाता।

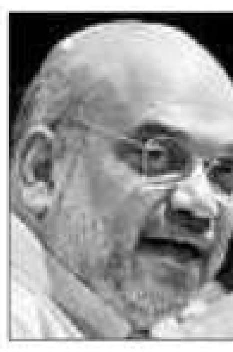

अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में कहा कि हिंदी को संपर्क भाषा, आम भाषा, तकनीकी भाषा और अब अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाने का संकल्प लेने का अवसर है। हम हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती मना रहे हैं। राजभाषा विभाग हिंदी से आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में अनुवाद के लिए एक पोर्टल भी ला रहा है, जिसके माध्यम से कृत्रिम मेधा का उपयोग करके बहुत ही कम समय में किसी भी पत्र या भाषण का सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करके और हिंदी के माध्यम से देश की सभी स्थानीय भाषाओं को जोड़कर हम संस्कृति, भाषाओं, साहित्य, कला एवं व्याकरण के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनके दोनों मंत्रालयों- गृह और सहकारिता की फाइल के माध्यम से सभी संचार हिंदी में किए जाते हैं। इस स्तर तक पहुंचने में तीन साल लगे हैं।

उन्होंने कहा कि संविधान सभा की भावना यह थी कि देश के सभी नागरिकों को एक-दूसरे के साथ किसी भारतीय भाषा में संवाद करना चाहिए, चाहे वह हिंदी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो या गुजराती हो। इस वर्ष हिंदी दिवस सभी के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था और तब से 75 साल हो गए हैं।

बारामूला में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़
तीन आतंकवादी ढेर, अभियान जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में शनिवार को तीन आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले में पट्टन इलाके के चक टप्पर क्रीरी में सुरक्षाबलों ने शुक्रवार देर रात घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था।

पुलिस अधिकारी के अनुसार इलाके में तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षाबलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था और सुबह हुई मुठभेड़ में उन्होंने तीन आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि वे किस संगठन से जुड़े थे। अभियान अभी जारी है।

उधर, राजौरी में सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी घायल हो गया। मुठभेड़ नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में उस समय हुई जब नियंत्रण रेखा की रखवाली कर रहे सेना के जवानों ने इस तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के एक समूह को रोका। पिछले एक हफ्ते में नौशेरा में आतंकियों द्वारा घुसपैठ की यह दूसरी कोशिश थी। इससे पहले नौ सितंबर को इस सेक्टर के लाम इलाके में नियंत्रण रेखा के पास भारी हथियारों से लैस दो आतंकी मारे गए थे। सेना के जवानों ने कुछ आतंकियों को देखा और उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद कुछ समय तक गोलीबारी जारी रही। आतंकी पास के जंगल में भाग गए और उन्हें ढूंढने और बेअसर करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में हाल में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ों के बाद सुरक्षाबलों ने शनिवार को किश्तवाड़, उधमपुर, पुंछ और राजौरी जिलों के कुछ हिस्सों में आतंकवाद रोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर में उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के ऊपरी इलाकों में 11 सितंबर को हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े दो आतंकी मारे गए। इसके बाद, किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशंड अधिकारी समेत दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए, जबकि दो अन्य घायल हो गए जिसके बाद तलाश अभियान चलाया गया।

अधिकारियों ने बताया, राजौरी में भी नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी के साथ मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी घायल हो गया।

एक हफ्ते में नौशेरा में आतंकियों द्वारा घुसपैठ की यह दूसरी कोशिश थी। इससे पहले नौ सितंबर को हथियारों से लैस दो आतंकी मारे गए थे।

किश्तवाड़ जिले में छतरू पट्टी के अंतर्गत पिंगनल दुग्गा के जंगलों में संयुक्त अभियान दूसरे दिन भी जारी है और आतंकियों की खोज कर रहे दलों की मदद के लिए अतिरिक्त बलों को बुलाया गया है। दो जवानों के शहीद होने और दो अन्य के घायल होने संबंधी घटना के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के मकसद से यह अभियान चलाया जा रहा है। इलाके को चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई है और सुरक्षाबल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकी मुठभेड़ के बाद अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए थे।

'सपा प्रमुख को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणी कि 'मठाधीशों और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं' को लेकर शनिवार को उनपर निशाना साधा। विहिप ने साथ ही यादव से इस मुद्दे पर माफी मांगने की मांग की।

अखिलेश की 'मठाधीश माफिया' टिप्पणी पर विहिप ने उठाई मांग।

अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है। सपा प्रमुख की यह टिप्पणी उस समय आई जब उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आरोप पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी कि वह अपराधियों की जाति बता रहे हैं। विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने यादव की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे 'अत्यंत निंदनीय और आपत्तिजनक' करार दिया। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है। अखिलेश यादव अक्सर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू मान्यताओं और संतों का अपमान करते रहे हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक वह हिंदू समुदाय का अपमान करेंगे, उनका वोट बैंक उतना ही खुश होगा।

उन्होंने यादव की टिप्पणी पर विपक्षी इंडिया गठबंधन की चुप्पी को भी लेकर सवाल उठाया और कहा कि ऐसा लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत सनातन हिंदू समाज को अपमानित किया जा रहा है। अखिलेश यादव व उनके गठबंधन के नेताओं को अपने हिंदू विरोधी बयान के लिए पूज्य संतों सहित समस्त हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए।

प्रधानमंत्री के आवास में बछिया का जन्म

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

प्रधानमंत्री मोदी के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में एक नई सदस्य-बछिया का आगमन हुआ है जिसका नाम 'दीपज्योति' रखा गया है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' के जरिए सूचना दी कि 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आवासीय परिसर में 'गो माता' ने एक बछिया को जन्म दिया है।

उन्होंने अपने आवास पर बछिया के साथ समय बिताते हुए अपना एक वीडियो भी साझा किया। मोदी ने 'एक्स' पर लिखा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 'गावः सर्वसुख प्रदा:'। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। मेरे आवास में प्रिय गो माता ने एक 'नव वत्सा' को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिह्न है इसलिए, मैंने इसका नाम 'दीपज्योति' रखा है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि 7, लोक कल्याण मार्ग में एक नई सदस्य! दीपज्योति वाकई बहुत प्यारी है। प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें वे अपने आवास पर बछिया के साथ समय बिताते दिख रहे हैं।'एक्स' पर साझा किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री बछिया को अपने आवास ले जाते हुए, घर के मंदिर में उसके साथ बैठते हुए और उसे बगीचे में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें वे अपने आवास पर बछिया के साथ समय बिताते दिख रहे हैं।

उन्होंने लिखा, मेरे आवास में प्रिय गो माता ने एक 'नव वत्सा' को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिह्न है इसलिए, मैंने इसका नाम 'दीपज्योति' रखा है।

आस्था

हैदराबाद में शनिवार को भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए शोभायात्रा में भाग लेते श्रद्धालु।

डाक्टर की बलात्कार-हत्या मामले में पूर्व प्राचार्य व थाना प्रभारी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 14 सितंबर (ब्यूरो)।

आरजी कर मेडिकल कालेज में महिला डाक्टर की बलात्कार-हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को पूर्व प्राचार्य डा संदीप घोष और टाला थाने के तत्कालीन प्रभारी (ओसी) अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर दिया। दोनों को रविवार को सियालदह की अदालत में पेश किया जाएगा।

संदीप घोष पहले से ही सीबीआइ की हिरासत में हैं। घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू की है। कई जगह छापेमारी हुई है। वित्तीय अनियमितता के मामले में घोष को 23 सितंबर तक जेल हिरासत में भेजा गया है। आरजी कर हत्याकांड मामले में 36 दिन बाद पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर छात्रों और जूनियर डाक्टरों ने कहा, 'न्याय की दिशा में एक कदम उठाया गया है। लेकिन इसमें 35 दिन क्यों लगे ये भी हमारा सवाल है। पुलिस ने बताया कि घोष और मंडल को सबूत नष्ट करने और जांच को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआइ संदीप घोष का सच से सामना परीक्षण (पालीग्राफ टेस्ट) भी करा चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआइ को पिछले महीने आरजी कर अस्पताल में हत्याकांड की जांच पर प्रगति रपट प्रस्तुत करने के लिए सीबीआइ को तीन सप्ताह का समय दिया था। रपट 17 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है।

कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधवी बुच पर फिर साधा निशाना, कहा
तनाव के बीच चीनी कंपनियों में कर रहीं हैं निवेश

नई दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा)।

कांग्रेस ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधवी बुच पर शनिवार को एक बार फिर निशाना साधा और उन पर चीन की कंपनियों में निवेश का आरोप लगाते हुए कहा कि वह ऐसे समय यह सब कर रही हैं जब भारत चीन के साथ भू-राजनीतिक तनाव का सामना कर रहा है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधवी बुच की इस गतिविधि से अवगत हैं? उन्होंने पूछा, क्या प्रधानमंत्री इस बात से अवगत हैं कि सेबी प्रमुख के पास जब अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी थी, तब भी वह सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में व्यापार कर रही थीं अमेरिकी संस्था 'हिंडनबर्ग रिसर्च' ने हाल ही में बुच पर अडाणी समूह से जुड़े मामले में हितों के टकराव का आरोप लगाया था। इसके बाद से कांग्रेस उन्हें हटाए जाने की मांग कर रही है। माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने अनियमितता बरतने और हितों के टकराव को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा था कि ये आरोप 'गलत, प्रेरित और मानहानिकारक' हैं। बुच ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोप उनके द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न में दर्ज विवरणों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय मामलों से जुड़ी सभी सूचनाओं का उनकी तरफ से पूरी तरह खुलासा किया गया है और करों का उचित भुगतान भी किया गया है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, सेबी प्रमुख ने संवेदनशील जानकारियां रखते हुए भी किया सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में कारोबार।

जयराम रमेश ने बुच के 'व्यक्तिगत वित्तीय लाभ से संबंधित खुलासों' का उल्लेख करते हुए 'एक्स' पर कहा कि क्या प्रधानमंत्री इस बात से अवगत हैं कि सेबी प्रमुख के पास जब अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी थी, तब भी वह सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में व्यापार कर रही थीं?'उन्होंने यह भी पूछा, 'क्या प्रधानमंत्री इस बात से अवगत हैं कि माधवी बुच ने भारत के बाहर उच्च मूल्य के निवेश किए हैं?

पेज 1 का बाकी

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा : मोदी

राजनीति ने इस सुंदर क्षेत्र को भीतर से खोखला कर दिया। जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने कभी आपके बच्चों की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों की परवाह की और उन्हें आगे बढ़ाया तथा नए नेतृत्व को उभरने नहीं दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश की 'सबसे बेईमान पार्टी' है, जिसका नेतृत्व एक 'भ्रष्ट परिवार' कर रहा है। उन्होंने अमेरिका में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक भारतीय पत्रकार से कथित तौर पर बदसलूकी की घटना को लेकर भी चिंता व्यक्त की। 2014 में केंद्र में उनकी सरकार बनने के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर में युवा नेतृत्व तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवा आतंकवाद का दंश झेलते रहे हैं। उन्होंने को गुमराह करके परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों ने सत्ता का आनंद लिया और युवा नेताओं को जड़ें नहीं जमाने दीं।

मोदी ने कहा कि 2000 के बाद से पंचायत चुनाव नहीं हुए थे और प्रखंड विकास परिषद व जिला विकास परिषद के चुनाव कभी नहीं हुए थे, 2014 के बाद, मैंने युवा नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश की, 2018 में पंचायत चुनाव, 2019 में बीडीसी चुनाव और 2020 में डीडीसी चुनाव कराए। ये चुनाव कराने का उद्देश्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाना था, ताकि युवा कमान संभाल सकें। मोदी ने जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का वादा किया और घोषणा की कि जल्द ही कश्मीर घाटी तक रेलगाड़ियां पहुंचेंगी।कांग्रेस, नैकां और पीडीपी पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टियां कभी नहीं चाहती थीं कि युवा राजनीति में आएं, लेकिन 'हमने उनके मंसूबों को चुनौती दी और इसका परिणाम यह हुआ कि (स्थानीय निकाय चुनावों में) हजारों युवा निर्वाचित हुए।' प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में जम्मू-कश्मीर ने विकास का एक नया दौर देखा है और इसका श्रेय इन निर्वाचित युवाओं को जाता है। उन्होंने कहा कि मैं उनके योगदान के लिए उन्हें सलाम करता हूं। मोदी ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव तीन परिवारों और युवाओं के बीच है। एक तरफ वे तीन परिवार हैं और दूसरी तरफ मेरी बेटियां और बहनें हैं, जो अपने सपनों से प्रेरित हैं।प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, नैकां और पीडीपी ने पाप से कम कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये तीन परिवार जम्मू-कश्मीर को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और भूमि हड़पने वालों का बढ़ावा दिया तथा लोगों को उनके अधिकारों व सुविधाओं से वंचित किया। उन्होंने अलगाववाद और आतंकवाद के लिए जमीन तैयार की और केवल उनसे जुड़े लोगों को ही सरकारी नौकरियां दीं।

मेरठ : तीन मंजिला मकान गिरा, बच्ची समेत तीन लोगों की मौत

जा चुका है, जिनमें से तीन की मौत हो गई और तीन घायलों को लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शाम करीब सवा पांच बजे हुई और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सूचित कर दिया गया। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जाकिर कालोनी में तीन मंजिला एक मकान के गिरने की पुष्टि करते हुए कहा कि छह लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और बचाव कार्य जारी है।

हादसे में जिसमें डेढ़ साल की मासूम, 40 साल के साजिद समेत तीन लोगों की मौत हो गई। कई लोगों की हालत गंभीर है। देर रात तक राहत एवं बचाव कार्य जारी रहा। बचाव अभियान की निगरानी के लिए मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक डीके ठाकुर, मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे, पुलिस महानिरीक्षक नचिकेता झा, जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा समेत वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दमकल विभाग और पुलिस की टीम मलबे से लोगों निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री नहीं, आपकी दीदी के तौर पर अंतिम कोशिश करने आई हूं

घर के दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें भीतर आने, चाय पीने और बातचीत के लिए मनाने की कोशिश करती रहीं। वापस लौटकर डाक्टरों ने दोबारा राज्य सरकार को बातचीत की पेशकश करते हुए ई-मेल भेजा है। इस बीच वार्ता नहीं हो पाने को लेकर डाक्टरों ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील पर वे सीधे प्रसारण की अपनी मांग से पीछे हटते हुए बैठक में शामिल होने पर सहमत हो गए थे, लेकिन उन्हें 'असंवेदनशील तरीके से' कार्यक्रम स्थल से चले जाने को कहा गया। मुख्यमंत्री आवास से जाने से पहले एक आंदोलनकारी डाक्टर ने कहा कि वे सीधा प्रसारण या वीडियो रिकार्डिंग के बिना ही बैठक में शामिल होने पर राजी हो गए थे, जैसा कि बनर्जी ने अनुरोध किया था।

जूनियर डाक्टरों ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें नजर आ रहा है कि भट्टाचार्य उनसे वहां से चले जाने को कह रही हैं क्योंकि काफी देर हो चुकी है। वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हम तीन घंटे से इंतजार कर रहे हैं पर आप लोग अन्दर नहीं आए। अब बहुत देर हो चुकी है।' इससे पहले साल्टलेक में डाक्टरों के धरना स्थल पर मुख्यमंत्री ने कहा, चिकित्सक बारिश के बीच सड़क पर धरना दे रहे हैं। यह बात उन्हें परेशान कर रही है और इसकी वजह से वह सो नहीं पा रही हैं। बनर्जी ने कहा कि वह उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगी क्योंकि वह लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने में विश्वास नहीं रखतीं व बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है। हालांकि, मुख्यमंत्री के जाने के बाद आंदोलनकारी चिकित्सकों ने कहा कि वे बातचीत होने तक अपनी मांगों को लेकर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। बनर्जी डीजीपी राजीव कुमार के साथ अचानक अपराह्न करीब एक बजे सेक्टर पांच स्थित धरनास्थल पर पहुंचीं। बनर्जी ने कहा, 'मैं आपसे मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि आपकी 'दीदी' के तौर पर मिलने आई हूं।' मैं आपको आश्वासन देती हूं कि आपकी मांगों पर गौर करूंगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई करूंगी।'

उन्होंने धरने पर बैठे चिकित्सकों से काम पर लौटने का आग्रह करते हुए कहा कि वह उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगी। बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सकों के काम पर लौटने के लिए 10 सितंबर की समयसीमा तय की थी और वह नहीं चाहतीं कि प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को परेशानी उठानी पड़े। उन्होंने कहा, इस मामले पर सुनवाई होगी। मैं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को परेशानी हो... अगर आप मुझ पर भरोसा रखते हैं, तो मैं आपकी शिकायतों पर गौर करूंगी। उन्होंने कहा, अगर आप काम पर लौटना चाहते हैं, तो मैं आपसे वादा करती हूं कि आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मैं अकेले सरकार नहीं चलाती। मैं आपकी मांगों पर मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के साथ चर्चा करूंगी। बनर्जी ने सीबीआइ से आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के मामले की जांच जल्द पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई दोषी पाया गया तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगी। मुझे बस इतना ही कहना है।

बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से सीबीआइ से बात करने के लिए कहा, जो बलात्कार व हत्या मामले की जांच कर रही है। बनर्जी ने कहा कि जब जूनियर डाक्टर सड़क पर थे, तो वह भी यह सुनिश्चित करने के लिए जाग रही थीं कि वे सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा, शुक्रवार को पूरी रात बारिश हुई। जिस तरह से आप यहां बैठे हैं, मैं उससे आहत हूं। मैं भी पिछले 34 दिन से रात-रात भर नहीं सोई हूं। क्योंकि अगर आप सड़क पर हैं, तो मुझे भी एक 'गार्ड' के रूप में जागना होगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) का इस्तेमाल किया गया।

उन्होंने कहा, 'मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। यह उत्तर प्रदेश नहीं है।' उन्होंने एस्मा लागू कर दिया था और सभी तरह की हड़तालों व रैलियों पर रोक लगा दी थी। लेकिन निश्चित रहें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं डाक्टरों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई के खिलाफ हूं। मुझे पता है कि आप नेक काम करते हैं। वरिष्ठों (डाक्टरों) को आपकी जरूरत है। मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचें। अगर मैं आपके साथ खड़े होने के लिए इस विरोध स्थल पर आ सकती हूं, तो मैं न्याय भी सुनिश्चित कर सकती हूं और आपकी मांगों को सुन सकती हूं।'

उन्होंने कहा, 'मैं लोकतांत्रिक आंदोलनों का सम्मान करती हूं। मैं भी छात्र आंदोलनों से राजनीति में आई हूं और सिंगूर भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रही हूं।' बनर्जी ने यह घोषणा भी की कि सभी सरकारी अस्पतालों की रोगी कल्याण समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'सभी अस्पतालों की रोगी कल्याण समितियों को भंग कर दिया जाएगा और नई समितियां बनाई जाएंगी। आरजी कर की रोगी कल्याण समिति को भी भंग किया जा रहा है।

उत्तराखंड में बारिश का कहर, चार की मौत

हुई। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से 3.9 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने रविवार को भी कई इलाकों में मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने रविवार को मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान जताया है।

उधर, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने के कारण शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 5 (भारत-तिब्बत मार्ग) सहित कुल 156 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गईं। पिथौरागढ़ में शुक्रवार अपराह्न लगभग डेढ़ बजे भारी बारिश के कारण गणकोट गांव में बुद्धा मंदिर के समीप एक आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण उसके मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान देवकी देवी उपाध्याय (75) के रूप में हुई। पिथौरागढ़ के गणकोट में ही एक अन्य घटना में अतिवृष्टि के दौरान भूस्खलन होने से मलबे के नीचे दबकर 22 वर्षीय विपिन कुमार घायल हो गया।

पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में उच्च हिमालयी क्षेत्र ज्योलिंगकांग में कैलाश चोटी के दर्शन के लिए गए पंजाब के जलंधर के रहने वाले एक पर्यटक की आक्सीजन की कमी से मौत हो गई। पर्यटक की पहचान स्वदेश नन्वाहल के रूप में हुई है। वहीं, चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में भारी बारिश से दो घटनाओं में दो महिलाओं की मौत हो गई और एक पुरुष लापता हो गया। लोहाघाट के ढोरजा गांव में अतिवृष्टि के कारण एक गोशाला के ऊपर मलबा गिरने से उसमें काम कर रही एक महिला दब गई। महिला की पहचान 58 वर्षीय माधवी देवी के रूप में हुई।

एक अन्य घटना लोहाघाट के मटियानी गांव में हुई जहां भूस्खलन होने से महिला की मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य लापता हो गया। मृतक महिला की पहचान 60 वर्षीय शांति देवी के रूप में हुई है। घटना में जगदीश सिंह नाम का पुरुष लापता हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। उधर, उधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में कौंधा अशरफ गांव में अपने खेत में चारा काट रहा गुरनाम सिंह पास ही स्थित कैलाश नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से उसके तेज बहाव में बह कर लापता हो गया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, करीब 500 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।

उधमसिंह नगर की खटीमा तहसील के खेतलसंडाखाम गांव के 34 परिवारों के 180 व्यक्तियों को गांव में ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय ले जाया गया जबकि नानकमत्ता क्षेत्र के बिचुआ और टुकड़ी गांवों के 14 परिवारों के 70 लोगों को प्राथमिक विद्यालय बिचुआ पहुंचाया गया। चंपावत जिले के पूर्णागिरि क्षेत्र में छीनीगोठ में 25 व्यक्तियों को राहत शिविर में रखा गया है जबकि चंपावत तहसील में 200 व्यक्तियों को रैन बसेरा, 50 व्यक्तियों को राजकीय इंटर कालेज स्वाला तथा 110 अन्य व्यक्तियों को अमोड़ी में रखा गया है।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT.

TrafikSol®
The Soul of Traffic Safety

TRAFIKSOL ITS TECHNOLOGIES LIMITED

(Formerly known as Trafiksol ITS Technologies Private Limited)
Corporate Identity Numbers: U72900UP2018PLC101608

Our Company was originally incorporated on March 05, 2018, as a private limited Company under the name and style of Trafiksol ITS Technologies Private Limited under the provisions of Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Kanpur Uttar-Pradesh bearing Registration No. 101608. Thereafter, our Company was converted from private limited to public limited and the name of our Company was changed from "Trafiksol ITS Technologies Private Limited" to "Trafiksol ITS Technologies Limited" vide fresh certificate of incorporation dated May 18, 2024 issued by the Central Processing Centre, Gurgaon, Haryana. The Corporate Identification Number of our Company is U72900UP2018PLC101608.

Registered Office: 2nd Floor, B 68, Sector 63, Noida, Gautam Buddha Nagar, Noida 201 301, Uttar Pradesh, India.
Tel No: +91 120 4149514 | **E-mail:** info@trafiksol.com | **Website:** www.trafiksol.com
Company Secretary and Compliance Officer: Dipak Kumar Pandey

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE JITENDRA NARAYAN DAS AND POONAM DAS

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED (BSE SME)."

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 64,10,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF TRAFIKSOL ITS TECHNOLOGIES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "TRAFIKSOL" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 70/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING TO ₹ 4,487.00 LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 3,22,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 70/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 225.40 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 60,88,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 70/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING TO ₹ 4,261.60 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.34% AND 25.02% % RESPECTIVELY OF THE POST - ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ISSUE PRICE: ₹ 70.00 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH.
ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE: ₹ 70.00 PER EQUITY SHARE
THE ISSUE PRICE IS 7.0 TIMES OF THE FACE VALUE

RISKS TO INVESTORS

1. Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Offer. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Offer Price or at all.
2. ***The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:***

Sr. No.	Name of Promoters	No of Equity Shares held	Average Cost of Acquisition (in ₹)
1.	Poonam Das	96,76,650	Negative
2.	Jitendra Narayan Das	12,06,185	Negative

The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoter have been calculated by taking into account the amount paid by them to acquire and Shares allotted to them as reduced by amount received on sell of shares i.e., net of sale consideration is divided by net quantity of shares acquired.

3. **Weighted average cost of acquisition, Issue Price.**

Based on the disclosures in (a) above, the weighted average cost of acquisition of Equity Shares as compared with the Issue Price is set forth below:

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Share) ^	Floor Price (₹ 66)	Cap Price (₹ 70)
Weighted average cost of acquisition of primary issuances	1,257.27/-	0.05	0.05
Weighted average cost of acquisition for secondary transactions	63.08/-	1.05	1.10

4. The Price/ Earnings ratio based on Consolidated Diluted EPS for Fiscal year 2022-23 and fiscal year 2023-24 for the company at the upper end of the Price Band are 24.63 and 9.75 respectively.

The Price/ Earnings ratio based on Standalone Diluted EPS for Fiscal year 2022-23 and fiscal year 2023-24 for the company at the upper end of the Price Band are 25.00 and 9.81 respectively.

5. Average Return on Net worth Consolidated Basis for Fiscal year 2022-23 and for fiscal year 2023-24 is 39.53% and 35.44% respectively.

Average Return on Net worth Standalone Basis for Fiscal year 2022-23 and for fiscal year 2023-24 is 39.03% and 35.30% respectively.

BID / ISSUE PROGRAMME	
	ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS MONDAY, SEPTEMBER 09, 2024
	BID/ISSUE OPENED ON TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024
	BID/ISSUE CLOSED ON THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "Issue Procedure" beginning on page 237 of the Prospectus.

The bidding for Anchor investors opened and closed on Monday, September 09, 2024. The Company received 5 Anchor Investor Application Forms from 5 Anchor Investors (including **Nil** Mutual Funds through **Nil** Mutual Fund schemes) for 21,06,000 Equity Shares. Such 5 Anchor Investors through 05 Anchor Investor Application Forms were allocated 18,22,000 Equity Shares at a price of ₹ 70/- per Equity Share under the Anchor Investor Portion, aggregating to ₹ 12,75,40,000/-.

The details of the Applications received in the Issue from Anchor Investor Portion are as under

Category	Number Of Applications	No of Shares	Reserved	No of Times Subscriptions	Amount
Anchor	5	21,06,000	18,22,000	1.15	12,75,40,000.00
TOTAL	5	21,06,000	18,22,000	1.15	12,75,40,000.00

SUBSCRIPTION DETAILS

DETAILS OF THE APPLICATION:

The Issue was subscribed to the extent of 353.17 times (including market maker reservation portion and excluding anchor investor portion) as per the Application data before considering invalid bids, Other than RC10 Transaction declined by Investors, RC10 Mandate not accepted by Investors and Withdrawal / Cancelled Bids reported by SCSB and technical rejections. After considering invalid bids, Other than RC10 Transaction declined by Investors, RC10 Mandate not accepted by Investors and Withdrawal / Cancelled Bids reported by SCSB and Technical Rejection cases, the issue was subscribed 320.69 times (including market maker reservation portion and excluding anchor investor portion).

The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under: (**before technical rejections**):

Detail of the Applications Received:

Category	Number Of Applications	No of Shares	Reserved	No of Times Subscriptions	Amount
Retail Individual Investors	3,42,918	68,58,76,000	21,34,000	321.40	48,00,55,34,000.00
Non-Institutional Investors	21,336	64,36,48,000	9,14,000	704.2	45,05,44,94,000.00
Qualified Institutional Buyers (excluding Anchor Investors)	70	16,08,46,000	12,18,000	132.05	11,25,92,20,000.00
Market Maker	1	3,22,000	3,22,000	1	2,25,40,000.00
TOTAL	**3,64,325**	**1,49,06,92,000**	**45,88,000**	**324.91**	**1,04,34,17,88,000**

Final Demand

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid Prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	Bids Quantity	% of Total	Cumulative Total	% Cumulative Total
1	66	11,16,000	0.07	11,16,000	0.07
2	67	2,10,000	0.01	13,26,000	0.08
3	68	7,54,000	0.05	20,80,000	0.13
4	69	6,46,000	0.04	27,26,000	0.17
5	70	1,24,00,82,000	76.53	1,24,28,08,000	76.70
6	Cutoff Price (70)	37,75,44,000	23.30	1,62,03,52,000	100.00
TOTAL		1,62,03,52,000	100		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE on September 13, 2024

1) **Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have bid at cut-off Price or at or above the issue Price of ₹ 70.00 per equity shares, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 317.92 times. The total number of Equity shares allotted in this category is 21,34,000 Equity Shares to 1067 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% to Total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total No. of Shares Allotted
Retail Individual Investors	3,39,216	100	67,84,32,000	100	2000	1067:339216	21,34,000
TOTAL	**3,39,216**	**100**	**67,84,32,000**	**100**	**2000**	**1067:339216**	**21,34,000**

2) **Allocation to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, who have bid at Issue Price of ₹ 70.00 per equity shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 695.08 times, The total number of Equity shares allotted in this category is 9,14,000 Equity Shares to 406 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under (Sample Basis):

Sr. No.	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% to Total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio of Allottees to Applicants	Total No. of Shares Allotted
1.	4,000	12,816	61.09	5,12,64,000	8.07	2,000	37: 12816	74,000
2.	6,000	2,265	10.80	1,35,90,000	2.14	2,000	2: 453	20,000
3.	8,000	681	3.25	54,48,000	0.86	2,000	4: 681	8,000
4.	10,000	533	2.54	53,30,000	0.84	2,000	4: 533	8,000
5.	12,000	290	1.38	34,80,000	0.55	2,000	3: 290	6,000
6.	14,000	407	1.94	56,98,000	0.90	2,000	4: 407	8,000
7.	16,000	1223	5.83	1,95,68,000	3.08	2,000	14: 1223	28,000
8.	18,000	188	0.90	33,84,000	0.53	2,000	1: 94	4,000
9.	20,000	399	1.90	79,80,000	1.26	2,000	2: 133	12,000
10.	22,000	116	0.55	25,52,000	0.40	2,000	1: 58	4,000
11.	1,00,000	53	0.25	53,00,000	0.83	2,000	4:53	8,000
12.	1,02,000	8	0.04	8,16,000	0.13	2,000	1:8	2,000
13.	1,04,000	13	0.06	13,52,000	0.21	2,000	1:13	2,000
14.	1,08,000	7	0.03	7,56,000	0.12	2,000	1:7	2,000
15.	1,10,000	18	0.09	19,80,000	0.31	2,000	1:18	2,000
16.	2,46,000	4	0.02	9,84,000	0.15	2,000	1:4	2,000
17.	2,48,000	4	0.02	9,92,000	0.16	2,000	1:4	2,000
18.	2,50,000	8	0.04	20,00,000	0.31	2,000	1:8	2,000
19.	2,54,000	4	0.02	10,16,000	0.16	2,000	1:4	2,000
20.	2,60,000	6	0.03	15,60,000	0.25	2,000	1:6	2,000
21.	30,00,000	1	0.00	30,00,000	0.47	2,000	1:1	4,000
22.	30,32,000	2	0.01	60,64,000	0.95	2,000	1:1	8,000
23.	30,36,000	1	0.00	30,36,000	0.48	2,000	1:1	4,000
24.	30,46,000	1	0.00	30,46,000	0.48	2,000	1:1	4,000
25.	30,48,000	22	0.10	6,70,56,000	10.55	2,000	1:1	88,000

3) **Allocation to QIBs excluding Anchor Investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to QIBs, who have bid at issue Price of ₹ 70.00 per equity shares has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. The category was subscribed to the extent of 129.13 Times of QIB Portion. The total number of shares allotted in this category is 12,18,000 Equity Shares which are allotted to 68 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Category	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI	VC'S	TOTAL
QIBs	1,98,000	0	18,000	2,44,000	3,38,000	4,20,000	0	**12,18,000**

4) **Allocation to Anchor Investors (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Company in consultation with the BRLM has allotted 18,22,000 Equity Shares to 5 Anchor Investors at Anchor Investor issue Price of ₹ 70.00 per equity shares in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Category	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI	OTHERS	TOTAL
ANCHOR	0	0	0	0	8,24,000	4,98,000	5,00,000	**18,22,000**

5) **Allocation to Market Maker (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to Market Maker, who have bid at Issue Price of ₹ 70.00 per equity shares or above, was finalized in consultation with SE. The category was subscribed by 1time i.e., for 3,22,000 shares the total number of shares allotted in this category is 3,22,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% to Total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total No. of Shares Allotted
3,22,000	1	100	3,22,000	100	3,22,000	1:1	3,22,000
TOTAL	**1**	**100**	**3,22,000**	**100**	**3,22,000**	**1:1**	**3,22,000**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on September 13, 2024 has approved the Basis of Allocation of Equity Shares as approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for issue of the Equity Shares to various successful applicants. The allotment cum refund intimation will be dispatched to the address of the investor as registered with the depositories. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will process on or prior to September 16, 2024. In case the same is not received within ten days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE within Three working days from the date of the closure of the issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated September 13, 2024 ("**Prospectus**") filed with Registrar of Companies,Kanpur, Uttar-Pradesh.

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Offer, **Maashitla Securities Private Limited** at ipo@maashitla.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Bid cum Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
EKADRISHT CAPITAL PRIVATE LIMITED 406, The Summit Business Bay, Chakala, Andheri Kurla Road, Andheri East, Chakala MIDC, Mumbai, 400 093, Maharashtra, India. **Tel. No.:** +91 89286 31037 | Email: info@ekadrisht.com **Investor Grievance Email:** grievances@ekadrisht.com **Website:** www.ekadrisht.com **Contact Person:** Krunal Pipalia / Sakshi Manhas **Designation:** Vice President / Company Secretary & Compliance Officer **SEBI Registration Number:** INM000013040 **CIN No:** U66190MH2023PTC401863	**MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED** 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi 110 034, India. | **Telephone:** 011 4512 1795 **Email:** ipo@maashitla.com **Investor Grievance e-mail:** investor.ipo@maashitla.com **Website:** www.maashitla.com **Contact Person:** Mukul Agarwal **Designation:** Director **SEBI Registration Number:** INR000004370 **CIN No:** U67100DL2010PTC208725

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Dipak Kumar Pandey
C/o.: Trafiksol ITS Technologies Limited;
Address: 2nd Floor, B 68, Sector 63, Noida, Gautam Buddha Nagar, Noida 201 301, Uttar Pradesh, India
Telephone: +91- 120 4149514 | **Web site:** www.trafiksol.com | **E-Mail:** cs@trafiksol.com

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode.

For TRAFIKSOL ITS TECHNOLOGIES LIMITED
Sd/-
Poonam Das
Whole-Time Director

Place: Noida
Date: September 15, 2024

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF TRAFIKSOL ITS TECHNOLOGIES LIMITED.

Trafiksol ITS Technologies Limited is proposing, subject to market conditions, public Offer of its equity shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies,Kanpur, Uttar-Pradesh. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Manager at www.ekadrisht.com website of the BSE i.e. www.bseindia.com and website of Issuer Company at www.trafiksol.comInvestors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors shall refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

AdBaaz

(THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.)

Phoenix Overseas Ltd

(Please scan this QR Code to view the RHP)

PHOENIX OVERSEAS LIMITED

Phoenix Overseas Limited ("**Company**" or "**Issuer**") was originally incorporated as *'Phoenix Commodity Exports Private Limited'* on December 31, 2002 as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Kolkata. Subsequently, pursuant to a resolution passed by our Shareholders in their Extraordinary General Meeting held on November 20, 2008, the name of our Company was changed to *'Phoenix Overseas Private Limited'* and a fresh certificate of incorporation dated December 16, 2008 was issued by the Registrar of Companies, Kolkata. Further, pursuant to a special resolution of our Shareholders passed in an extra-ordinary general meeting dated September 30, 2011 our Company was converted from a private limited company to a public limited company and consequently the name of our Company was changed to *'Phoenix Overseas Limited'*, and a fresh certificate of incorporation dated November 14, 2011 was issued to our Company by the Registrar of Companies, Kolkata. For details of change in the name of our Company and Registered Office of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 140 of the Red Herring Prospectus dated September 14, 2024 filed with ROC.

Registered Office: 13B Bidhan Sarani Amherst St, Kolkata, West Bengal, India, 700006; | **Telephone:** +91 33 22198752 | **Contact Person:** Abhishek Chakraborty, Company Secretary and Compliance Officer | **E-mail:** cs@phxglobal.net; | **Website:** www.phxglobal.net; | **Corporate Identity Number:** U15314WB2002PLC095587

PROMOTERS OF THE COMPANY: APARESH NANDI, JAYANTA KUMAR GHOSH, UDAY NARAYAN SINGH, KANHAI SINGH WELFARE TRUST, BCPL RAILWAY INFRASTRUCTURE LIMITED, AN DEALERS LLP, JKG COMMERCIAL LLP, UNS COMMERCIAL LLP AND TRICON LOGISTICS ENGINEERING CONSULTANCY PRIVATE LIMITED

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 56,30,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE INR 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF THE COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF INR [•]/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF INR [•]- PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING UPTO INR [•] LACS ("OFFER"), COMPRISING OF FRESH OFFER OF UPTO 45,80,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO INR [●] LAKHS (THE "FRESH OFFER") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 10,50,000 EQUITY SHARES BY APARESH NANDI, UDAY NARAYAN SINGH AND JAYANTA KUMAR GHOSH ("THE SELLING SHAREHOLDER") ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO INR [●] LAKHS, OUT OF WHICH 2,82,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO INR [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 53,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10 EACH AT AN OFFER PRICE OF INR [•]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO INR [•] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 29.10% AND 27.64%, RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, SEE *"TERMS OF THE OFFER"* ON PAGE 208 OF THE RED HERRING PROSPECTUS.

QIB PORTION: NOT MORE THAN 15% OF THE NET ISSUE | NON-INSTITUTIONAL PORTION: NOT LESS THAN 43% OF THE NET ISSUE
RETAIL PORTION: NOT LESS THAN 42% OF THE NET ISSUE | MARKET MAKER PORTION: UPTO 1,96,000 EQUITY SHARES, 5.27% OF THE ISSUE

PRICE BAND: ₹ 61 TO ₹ 64 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH
THE FLOOR PRICE IS 6.10 TIMES OF THE FACE VALUE AND THE CAP PRICE IS 6.40 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 2000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2000 EQUITY SHARES THEREAFTER

RISK TO INVESTORS:

1. **Major exports of the Company are to Bangladesh and this expose us to higher degree of risk with constantly changing economic, regulatory and social conditions. Any change in political or economic conditions in Bangladesh can adversely affect our business, financial condition and results of operations**
2. **We depend on a few customers of our products, for a significant portion of our revenue, and any decrease in revenues or sales from any one of our key customers may adversely affect our business and results of operations.**
3. **In the past, there have been instances of delays in filings of certain forms which were required to be filed as per the reporting requirements under the Companies Act, 1956 and Companies Act, 2013 to RoC.**
4. **In the past, there have been instances of delays in filings of certain returns which were required to be filed as per the reporting requirements under the Goods & Service Act, 2017 and Income Tax Act, 1961.**
5. **Our majority of the revenue comes from the Merchant export division and disruption in the export division may adversely affect our business and the results of operations.**

BASIS FOR OFFER PRICE

The Price Band and the Offer Price will be determined by our Company in consultation with the BRLM, on the basis of the Book Building Process and the quantitative and qualitative factors as described below. The face value of the Equity Shares is INR 10/- each and the Offer floor Price is 61.00 which is 6.10 times of the face value of Equity Shares and the Offer Cap Price is 64.00 which is 6.40 times of the face value of Equity Shares. Investors should refer to *"Risk Factors"*, *"Our Business"*, *"Financial Information"* and *"Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations"* on pages 29, 108, 177 and 187 of the RHP respectively, to have an informed view before making an investment decision.

Qualitative Factors

Some of the qualitative factors which form the basis for the Offer Price are:

- Experienced management team with proven project management and implementation skills
- Strong presence in agro commodities trading segment
- Long term relationship with clients and repeat business

For more details on quantitative factors, please refer to chapter *"Our Business- Competitive Strengths"* on page 108 of the RHP.

Quantitative Factors

Some of the information presented in this section is derived from our Restated Financial Information. For details, see *"Financial Information"* on page 177 of the RHP.

Investors should evaluate our Company and form their decisions taking into consideration its earnings, and based on its growth strategy. Some of the quantitative factors which may form the basis for computing the Offer Price are as follows:

1. Basic and Diluted Earnings per Share

Financial period	Basic EPS (in INR)	Diluted EPS (in INR)	Basic EPS (in INR) (Post Bonus)	Diluted EPS (in INR) (Post Bonus)	Weight
As at 31st March 2024	11.17	11.17	3.72	3.72	3
As at 31st March 2023	7.63	7.63	2.54	2.54	2
As at 31st March 2022	7.95	7.95	2.65	2.65	1
Weighted Average	**9.45**		**3.15**		

Notes:

1. The Company has allotted Bonus Shares in the Ratio of 1:2, i.e. Post Restated Period

2. Earnings per Share are in accordance with Accounting Standard –0 - Earnings per Share, notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, as amended

3. Basic EPS = Net profit after tax, as restated attributable to equity holders of the Company divided by Weighted average number of equity shares outstanding during the year/period

4. Diluted EPS = Net profit after tax, as restated attributable to equity holders of the Company divided by Weighted average number of dilutive equity shares outstanding during the year/period

5. Weighted average is aggregate of year-wise weighted EPS divided by the aggregate of weights i.e. {(EPS x Weight) for each year} / {Total of weights}

6. The figures disclosed above are based on the Restated Financial Statements

2. Price Earnings Ratio (P/E) in relation to Price Band of INR 61.00 to INR 64.00 per share of INR 10 each

Particulars	P/E (at the higher end of the Price Band no. of times)
Based on basic and diluted EPS of Rs.3.72 for period ended 31st March 2024	17.20
Based on Weighted Average EPS of Rs. 3.15	20.32

**To be updated after finalization of the Offer Price.*

Industry Peer Group P/E ratio

There are no like to like comparable listed companies in India that are engaged in all aspects of the business that we operate. Accordingly, it is not possible to provide an industry comparison in relation to our Company.

3. Return on Net Worth ("RoNW"):

Financial period	RoNW (%)	Weight
As at 31st March 2024	10.74	3
As at 31st March 2023	8.13	2
As at 31st March 2022	9.20	1
Weighted Average	**9.61**	

Notes:

1. Weighted average = Aggregate of year-wise weighted Return on Net Worth divided by the aggregate of weights i.e. (Return on Net Worth x Weight) for each year/Total of weights

2. Return on Net Worth (%) = Restated profit for the year divided by Net worth at the end of the year

3. Net worth = Equity Share capital plus Reserves and Surplus

4. Net Asset Value per Equity Share

Net Asset Value per Equity Share	NAV Per Equity Shares (In INR) (Pre- Bonus)	NAV Per Equity Shares (In INR) (Post- Bonus)
As at 31st March 2024	101.83	33.94
As at 31st March 2023	92.86	30.95
As at 31st March 2022	86.28	28.76
After the Completion of the Offer:		
-At Upper Price Band	41.06	
-At Lower Price Band	40.35	

Notes: Net Asset Value per Equity Share = Net worth derived from Restated Financial Statements as at the end of the year divided by number of equity shares outstanding as at the end of the /year as per Restated Financial Statements.

5. Comparison with Listed Industry Peers

There are no like to like comparable listed companies in India that are engaged in all aspects of the business that we operate. Accordingly, it is not possible to provide an industry comparison in relation to our Company.

6. Financial Key Performance Indicators ("KPIs")

The KPIs disclosed below have been used historically by our Company to understand and analyse the business performance, which in result, help us in analyzing the growth of various verticals in comparison to our listed peers. The table below sets forth the details of our KPIs that our Company considers have a bearing for arriving at the basis for Offer Price.

(INR in Lakhs)

Key Performance Indicators#	March 31, 2024	March 31, 2023	March 31, 2022
Revenue from Operations[1]	54,837.39	45,097.07	37,730.39
Total Revenue [2]	54,915.10	45,131.61	37,828.19
Gross Profit[1]	5,236.32	4,689.46	4,466.58
Gross Margin[2]	9.55%	10.40%	11.84%
EBITDA[3]	1,297.17	1,198.24	956.99
EBITDA Margin[5]	2.37%	2.66%	2.54%
Profit After Tax for the Year ("**PAT**")	538.38	371.49	390.52
PAT Margin[6]	0.98%	0.82%	1.04%
ROE[7]*	10.74	8.13	9.20
ROCE[4][8] *	15.28%	14.58%	12.42%
Net Debt/ EBITDA[9]	1.60	(0.10)	2.82

#As certified by the Statutory Auditor vide their certificate dated September 3, 2024.

KPIs disclosed above has been approved by the Audit Committee of the Company in their meeting held on dated September 3, 2024.

Notes:

1. Revenue from Operations means the income generated by an entity from its daily core business operations
2. Gross profit represents revenue from operations less cost of goods sold. Cost of goods sold comprises of cost of materials consumed, Purchases of Stock-In-Trade and Changes in Inventories of Finished Goods, Work-In-Progress and Stock-In-Trade
3. Gross profit margin is calculated as gross profit as a percentage of revenue from operations
4. EBITDA means Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization expense, which has been arrived at by obtaining the profit before tax/ (loss) for the year / period and adding back finance costs, depreciation, and amortization expense
5. EBITDA margin is calculated as EBITDA as a percentage of revenue from operations.
6. Net Profit after tax represents the restated profits of our Company after deducting all expenses
7. Net Profit margin is calculated as restated net profit after tax for the year/period divided by revenue from operations
8. Return on capital employed calculated as Earnings before interest and taxes divided by average capital employed (average capital employed calculated as average of the aggregate value of total equity, total debt and deferred tax liabilities of the current and previous financial year/period.

Comparison of our key performance indicators with listed industry peers for the Financial Years/ periods included in the Restated Financial Information:

There are no like to like comparable listed companies in India that are engaged in all aspects of the business that we operate. Accordingly, it is not possible to provide an industry comparison in relation to our Company.

WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION:

a) **The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity / convertible securities).**

There have been no issuance of Equity Shares, excluding shares issued as bonus shares, during the 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s)), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days.

b) **The price per share of our Company based on the secondary sale / acquisition of shares (equity / convertible securities).**

There have been no secondary sale / acquisitions of Equity Shares or convertible securities, where the promoters, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

c) **Since there are no such transactions to report under a and b, the following are the details of price per share of our Company basis the last five primary or secondary transactions (secondary transactions where Promoters, members of the Promoter Group, the Promoter Selling Shareholder, or Shareholder(s) having the special rights are a party to the transaction), not older than three years prior to the date of the Red Herring Prospectus irrespective of the size of transactions:**

Not Applicable

d) **Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price:**

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Share)	Floor Price [•]	Cap Price [•]
I. Weighted average cost of acquisition for last 18 months for primary/new issue of shares (equity/convertible securities), excluding shares issued under an employee stock option plan/employee stock option scheme and issuance of bonus shares, during the 18 months preceding the date of filing of the Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paidup share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested),in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days	N.A*	N.A*	N.A*
II. Weighted average cost of acquisition for last 18 months for secondary sale/acquisition of shares equity/convertible securities, where promoter/ promoter group entities or selling shareholders or shareholder(s) having the right to nominate director(s) or selling shareholder in the Board are a party to the transaction, during the 18 months preceding the date of filing of the Red Herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than five percent of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested),in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days	N.A*	N.A*	N.A*
II. Since there are no such transactions to report to under (I) and (II) above, the information has been disclosed for price per share of our Company based on the last five primary or secondary transactions where our Promoters/members of our Promoter Group or Shareholder(s) having the right to nominate director(s) on the Board of our Company, are a party to the transaction, during the three years prior to the date of filing of the Red Herring Prospectus irrespective of the size of the transaction, is as below:			
Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Share)	Floor Price 61.00	Cap Price 64.00
a) WACA of Equity Shares based on primary issuances undertaken during the three immediately preceding years	NA#	NA	NA
b) WACA of Equity Shares based on secondary transactions undertaken during the three immediately preceding years	NA	NA	NA

^As certified by, Statutory Auditors pursuant to their certificate dated September 3, 2024.

#WACA has been mentioned as NA since there have been no transactions excluding bonus issuance

The Offer price is [●] times of the face value of the Equity Shares. The Offer Price of ₹ [●] has been determined by our Company, in consultation with the Book Running Lead Manager and is justified in view of the above qualitative and quantitative parameters.

Investors should read the above-mentioned information along with *"Risk Factors"*, *"Our Business"*, *"Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations"* and *"Financial Information"* on pages 29, 108, 187 and 177 of the RHP respectively, to have a more informed view. The trading price of the Equity Shares could decline due to the factors mentioned in the *"Risk Factors"* on page 29 of the RHP and you may lose all or part of your investment.

For further details, please see the chapter titled "BASIS FOR OFFER PRICE" begining on page 93 of the RHP.

BID/ OFFER PROGRAMME

OFFER OPENS ON* THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2024

OFFER CLOSES ON MONDAY, SEPTEMBER 23, 2024**

**The Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/Offer Period shall be one Working Day prior to the Bid/Offer Opening Date.*
***Our Company may in consultation with the BRLM, consider closing the Bid/Offer Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/Offer Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations*
^ UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Offer Closing Date.

THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ('NSE EMERGE')

Continued on next page...

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh Simrandeep Singh Sohi JMIC , Ludhiana

Date: 16-10-2024

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank
Vs.
Shitlesh

CNR NO: PBLD03-048782-2022

Publication Issued To: Shitlesh Address- W/o Pravendra Pal Nekpur Gali No1 , Inforont Of 250 Kva Tf Budaun Edc Budaun 243601 Uttar Pradesh

Whereas it has proved to the staisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 16-10-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh Simrandeep Singh Sohi JMIC , Ludhiana

Date: 16-10-2024

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank
Vs.
Mohd Raza

CNR NO: PBLD03-051855-2021

Publication Issued To: Mohd raza address- village shariyadraj suar rampur 244925 UP

Whereas it has proved to the staisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 16-10-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

आशियाना इस्पात लिमिटेड

सीआईएन: L27107RJ1992PLC006611
पंजीकृत कार्यालय: ए–1116, फेज–III, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी–301019, जिला–अलवर, राजस्थान
ईमेल: ashianagroup@yahoo.co.in वेबसाइट : www.ashianaispat.in

32वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लागू परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जाएगी।वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना, उसमें किए जाने वाले कारोबार का विवरण, 31 मार्च, 2024 तक की तुलनपत्र, उस तिथि को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण, उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल है को कंपनी के सदस्यों को भेजी गई है। इसके साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, समय–समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करने के लिए दूरस्थ ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने सदस्यों को दूरस्थ ई–वोटिंग के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म और अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएँ ली हैं। दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि 27 सितंबर, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और 29 सितंबर, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। मतदान के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तारीख 23 सितंबर, 2024 है।

ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए हैं और कट–ऑफ तारीख को भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक– लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर हैं या 022–4886 7000 और 022–2499 7000 पर कॉल करएनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते है।

सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक–लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोलफ्री संख्या 1800 22 55 33 पर संपर्क करें।

रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के बाद घोषित किए जाएंगे।

आशियाना इस्पात लिमिटेड के लिए
पुनीत जैन
प्रबंध निदेशक
डीआईएएन –00814312

स्थान: भिवाड़ी
दिनांक: 05.09.2024

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Piramal Finance

सीआईएन : एल65910एमएच1984पीएलसी032639
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 601, 6ठवां तल, पीरामल अमिति बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फॉयर स्टेशन के सम्मुख, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई–400070, दूरभाष : 91 22 3802 4000
शाखा कार्यालय : कार्यालय सं.– 211 एवं 212, द्वितीय तल 'टाइटेनियम' शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010

संपर्क हेतु व्यक्ति : 1. प्रशांत पांडे : 7054013999, 2. वैभव जैन : 9837536789, 3. विशाल केतले : 958496665

ई–नीलामी विक्रय सूचना– नवीन विक्रय

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, उधारकर्ता/ओं की ओर बकाया राषि की वसूली हेतु, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत, यहाँ नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति का अधिग्रहण किया जाने के अनुपालनानुसार, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यहाँ नीचे विवरणितानुसार अचल सम्पत्ति, जो कि भौतिक अधिग्रहण के अंतर्गत है, के 'जैसी है जहाँ है आधार', 'जैसी है जो है आधार' तथा 'वहाँ जो कुछ भी है आधार', जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं, के क्रयार्थ प्रस्ताव निमंत्रित किए जाते हैं :–

ऋण कोड / शाखा / उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	माँग सूचना तिथि एवं राशि	सम्पत्ति पता_अंतिम	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (धराज) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (10.09.2024)
ऋण कोड संख्या: 12000004420, वाराणसी (शाखा), यशवंत कुमार सिंह (उधारकर्ता), शकुंतला देवी (सह–उधारकर्ता 1)	दिनाँकः 16–01–2024, रु. 18,12,565/– (रुपये अट्ठारह लाख बारह हजार पाँच सौ पैंसठ मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिसका विस्तार निम्नानुसार है :– अरजी नं. 367, एनए मौजा पतेरवान मौजा पतेरवान परगना शिवपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत 221007, **सीमाएंः– उत्तर : अरजी का हिस्सा, दक्षिण : अन्य की भूमि, पूर्व : 18 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम : अरजी का भाग।**	रू. 22,10,000/– (रूपये बाईस लाख दस हजार मात्र)	रू. 2,21,000/– (रूपये दो लाख इक्कीस हजार मात्र)	रू. 19,50,788/– (रूपये उन्नीस लाख पचास हजार सात सौ अट्ठासी मात्र)

ई–नीलामी की तिथि : 22–10–2024 को 11.00 से 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित), बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 21–10–2024 को अप. 4.00 बजे से पूर्व

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया **www.piramalfinance.com/e-Auction.html** पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें अथवा हमें **piramal.auction@piramal.com** पर ईमेल करें।

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत 30 दिवसीय सॉंविधिक विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता / गारंटर को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व आज की तिथि तक प्रोद्भूतकृत ब्याज के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना में अंकितानुसार राशि का पूरा भुगतान कर दें। ऐसा करने में विफल रहने पर संपत्ति नीलाम कर दी जायेगी / उसे बेच दिया जायेगा तथा शेष देय बकाया राशियों, यदि कोई शेष निकलती हों, की वसूली उधारकर्ता / गारंटर से ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

दिनाँक : 15–09–2024
स्थान : उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

हस्ता./–
(प्राधिकृत अधिकारी)
पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Piramal Finance

सीआईएन : L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर –601, 6ठी मंजिल पीरामल एमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई–400070 –दूरभाष : +91 22 3802 4000
शाखा कार्यालयः प्लॉट नंबर–6, ब्लॉक–ए, सेक्टर 2, नोएडा उ.प्र.– 201301

संपर्क व्यक्ति : 1. निक्की कुमार – 9650606340, 2. पंकज कश्यप – 9136178689, 3. रोहन सावंत – 9833143013,

ई–नीलामी बिक्री सूचना–अनुगामी बिक्री

ऋणधारक/ कों से बकाये राशि की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में भौतिक कब्जे में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की **''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार''** तथा **''जो कुछ भी वहां है''** आधार पर खरीद के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित है जिसके विवरण निम्नलिखित हैं :

ऋण कोड शाखा/कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/जमानती(यों)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का पता–अन्तिम	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (10–09–2024)
ऋण कोड संख्याः 13100000826, दिल्ली – पीतमपुरा (शाखा), अशोक कुमार बंसल (कर्जदार), सौरभ बंसल (सह–कर्जदार 1) सुनीता बंसल (सह–कर्जदार 2) सौरभ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर 1)	दिनांकः 26–07–2019, रु. 3,54,51,500/– (रुपये तीन करोड़ चौवन लाख इक्यावन हजार पांच सौ मात्र)	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भागः– प्लॉट नंबर ए–126, ब्लॉक ए योजना विहार योजना विहार दिल्ली पिन 110092 सीमाएं इस प्रकार हैं:– उत्तरः प्लॉट नंबर ए–125 दक्षिणः प्लॉट नंबर ए–127 पूर्वः सेंडी लेन पश्चिमः रोड	रु. 5,92,56,000/– (रुपये पांच करोड़ बानवे लाख छप्पन हजार मात्र)	रु. 59,25,600/– (रुपये उनसठ लाख पच्चीस हजार छह सौ मात्र)	रु. 7,14,67,986/– (रुपये सात करोड़ चौदह लाख सड़सठ हजार नौ सौ छियासी मात्र)
ऋण कोड संख्याः 27900001170, नोएडा – सेक्टर 2 (शाखा), कबीर (कर्जदार), दिलजहाँ (सह–कर्जदार 1) नबाव अली (गारंटर 1)	दिनांकः 27–03–2019, रु. 21,87,288/– (रुपये इक्कीस लाख सत्तासी हजार दो सौ अट्ठासी मात्र)	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भागः– यूनिट नंबर एफ 8 फ्लैट नंबर 29 पीछे की तरफ दूसरी मंजिल ब्लॉक एफ दूसरी मंजिल ब्लॉक एफ खसरा नंबर 1305 एसएलएफ वेद विहार डिफॉल्ट उत्तर प्रदेश पिन 201010 सीमाएं इस प्रकार हैं:– उत्तरः खुला दक्षिणः खुला पूर्वः पूर्व पश्चिमः खाली प्लॉट	रु. 14,61,000/– (रुपये चौदह लाख इकसठ हजार मात्र)	रु. 1,46,100/– (रुपये एक लाख छियालीस हजार एक सौ मात्र)	रु. 47,68,419/– (रुपये सैंतालीस लाख अड़सठ हजार चार सौ उन्नीस मात्र)

ई–नीलामी की तिथि : 08.10.2024, 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित), संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 07.10.2024 को 4.00 बजे अप. से पूर्व

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए **www.piramalfinance.com/e-Auction.html** में प्रावधानित लिंक देखें या हमें **piramal.auction@piramal.com** पर ई–मेल करें।

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को सरफैसी अधिनियम के तहत 15 दिवसीय सांविधिक सूचना

उपरोक्त उल्लिखित कर्जदार/गारंटर को एतद्वारा धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान अर्जित ब्याज के साथ पूर्ण रूप से नीलामी की तिथि से पहले तक करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष राशि यदि कोई होगी कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

तिथि : 15 सितम्बर, 2024,
स्थान : दिल्ली

ह./– (अधिकृत प्राधिकारी)
पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, शाखा कार्यालयः कोटाः पहली मंजिल, 10–डी, पंजवानी कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज स्कूल के सामने, गुमानपुरा, कोटा–324007, राजस्थान, चित्तौड़गढ़ः प्लॉट नंबर 5, सी–5, पहली मंजिल, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़ –312001

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं (प्रतिभूति) हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इण्डिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों तथा सम्पत्ति के स्वामी से/आश्वस्ति कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहाँ आगे उल्लिखित खाते के सम्मुख लिखित तिथि पर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी। जैसा कि सम्पत्ति के स्वामी तथा अन्य राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है। अब कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागतों आदि के लिए इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/जमानती का नाम (सम्पत्ति के स्वामी) तथा ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति का विवरण (निम्नलिखित से निर्मित सम्पत्ति का समस्त भाग)	माँग सूचना की तिथि, माँग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
1.	श्री/श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती छोटी बेगम और श्री कल्लू खा मंसूरी के कानूनी उत्तराधिकारी, निवास स्थानः 145 सुथारो का पाड़ा, गिलुंड चित्तौड़गढ़–312612 राजस्थान ऋण खाता संख्या LAP500000802	संपत्ति का समस्त भाग, आराजी नंबर 1141, गांव और ग्राम पंचायत गिलुंड, चित्तौड़गढ़ राजस्थान–312612, सीमाः पूर्व–असलम, पश्चिम–नंदा कुम्हार, उत्तर–गली, दक्षिण–रोड	मांग सूचना 30.03.2021 रु. 478527.69/– (रुपये चार लाख अठहत्तर हजार पांच सौ सत्ताईस और उनहत्तर पैसे मात्र) 31.03.2021 तक देय, साथ में 01.04.2021 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	12–09–2024 सांकेतिक कब्जा
2.	श्री/श्रीमती मुमताज, श्री लाला शाह और श्री इरफान निवास स्थानः माली मोहल्ला वार्ड नंबर 1 , गंगरार, पानी की टंकी के पास चित्तौड़गढ़–312901 राजस्थान ऋण खाता क्रमांक HL1900002516	आवासीय भूखंड आकार 1888 वर्ग फुट वाली संपत्ति का समस्त भाग, ग्राम गंगरार स्थित, ग्राम पंचायत गंगरार तहसील गंगरार, जिला. चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) सीमाः पूर्व : शांति लाल/कन्हैया लाल हरिजन, पश्चिम–रोड, उत्तर– नंद लाल/बंशी लाल खटीक, छोटू, शरीफ, जमील/नूर मोहम्मद मंसूरी, दक्षिण– सड़क	मांग सूचना 28.09.2019 रु. 271306/– (रुपये दो लाख इकहत्तर हजार तीन सौ छह मात्र) 30.09.2019 तक देय, साथ में 01.10.2019 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	12–09–2024 सांकेतिक कब्जा
3.	श्री/श्रीमती गैनल बाल रेगर एवं श्री भंवर लाल रेगर निवास स्थानः मकान नंबर–443, ग्राम–आंवलहेडा ग्राम पंचायत–आंवलहेडा जिला चित्तौड़गढ़ी राजस्थान – 312207 ऋण खाता संख्या। HL14000001063	संपत्ति का समस्त भाग, पट्टा संख्या 12, ग्राम अनवलहेडा, ग्राम पंचायत अनवलहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) क्षेत्रफल 975 वर्ग फीट, सीमाः प्रभु लाल / चतुर्भुज रेगर, पश्चिम–नंदराम / चतुर्भुज रेगर, उत्तर – लक्ष्मीचंद/गिरधारी भील, दक्षिण–रोड	मांग सूचना 25.07.2017 रु. 152,218/– (रुपये एक लाख बावन हजार दो सौ अठारह मात्र) 31.07.2017 तक देय, साथ में 01.08.2017 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	12–09–2024 सांकेतिक कब्जा
4.	श्री/श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती संतोष बाई और श्री लोभा उर्फ लोभचंद जटिया के कानूनी उत्तराधिकारी, निवास स्थानः मकान नंबर 65ए सेमलिया, गंगरार चित्तौड़गढ़ 312901 राजस्थान ऋण खाता संख्या CHL100005960	ग्राम सेमलिया, ग्राम पंचायत में स्थित आवासीय भूखंड/पुस्तक संख्या 643, पट्टा संख्या 044, मिसल संख्या 05/15–16, आराजी संख्या 655 वाली भूमि का समस्त भाग चोगावाडी, तहसील गंगरार जिला. चित्तौड़गढ़ (राज.) क्षेत्रफल 1551.88 वर्ग फीट, लोभचंद पुत्र छोगा के पक्ष में, सीमाः पूर्व–रोड, पश्चिम–मकान पप्पू/बरदू चमार, उत्तर–मोहन/छोगा चमार, दक्षिण–मकान हगामी/लालू चमार	मांग सूचना 20.06.2022 रु.398470.16/– (रुपये तीन लाख अट्ठानवे हजार चार सौ सत्तर पैसे सोलह मात्र) 16.06.2022 तक देय, साथ में 17.06.2022 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	12–09–2024 सांकेतिक कब्जा
5.	श्री/श्रीमती, पप्पू बाई, श्री. शम्भू सिंह एवं श्री सोनू सिंह राठौड़ निवास स्थानः ग्राम नरेला, तहसील एवं जिला. चित्तौड़गढ़ राजस्थान 312207 ऋण खाता क्रमांक HL31CHLONS000005031158	संपत्ति का समस्त भाग, पट्टा संख्या 13 नरेला गांव नरेला जी.पी. नरेला, तहसील और जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) 312207, सीमाः पूर्व– बड़ा नारायण सिंह/बंसी सिंह, पश्चिम– बड़ा भग्गू सिंह/नारायण सिंह, उत्तर– नॉर्मल रोड, दक्षिण– नारायण सिंह/अंबा लाल	मांग सूचना 10.07.2024 रु. 619121/– (छह लाख उन्नीस हजार एक सौ इक्कीस रुपये मात्र) 09.07.2024 को देय 10.07.2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत सहित।	13–09–2024 सांकेतिक कब्जा
6.	श्री/श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती नाथी बाई के कानूनी उत्तराधिकारी, स्वर्गीय श्री लालू लाल के कानूनी उत्तराधिकारी, श्री किशन लाल और श्रीमती कंचन देवी निवासः जैन मोहल्ला, नरेला चित्तौड़गढ़ 312207 राजस्थान ऋण खाता क्रमांक HI1900002172 और HL31HLLONS000005027219	संपत्ति का समस्त भाग, आवासीय भूखंड, कुल आकार 1115 वर्ग फुट, ग्राम नरेला, ग्राम पंचायत नरेला तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में स्थित, सीमाः पूर्व–श्याम लाल पारीक, पश्चिम–हजारी लाल लुहार, उत्तर–रोड, दक्षिण–जगदीश कलाल	मांग सूचना 14.10.2023 रु. 337942/– (तीन लाख सैंतीस हजार नौ सौ बयालीस रुपये मात्र) 12.10.2023 को देय 13.10.2023 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत सहित।	13–09–2024 सांकेतिक कब्जा
7.	श्री/श्रीमती आशा बाई और श्री दुर्गा लाल निवास स्थानः जी.पी. नरेला, ग्राम चतरपुरा तहसील–चित्तौड़गढ़ राजस्थान 312207, राजस्थान ऋण खाता क्रमांक HL2000005888	संपत्ति का समस्त भाग जी पी नरेला ग्राम चतरपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312207, सीमाः पूर्व–बाकी भूमि, पश्चिम–सड़क, उत्तर–भेरू/भोना जटिया, दक्षिण–जगदीश/देवा जटिया	मांग सूचना 21.10.2021 रु. 315770.6/– (रुपये तीन लाख पंद्रह हजार सात सौ सत्तर और साठ पैसे) 31.10.2021 को देय, साथ में 01.11.2021 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	13–09–2024 सांकेतिक कब्जा
8.	श्री/श्रीमती नानी देवी, श्री स्वर्गीय श्री बाबू लाल गुर्जर के कानूनी उत्तराधिकारी एवं श्री गोपाल लाल गुर्जर निवास स्थानः कांति, गंगरार चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ 312901 राजस्थान राजस्थान ऋण खाता क्रमांक LAP500000515	संपत्ति का समस्त भाग, आवासीय भूखंड का हिस्सा, आकार कुल 1375 वर्ग फीट कांति तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ पर स्थित, सीमाः पूर्वः सड़क, पश्चिमः उदयराम का घर, उत्तरः भेरू तेली, दक्षिणः नाना जी	मांग सूचना 16.11.2021 रु. 3,43,433.8/– (रुपये तीन लाख तैंतालीस हजार चार सौ तैंतीस पैसे अस्सी मात्र) 16.11.2021 को देय, साथ में 17.11.2021 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	13–09–2024 सांकेतिक कब्जा
9.	श्री/श्रीमती सूरज बाई और श्री भेरू सिंह निवास स्थानः सलावदखुर्द रेगर बस्ती सलावदखुर्द, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा 326530 राजस्थान ऋण खाता संख्या CLA100003269	श्री भेरू सिंह पुत्र श्री गोविंद सिंह, वार्ड नं. 2 के घर का समस्त भाग, पिपली चौराहा, तुलसी राम शॉप के पास नांता, कोटा, राजस्थान, क्षेत्रफल 917.40 वर्ग फीट, सीमाः पूर्वः राजेश का मकान, पश्चिमः रोड, उत्तरः अर्जुन का मकान, दक्षिणः कालू लाल का मकान	मांग सूचना 17.11.2023 रु. 410248/– (रुपये चार लाख दस हजार दो सौ अड़तालीस मात्र) 19.11.2023 तक देय, साथ में 20.11.2023 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	09–09–2024 भौतिक कब्जा

किसी पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें : श्री विनय राणा मोबाइल (+91 7988605030) एवं श्री मनीष पुरी गोस्वामी (+91 7737659853) एवं श्री नवोदित त्रिपाठी (+91 9694254879)

स्थान : राजस्थान, तिथि : 15.09.2024 **(अधिकृत प्राधिकारी) इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

...continued from previous page.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Issue Period shall be extended for at least three (3) additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding a total of ten (10) Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the change on the websites of the BRLM and at the terminals of the Syndicate Members, and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**"), the Sponsor Bank and other Designated Intermediaries, as applicable. In case of force majeure, banking strike or similar circumstances, the Company may for reasons recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period by at least three (3) additional working days subject to the total Bid/Issue Period not exceeding ten (10) Working Days.

The Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 229 (2) of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Portion**"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 43% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 42.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see *"Offer Procedure"* on page 218 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/ Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/ Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/ Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/ Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CBDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see section titled *"History and Certain Corporate Matters"* on page 140 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see the section titled *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 277 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The liability of the members is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorized share Capital of the Company is ₹ 2,500.00 lakhs divided into 2,50,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the issue is ₹ 1,476.60 lakhs divided into 1,47,66,018 Equity Shares of face value of ₹ 10/- each. For details of the Capital Structure, see section titled *"Capital Structure"* on the page 67 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Aparesh Nandi and Uday Narayan Singh subscribed to 5000 shares of ₹ 10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see section titled *"History and Certain Corporate Matters"* on page 139 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see section titled *"Capital Structure"* on page 67 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an 'in-principle' approval letter dated September 13, 2024 from NSE for using its name in this offer document for listing our shares on NSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be NSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations. 2018. The Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 201 of the Red Herring Prospectus

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE ('NSE EMERGE') (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

RISK IN RELATION TO THE FIRST OFFER: This being the first public issue of our Company, there has been no formal market for the Equity Shares of our Company. The face value of the Equity Shares is INR 10/- each. The Floor Price, Cap Price and Offer Price (determined and justified by our Company in consultation with the Book Running Lead Manager, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, and on the basis of the assessment of market demand for the Equity Shares by way of the Book Building Process as stated in the section entitled "Basis for Offer Price" on page 93 should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the Equity Shares or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

GENERAL RISK: Investments in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer including the risks involved. The Equity Shares issued in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the RHP. Specific attention of the investors is invited to the section *"Risk Factors"* beginning on page 29 of the RHP.

ISSUER'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: Our Company, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that the RHP contains all information with regard to our Company and the Offer, which is material in the context of the Offer, that the information contained in the RHP is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which makes the RHP as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions, misleading in any material respect.

ASBA* Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!

*Application Supported by Blocked Amount (**ASBA**) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details check section on ASBA.

Mandatory in Public Issues. No cheque will be accepted.

UPI — UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

UPI-Now available in ASBA for all individual investors applying in public issues where the application amount is up to ₹ 500,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, CDPs & RTAs. UPI Bidders also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and the subsequent press releases, including press release dated June 25, 2021 read with press release dated September 17, 2021.

*ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by (i) Retail Individual Bidders in the Retail Portion; (ii) Non-Institutional Bidders with an application size of up to ₹ 5,00,000 in the Non-Institutional Portion and the (iii) Eligible Employees, under the Employee Reservation Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in the Bid Cum Application Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" on page 218 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("**AIBI**") and Stock Exchanges and in the General Information Document. The Bid Cum Application Form and the Abridged Prospectus can be downloaded from the website National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**", and "**Stock Exchange**") and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. UPI Bidders Bidding using the UPI Mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. ICICI Bank Limited has been appointed as the Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of SEBI circular dated November 1, 2018 as amended. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number-18001201740 and Mail ID- ipo.upi@npci.org.in. For Offer related grievance investors may contact: Khandwala Securities Limited - Parika Shah / Abhishek Joshi (+91 22 40767373) (Email ID: ipo@kslindia.com).*

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
KHANDWALA SECURITIES LIMITED **KHANDWALA SECURITIES LIMITED** **Address:** 1 G-II, Ground Floor, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021 **Tel. No.:** +91 22 40767373; **Email:** ipo@kslindia.com **Investor Grievance Email:** investorsgrievances@kslindia.com; **Website:** www.kslindia.com **Contact Person:** Parika Shah / Abhishek Joshi; **SEBI Regn. No.:** INM000001899	CAMEO **CAMEO CORPORATE SERVICESS LIMITED** **Address:** No. 1 Club House Road Chennai-600002 Tamil Nadu, India **Tel No.:** +91-44-40020700; **Email:** priya@cameoindia.com **Investor Grievance Email:** investor@cameoindia.com; **Website:** https://www.cameoindia.com **Contact Person:** K. Sreepriya Vice President & Company Secretary; **SEBI Regn. No.:** INR000003753	**Abhishek Chakraborty** **PHOENIX OVERSEAS LIMITED** 13B Bidhan Sarani Amherst St, Kolkata, West Bengal- 700006 **Email:** cs@phxglobal.net; **Website:** www.phxglobal.net Applicants can contact the Compliance Officer, the BRLM or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non receipt of refund orders and non receipt of funds by electronic mode etc. All complaints, queries or comments received by Stock Exchange / SEBI shall be forwarded to the BRLM, who shall respond to the same.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors should note that Investment in Equity Shares involves a degree of risk and are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the company at www.phxglobal.net, the website of the BRLM to the Offer at www.kslindia.com and the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: **PHOENIX OVERSEAS LIMITED,** Telephone: +91 33 22198752, Registered office of the BRLM: Khandwala Securities Limited, Tel. No.: +91 22 40767373 and at the selected locations of the Self Certified Syndicate Banks; Registered Brokers; Designated RTA Locations and Designated CDPs participating in the Offer. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE Emerge and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

BANKER(S) TO THE OFFER/ REFUND BANK/ SPONSOR BANK: ICICI BANK LIMITED.

UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus

On behalf of Board of Directors
PHOENIX OVERSEAS LIMITED
Sd/-
Abhishek Chakraborty
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata, West Bengal
Date: September 14, 2024

Disclaimer: PHOENIX OVERSEAS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated September 14, 2024 has been filed with the Registrar of Companies, Kolkata and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLM at www.kslindia.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 29 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any state secures laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

KIRIN ADVISORS

www.readwhere.com

विधानसभा चुनाव/ हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड

सत्ता समर

जनसत्ता | 15 सितंबर, 2024

‘पीडीपी बुरे दौर से गुजर रही, लेकिन सरकार बनाने में होगी अहम भूमिका’

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि पार्टी इस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही है लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद गैर-भाजपा गठबंधन सरकार बनाने में वह अहम भूमिका निभाएगी। इल्तिजा मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी की नेता हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वह दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा सीट से किस्मत आजमा रही हैं जिसे मुफ्ती परिवार का गढ़ माना जाता है।

इल्तिजा ने कहा कि वह मुश्किल दौर में चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब स्थिति अशांत हैं, सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि पार्टी के लिए भी। हम शायद इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए यह बहुत सी चीजों को बचाने के के लिए है। इल्तिजा जोर देते हुए कहा कि वह चाहे कोई भी भूमिका निभाएं, उनकी पारिवारिक विरासत बची रहेगी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों की पीड़ा कम होने की उम्मीद भी जताई। पीडीपी की युवा नेता ने कहा कि मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे मेरी मां महारानी एलिजाबेथ हैं और मैं महारानी विक्टोरिया हूं, और उन्होंने मेरे सिर पर ताज पहनाया है। ऐसा नहीं है। मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह सीट चुनौतीपूर्ण है। इल्तिजा ने दावा किया है कि चुनावों के बाद पीडीपी ‘किंगमेकर’ की भूमिका निभाएगी। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि चुनावों के बाद जम्मू-कश्मीर में गठबंधन सरकार बनेगी और उनकी पार्टी इसके गठन में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं हर मंच पर यह बात नहीं दोहराती। मेरा मानना है कि अंततः गैर-भाजपा गठबंधन सरकार बनेगी और पीडीपी यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगी कि सरकार कब बनेगी।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआइ) के कई पूर्व सदस्यों सहित कई निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान में उतरने के बारे में पूछे जाने पर पीडीपी नेता ने कहा कि घाटी में मुख्यधारा की पार्टियों को जेईआइ के चुनाव लड़ने को लेकर असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। इल्तिजा ने कहा कि उन्हें लड़ने दीजिए। *(ए)*

जम्मू-कश्मीर

पीडीपी की नेता इल्तिजा ने कहा कि मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे मेरी मां महारानी एलिजाबेथ हैं और मैं महारानी विक्टोरिया हूं, और उन्होंने मेरे सिर पर ताज पहनाया है। ऐसा नहीं है। मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा है। यह सीट चुनौतीपूर्ण है।

प्रचार

राजपोरा पुलवामा विधानसभा क्षेत्र से कश्मीरी पंडित महिला उम्मीदवार डेजी रैना शनिवार को अपने चुनाव अभियान के दौरान फल उत्पादकों से बातचीत करती हुईं।

निर्दलीय लड़ रहे बागी बने भाजपा व कांग्रेस की चुनौती

जनसत्ता ब्यूरो

हरियाणा विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच भाजपा और कांग्रेस के बागी नेताओं का बतौर निर्दलीय मैदान में उतरना आफत बनती जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा में अपनों की बगावत से चुनाव की पूरी तसवीर बदल सकती है। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस के नेता एक-एक कर पार्टी छोड़ते गए, इससे समस्या बढ़ गई है। भाजपा का भी कुछ ऐसा ही हाल है।

भाजपा से टिकट न मिलने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सावित्री जिंदल ने हिसार सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। सावित्री जिंदल भाजपा के कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल की मां हैं। सावित्र 29.1 बिलियन डालर की संपत्ति के साथ देश की सबसे अमीर महिला हैं। उनके इस कदम से भाजपा उम्मीदवार डा कमल गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुप्ता पहले से ही पार्टी के भीतर विद्रोह का सामना कर रहे हैं। भाजपा के टिकट पर हिसार नगर निगम के मेयर बने गौतम सरदाना और भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है।

सावित्री जिंदल के अलावा दो बार भाजपा के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष रहे रामबिलास शर्मा का टिकट काटना भी पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। टिकट मिलने की उम्मीद में ही उन्होंने नामांकन किया था। अब शर्मा की वजह से ब्राह्मण मतों के भाजपा के विरुद्ध जाने की चर्चा है। शर्मा महेंद्रगढ़ से टिकट चाह रहे थे, लेकिन उनके बदले पूर्व जिलाध्यक्ष कंवर सिंह यादव को टिकट मिल गया। हालांकि शर्मा ने समर्थकों के बीच कहा है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे।

नलवा और हांसी सीट पर कांग्रेस नेताओं ने भी बगावत का झंडा बुलंद किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने नलवा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। संपत सिंह पहले हुड्डा गुट में थे, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले सांसद कुमारी सेलजा के कार्यक्रम में भाग लिया था। उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा के कुछ घंटों बाद, कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया।

जींद सेगमेंट से प्रदीप गिल, उचाना कलां से वीरेंद्र घोघड़िया और दिलबाग संदील, नरवाना (एससी) से विद्या रानी ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, जो पार्टी के भीतर विद्रोह का संकेत देता है। अंबाला में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस के तीन नेता निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से और जसबीर मल्हौर और हिम्मत सिंह अंबाला सिटी से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर चुके हैं। ये तीनों नेता कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।

हरियाणा

निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा

चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार कितने होंगे, यह 16 सितंबर (नाम वापसी की अंतिम तिथि) के बाद पता चलेगा। फिर भी यह चर्चा लाजिमी है कि स्वतंत्र उम्मीदवारों का अतीत राज्य के विधानसभा चुनावों में कैसा रहा है। 2000 में हरियाणा में नौवीं विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में 519 निर्दलीय मैदान में उतरे। इनमें से 11 को जीते। दसवीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 442 निर्दलीय मैदान में उतरे, जिनमें से 10 को जीत हासिल हुई। 2009 में हुए 11वीं विधानसभा चुनाव में 513 निर्दलीय प्रत्याशी उतरे। इनमें से सात विधायक बने। 12वीं विधानसभा चुनाव में 603 प्रत्याशियों में से महज पांच ही विधायक बन सके। 2019 में हुए चुनाव में कुल 377 निर्दलीय उतरे जिनमें से 358 की जमानत जब्त हो गई थी।

ऐ भाई...

डोडा में शनिवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा के दौरान उपस्थित लोग।

‘हमारी सरकार बनी तो शिक्षण संस्थानों में 50 फीसद महिला शिक्षक होंगी’

जनसत्ता ब्यूरो

हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को कहा कि जजपा-एएसपी गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जजपा-एएसपी की सरकार बनने पर सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक पदों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण दिया जाएगा, इससे शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जींद में पत्रकारों से बात करते हुए चौटाला ने कहा कि सहकारी सेक्टर की वीटा बूथ, हरहित स्टोर जैसी अनेक योजनाओं में महिलाओं की 33 फीसद हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी और आंगनबाड़ी-आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 21 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने पूर्व गठबंधन सरकार में रहने के दौरान भी महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 फीसद आरक्षण और राशन डिपो में 33 फीसद की भागीदारी देने का काम करके दिखाया है और यह सभी वादे भी पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे चौधरी देवीलाल ने किसान के साधन ट्रैक्टर पर कर हटाया, उसी तर्ज पर विद्यार्थी, गरीब, मध्यम वर्ग के साधन दोपहिया वाहन को कर मुक्त करने जैसे अनेक वादे जजपा-एएसपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी और गठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें पूरा करेगी। जींद में गठबंधन प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल प्रजापति के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे चौटाला ने कहा कि उनका गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है।

भाजपा ने घटाया जाट कोटा, गैर जाटों को तरजीह

जितेंद्र मिश्रा

हरियाणा में गैर जाट राजनीति के लिए जानी जाने वाली सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों के मुकाबले जाट कोटा इस बार और घटा दिया है। 2019 के चुनावों में 20 से अधिक जाट नेताओं को चुनाव लड़वाया गया था। इस बार भाजपा ने 16 विधानसभा क्षेत्रों में ही जाट उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, ब्राह्मण व पंजाबी कोटे में बढ़ोतरी की है।

भाजपा ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, इतने ही हलकों में पंजाबी नेताओं पर पार्टी ने भरोसा जताया है। 2019 के चुनावों के मुकाबले वैश्य बिरादरी को इस बार कम सीटें मिली हैं। पांच ही बनिया बिरादरी के उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दिया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 17 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं, पिछड़ा वोट बैंक को साधते हुए 20 हलकों में पिछड़ा वर्ग के नेताओं को टिकट मिला है।

भाजपा ने अपने पहली सूची में 13 जाट उम्मीदवार उतारे थे। मंगलवार को जारी हुई सूची में तीन और जाट नेताओं- बरोदा से प्रदीप सांगवान, राई से कृष्णा गहलावत और हथीन से मनोज रावत को टिकट दिया। नौ ब्राह्मणों को पार्टी ने पहली सूची में उम्मीदवार बनाया था। वहीं, दूसरी सूची में गन्नौर से देवेंद्र कौशिक और पिहोवा से जयभगवान शर्मा डीडी को टिकट दिया। इसी तरह पहली सूची में शामिल आठ पंजाबी उम्मीदवारों के बाद भाजपा ने इस बार तीन और पंजाबी नेताओं को टिकट दिया है। भाजपा के कुल 22 ओबीसी प्रत्याशियों में आठ यादव और छह गुर्जर भी शामिल हैं। बुधवार को जारी की गई सूची में दो प्रत्याशी ओबीसी तथा एक गुर्जर समुदाय से को टिकट दी गई। सबसे चर्चित टिकट महेंद्रगढ़ विधानसभा से है, जिसे ब्राह्मण कोटे से हटाकर पिछड़ा वर्ग के कंवर सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है।

रणनीति

भाजपा ने 16 विधानसभा क्षेत्रों में ही जाट उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, ब्राह्मण व पंजाबी कोटे में बढ़ोतरी की है।

पार्टी ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, इतने ही हलकों में पंजाबी नेताओं पर पार्टी ने भरोसा जताया है।

भाजपा ने 10 तो कांग्रेस ने 12 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा

जनसत्ता ब्यूरो

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जहां राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में लगी है तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों ने कुल 22 महिलाओं को चुनावी दंगल में उतारा है। भाजपा ने 90 में 10 विधानसभा क्षेत्र में महिला उम्मीदवारों को उतारा है तो कांग्रेस ने 89 सीटों में 12 सीटों पर महिलाओं को अवसर दिया है। हरियाणा की चार सीटों पर दोनों दलों की महिला प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस चुनाव में सबसे चर्चित महिला उम्मीदवार कांग्रेस की विनेश फोगाट हैं।

हरियाणा की 90 सीटों में से चार विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस की महिला प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस की ओर से जिन महिलाओं को टिकट मिला है, उनमें सबसे प्रमुख नाम विनेश फोगाट के साथ पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, शैली चौधरी, शंकुतला खटक, सुमिता विर्क और पूजा चौधरी का नाम शामिल है। सुमिता विर्क की एक बार फिर करनाल में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी वापसी हुई है। वहीं, मुलाना में कांग्रेस ने अंबाला से कांग्रेस के सांसद वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने दादरी से मनीषा सांगवान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर से नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सढ़ौरा से रेनू बाला, कलानौर से शकुंतला खटक, झज्जर से गीता भुक्कल, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, मुलाना से पूजा चौधरी, अटेली से अनिता यादव, पटौदी से पर्ल चौधरी और बल्लभगढ़ से पराग शर्मा को भी उम्मीदवार बनाया है।

भाजपा ने अटेली विधानसभा सीट केंद्र सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव को उतारा है। इसके साथ पार्टी की अन्य महिला उम्मीदवारों में कृष्णा गहलावत, बिमला चौधरी, सुनीता दुग्गल, कमलेश ढांडा, शक्ति रानी शर्मा, संतोष सरवन, श्रुति चौधरी, मंजू हुड्डा, रेनू डाबला का नाम शामिल है। इसमें पटौदी से पूर्व विधायक बिमला चौधरी को फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसे में राज्य की चार ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जहां पर दोनों पार्टियों ने महिला उम्मीदवार आमने सामने होंगी। भाजपा ने मौजूदा कैबिनेट में इकलौती महिला मंत्री सीमा त्रिखा का टिकट काट दिया था।

सियासत

विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही

दलबदल का खेल हुआ शुरू

जनसत्ता ब्यूरो

सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से दलबदल का खेल भी शुरू हो गया है। इसमें सबसे अधिक लाभ शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा-शरद पवार) को मिलता हुआ दिख आ रहा है। अप्रैल से अब तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अजित पवार की पार्टी राकांपा के पांच वरिष्ठ नेता राकांपा (एसपी) में शामिल हो चुके हैं।

गुरुवार को राकांपा नेता भाग्यश्री आत्राम शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गईं। वह राकांपा के मंत्री धरमराव बाबा आत्राम की बेटी हैं। राकांपा (एसपी) खेमे में जाने का सिलसिला अप्रैल में लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ था। भाजपा के टिकट नहीं दिए जाने के बाद में पूर्व सांसद विजयसिंह मोहिते पाटिल के भतीजे धर्यशील मोहिते पाटिल राकांपा (एसपी) में शामिल हो गए। उन्हें माधा से मैदान में उतारा। अप्रैल में ही अहमदनगर जिले के पारनेर निर्वाचन क्षेत्र से राकांपा विधायक नीलेश लंके ने पार्टी छोड़कर राकांपा (एसपी) में शामिल हो गए और उन्हें अहमदनगर सीट से मैदान में उतारा गया। लोकसभा चुनाव में लंके और पाटिल ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों को करारी शिकस्त दी। राकांपा (एसपी) ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से आठ पर जीत हासिल की। विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) ने लोकसभा की कुल 48 सीटों में से 30 पर जीत दर्ज की। भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राकांपा का सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन केवल 17 सीटें ही हासिल कर सका। महायुति के साथियों में से अजित पवार की राकांपा ने सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। राकांपा ने भाजपा की नौ और शिवसेना की सात सीटों के मुकाबले महज एक ही सीट पर जीत दर्ज की।

जून में लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल भाजपा में दस साल रहने के बाद में शरद पवार की राकांपा में वापस आ गए। एक महीने बाद पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा नेता माधवराव किन्हालकर पवार की पार्टी में शामिल हो गए। आगामी विधानसभा चुनावों में टिकट की उम्मीद कर रहे महायुति के कई अन्य नेता भी राकांपा (एसपी) में शामिल हो गए हैं या उसके पाले में जाने की कोशिश कर रहे हैं। 17 जुलाई को पिंपरी चिंचवाड़ क्षेत्र के राकांपा नेता अजीत गव्हाणे ने अजीत राकांपा छोड़कर राकांपा (एसपी) में शामिल हो गए, उन्हें उम्मीद थी कि वह भोसरी विधानसभा क्षेत्र से राकांपा (एसपी) के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। चार सितंबर को कोल्हापुर जिला इकाई के पूर्व भाजपा प्रमुख समरजीत सिंह घाटगे भी भाजपा को छोड़कर शरद पवार की राकांपा में शामिल हो गए। वे आगामी विधानसभा चुनावों में कोल्हापुर जिले की कागल सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं।

भाजपा के पूर्व विधायक बापूसाहेब पठारे पहले ही दावा कर चुके हैं कि वह शरद पवार की पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। राकांपा (एसपी) की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि उन्हें पठारे द्वारा राकांपा (एसपी) के लिए समर्थन मांगने की जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह सच है कि कई लोग हमारी पार्टी से संपर्क कर रहे हैं।

महाराष्ट्र

दलबदल का सबसे अधिक लाभ शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा-शरद पवार) को मिलता हुआ दिख आ रहा है। अप्रैल से अब तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अजित पवार की पार्टी राकांपा के पांच वरिष्ठ नेता राकांपा (एसपी) में शामिल हो चुके हैं।

झारखंड : विधायक अमित यादव, पूर्व विधायक जेपी वर्मा भाजपा में लौटे

निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव और पूर्व विधायक जय प्रकाश वर्मा झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में लौट आए। बरकाठा से विधायक यादव और वर्मा को यहां भाजपा की राज्य इकाई के मुख्यालय में एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा के झारखंड मामलों के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। यादव (42) ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के जानकी प्रसाद यादव को 24,812 मतों से हराकर बरकाठा सीट जीती थी। उन्होंने 2009 से 2014 तक भाजपा विधायक के तौर पर बरकाठा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन 2014 के विस चुनाव में वह इस सीट से हार गए। *(ए)*

हम ‘लाडकी बहिन’ सहायता राशि को दोगुना कर 3,000 रुपए करेंगे : शिंदे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि यदि महाराष्ट्र के लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति को ‘बड़ा जनादेश’ दिया, तो राज्य सरकार ‘लाडकी बहिन योजना’ के तहत प्रति माह दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर 3,000 हजार रुपए कर देगी। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए महायुति सरकार की प्रमुख योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत फिलहाल प्रति माह 1,500 रुपए दिए जाते हैं। शिंदे ने कहा कि हमने लाडकी बहिन योजना शुरू की, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। यदि आप हमारी ताकत बढ़ाते हैं, तो हम मासिक राशि 2,000 रुपए तक बढ़ा देंगे। यदि आप बड़ा जनादेश देते हैं, तो हम इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर देंगे। हम इस राशि को बढ़ाने में संकोच नहीं करेंगे। *(ए)*

‘घाटी में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए’

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

नैकां उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें वंशवाद के बजाय जम्मू–कश्मीर में ‘बिगड़ती’ सुरक्षा स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

इससे पहले दिन में डोडा जिले में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि जम्मू–कश्मीर में राजनीतिक वंशवाद ने क्षेत्र को नष्ट कर दिया है और नए नेतृत्व को उभरने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए नैकां उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को इन दलों के साथ गठबंधन में कोई हिचक नहीं है।

नैकां नेता ने भाजपा की वंशवाद संबंधी टिप्पणी पर साधा निशाना।

उन्होंने किश्तवाड़ में मुठभेड़ के दौरान दो सैनिकों की शहादत पर प्रधानमंत्री की ‘चुप्पी’ पर सवाल उठाया। उमर ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में कहा कि प्रधानमंत्री ने डोडा में भाषण दिया कि किश्तवाड़ में हुए हमले को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जिसमें उत्तरी कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान सेना के दो बहादुर जवान शहीद हो गए।

उन्होंने कहा कि वे लोगों को गुमराह करने के लिए वंशवाद की बात करते हैं। उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए थी। जबअनुच्छेद–370 को निरस्त किया गया तो देश के लोगों से कहा गया कि कश्मीर में हिंसा विशेष दर्जे के कारण है।

Lost & Found

Notice is hereby given to the general public that, following documents are lost from our custody :
(i) Original letter of intent bearing reference no. EO/IMT/97/3337 dated July 23, 1997;
(ii) Original possession certificate dated April 3, 1998;
(iii) Original regular letter of allotment issued by HSIIDC bearing reference no. HSIDC/SME/3495 dated July 29, 1998
A FIR has been lodged at Haryana Police Citizen Services vide Application No. : 132270652401051; dated 12.09.2024 & 132270652401052; dated 13.09.2024.
If any body has found these documents, please contact :
Rishav Singhania
ACIL Limited
Plot No. 53-54, Sector-3,
IMT-Manesar-122050
Distt. Gurugram (Haryana)
Landline Number-0124-4977192

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated September 03, 2024, the **"Letter of Offer" or ("LOF")** filed with the BSE Limited **("BSE" or "Stock Exchange")**, and the Securities and the Exchange Board of India **('SEBI')**.

GANESHA ECOVERSE LIMITED

(Formerly Known as SVP Housing Limited)

Our Company was originally constituted as a Private Limited Company having CIN U25209DL2003PTC118413 by the name of Apollo Fittings Private Limited under the provisions of the Companies Act, 1956, on January 10, 2003, in New Delhi. Subsequently, the name of the Company was changed to Mahabir Metallex Private Limited vide a fresh Certificate of Incorporation dated January 13, 2014. Further, the Company was converted into a public limited company vide a fresh Certificate of Incorporation dated February 7, 2014, and consequently the name of the company was changed to Mahabir Metallex Limited. Thereafter, the name of the Company was changed to SVP Housing Limited, on March 14, 2017. Further, the name of the Company has been changed to "Ganesha Ecoverse Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated August 21, 2023. Further the Certificate of Registration dated August 22, 2023, was issued upon change in object clause of the Company. The CIN of the Company is L13114DL2003PLC118413. For further details of changes in name and changes in registered office, see "General Information" on page no. 37 of the Letter of Offer.

Registered Office: P3-211, Second Floor, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi – 110006
Telephone No.: +91-7054308130 | Email : ganeshaecoverse@gmail.com | Website : www.ganeshaecoverse.com
Contact Person: Ms. Neha Gajwani, Company Secretary and Compliance Officer
Corporate Identification Number: L13114DL2003PLC118413

PROMOTERS OF THE COMPANY: 1) SANDEEP KHANDELWAL, 2) VISHNU DUTT KHANDELWAL

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF GANESHA ECOVERSE LIMITED ONLY

ISSUE OF UP TO 1,34,15,280 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF THE FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 35/- PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹ 4,695.35 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 (FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON MONDAY, SEPTEMBER 09, 2024 (THE "ISSUE"). FOR DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 119 OF THE LETTER OF OFFER.

#Assuming full subscription

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY		
ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATIONS*	ISSUE CLOSES ON#
Friday, September 20, 2024	Tuesday, September 24, 2024	Monday, September 30, 2024

**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.*
#Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open in excess of 30 (thirty) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA* | **Simple, Safe, Smart Way of making an application- Make Use of It!!!!** | ***Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.**

Facilities for Application in this Issue
In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Master Circular, all Investors desiring to make an Application in the Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, refer "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 121.
Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI Circular CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 02, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.
CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS
In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Master Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, "GANESHA ECOVERSE LIMITED_SUSPENSE ESCROW ACC") opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI LODR Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non-institutional equity shareholders in the United States.
Additionally, our Company has submitted the details of the total Rights Entitlements credited to the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders and the demat suspense escrow account to the Stock Exchange after completing the corporate action. The details of the Rights Entitlements with respect to each Eligible Equity Shareholders can be accessed by such respective Eligible Equity Shareholders on the website of the Registrar i.e., www.skylinerta.com after keying in their respective details along with other security control measures implemented thereat. Rights Entitlements shall be credited to the respective demat accounts of Eligible Equity Shareholders before the Issue Opening Date **(i.e. Friday, September 20, 2024)** only in dematerialized form. Further, if no Application is made by the Eligible Equity Shareholders of Rights Entitlements on or before Issue Closing Date **(i.e. Monday, September 30, 2024)**, such Rights Entitlements shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date. No Rights Equity Shares for such lapsed Rights Entitlements will be credited, even if such Rights Entitlements were purchased from market and purchaser will lose the premium paid to acquire the Rights Entitlements. Persons who are credited the Rights Entitlements are required to make an application to apply for Rights Equity Shares offered under Issue for subscribing to the Rights Securities offered under Issue.
PLEASE NOTE THAT CREDIT OF THE RIGHTS ENTITLEMENTS IN THE DEMAT ACCOUNT DOES NOT, PER SE, ENTITLE THE INVESTORS TO THE RIGHTS EQUITY SHARES AND THE INVESTORS HAVE TO SUBMIT APPLICATION FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE AND MAKE PAYMENT OF THE APPLICATION MONEY, FOR FURTHER DETAILS, - PLEASE SEE *"TERMS OF ISSUE- PROCEDURE FOR APPLICATION"* ON PAGE 121 OF THE LETTER OF OFFER.
Making of an Application through the ASBA process – Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form, or have otherwise provided an authorization to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34. **For further details, - please see *"Terms of Issue"* on page 119 of the Letter of Offer.**
APPLICATION ON PLAIN PAPER:
An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an application to subscribe to the Issue on plain paper in case of non-receipt of application form as detailed above and only such plain paper applications which provide all the details required in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations shall be accepted by SCSBs. In such cases of non-receipt of the application form through physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an application to subscribe to the Issue on plain paper with the same details as per the application form that is available on the website of the Registrar, the Stock Exchange.
An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.
Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently. The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:
1. Name of our Company, being Ganesha Ecoverse Limited; 2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository); 3. Folio number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date)/DP and Client ID; 4. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to the Issue; 5. Number of Equity Shares held as on Record Date; 6. Allotment option – only dematerialised form; 7. Number of Rights Equity Shares entitled to; 8. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements; 9. Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for); 10. Total number of Rights Equity Shares applied for; 11. Total amount paid at the rate of ₹ 35/- per Rights Equity Share; 12. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB; 13. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE / FCNR/ NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained; 14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; 15. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and 16. All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Foreign Ownership of Indian Securities" on page 153, of the Letter of Offer and shall include the following:
I/ We acknowledge that the Company, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the representations, warranties and agreements set forth therein."
OVERSEAS SHAREHOLDERS: The distribution of Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter, any other offering material and the issue of Rights Entitlements and the Rights Securities on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India is restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Persons into whose possession the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, or the Rights Entitlement Letter may come, are required to inform themselves about and observe such restrictions.
Our Company is making this Issue on a Rights Basis to the Eligible Equity Shareholders as on record date and will dispatch the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material only to Eligible Equity Shareholders who have a registered address in India or who have provided an Indian address to our Company. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address to our Company, the Issue Materials will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Issue Materials, as applicable will be physically dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them. Investors can also access this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form from the websites of the Registrar, our Company, and the Stock Exchange.
NO OFFER IN THE UNITED STATES: THE RIGHTS ENTITLEMENTS AND THE RIGHTS EQUITY SHARES HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT, 1933, AS AMENDED **("SECURITIES ACT")**, OR ANY U.S. STATE SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD, RESOLD OR OTHERWISE TRANSFERRED WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE TERRITORIES OR POSSESSIONS THEREOF **("UNITED STATES" OR "U.S.")** OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, "U.S. PERSONS" (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT **("REGULATION S")**, EXCEPT IN A TRANSACTION EXEMPT FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE RIGHTS ENTITLEMENTS AND RIGHTS EQUITY SHARES REFERRED TO IN THE LETTER OF OFFER ARE BEING OFFERED IN INDIA AND IN JURISDICTIONS WHERE SUCH OFFER AND SALE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES AND/ OR RIGHTS ENTITLEMENTS ARE PERMITTED UNDER LAWS OF SUCH JURISDICTIONS, BUT NOT IN THE UNITED STATES. THE OFFERING TO WHICH THE LETTER OF OFFER AND ABRIDGED LETTER OF OFFER RELATES IS NOT, AND UNDER NO CIRCUMSTANCES IS TO BE CONSTRUED AS, AN OFFERING OF ANY SECURITIES OR RIGHTS FOR SALE IN THE UNITED STATES OR AS A SOLICITATION THEREIN OF AN OFFER TO BUY ANY OF THE SAID SECURITIES OR RIGHTS.
LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is **Monday, September 30, 2024,** i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchange and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Basis of Allotment" under ***"Terms of the issue" on page 119.***
Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by BSE.
LISTING: The existing Equity Shares are listed on BSE Limited **("BSE")**. Our Company has received "In-principle" approval from BSE for listing the Rights Equity Shares to be allotted pursuant to this issue vide its letter dated August 22, 2024. Our Company will also make applications to the Stock Exchange to obtain its trading approval for the Rights Entitlements as required under the SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020. For the purposes of this Issue, the Designated Stock Exchange is BSE Limited.
DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer clause of the BSE Limited." on page 115 of the LOF.
DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS: In accordance with the SEBI ICDR Regulations and SEBI Master Circular, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent/ dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address to our Company and who are located in jurisdictions where the offer and sale of the Rights Entitlement or Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdiction and does not result in and may not be construed as, a public offering in such jurisdictions. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent only to their valid email address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be physically dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them. Further, this Letter of Offer will be sent/ dispatched to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who have made a request in this regard. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, this Letter of Offer will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Letter of Offer will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.
In accordance with the above the dispatch of the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter along with the Application Form has been completed in electronic form through email on September 13, 2024, by Registrar to the Issue and by Speed Post on September 13, 2024, by the Company.
Banker to the Issue: Yes, Bank Limited
Investors can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable laws) on the websites of:
(i) the Company at www.ganeshaecoverse.com;
(ii) the Registrar at www.skylinerta.com;
(iii) the Stock Exchange at www.bseindia.com.
The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes:
- Frequently asked questions and online/ electronic dedicated Shareholders helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Shareholders: www.skylinerta.com and www.ganeshaecoverse.com
- Updation of Indian address/ email address/ mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: www.skylinerta.com
- Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders: www.skylinerta.com

The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase – I, New Delhi 110 020
Tel: +91 011-26812682, **Fax:** +91 011-26812682,
E-mail: admin@skylinerta.com/ info@skylinerta.com
Website: www.skylinerta.com
Contact Person: Mr. Anuj Rana
SEBI Registration Number: INR000003241

Investors may contact the Registrar or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs (in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process), and copy of the e- acknowledgement (in case of normal process).

For Ganesha Ecoverse Limited
(Formerly Known as SVP Housing Limited)
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Ms. Neha Gajwani
Company Secretary and Compliance Officer

Date: September 15, 2024
Place: New Delhi

नई दिल्ली

ऐक्सिस बैंक लि0 — कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उ0प्र0– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
श्रीमती मंजू सरोहा (ऋणी) पुत्र श्री हरेन्द्र सरोहा पताः ककोर कलां, बागपत, ककोर कलां, उ0प्र0, 250617, पताः 2. मकान नं0 114, वार्ड नं0 12, खसरा नं0 469एफ का भाग, मोहल्ला– बलजीत नगर, पट्टी चौधरान, छपरोली रोड, यमन नहर के पास, बरौत, जिला बागपत, उ0प्र0, 250611, श्री सतबीर सिंह (सह–ऋणी) पुत्र श्री जिले सिंह पताः 187, पट्टी–मोघा, लेंक, लक, शामली, उ0प्र0, 247776	भूमि/सम्पत्ति (रिहायशी/व्यवसायिक) स्थित मकान नं0 114, वार्ड नं0 12, खसरा नं0 469एफ का भाग, मोहल्ला– बलजीत नगर, पट्टी चौधरान, छपरोली रोड, यमन नहर के पास, बरौत, जिला बागपत, उ0प्र0, 250611, एरियाः 125.42 वर्ग मी., सम्पत्ति मंजू सरोहा के नाम। **चौहद्दी वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसारः पूरब**– 12′ चौड़ा रोड, **पश्चिम**– अन्य की सम्पत्ति, **उत्तर**– सतपाल का प्लॉट, **दक्षिण**– नौसाद की फैक्ट्री।	रू0 2294186.06 रू0 671.00 दि. 29.05.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे / 03.06.2024 / 11.09.2024

दिनांकः 15.09.2024 — प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

पंजाब नैशनल बैंक / punjab national bank — माँग नोटिस

मंडल कार्यालय सस्त्र केन्द्र
1–2, रघुनाथ नगर, एम.जी. रोड, आगरा
E-Mail: cs8182@pnb.co.in

सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्टंक्शन ऑफ फाइनैन्शियल एसैट्स एण्ड इन्फोर्समैन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरैस्ट एक्ट, 2002 की धारा–13(2) के अन्तर्गत नोटिस

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, आगरा ने उक्त अधिनियम की धारा–13(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित ऋणीयों/गारन्टरों को मांग नोटिस रजिस्टर्ड/स्पीड डाक द्वारा प्रेषित किये थे। परन्तु उक्त माँग नोटिस बिना डिलीवरी वापिस आ गये। इस मांग नोटिस की प्रति बधंक सम्पत्ति के मुख्य द्वार पर बैंक द्वारा चस्पा कर दी गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित ऋणीयों/गारन्टरों से निम्नलिखित देनदारी, संविदात्मक ब्याज/खर्चों इत्यादि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अदा करने की नोटिस प्रेषित किया जा रहा है। यदि वे उक्त देय राशियां इस माँग नोटिस के अनुसार भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक उक्त एक्ट की धारा–13 उपधारा (4) के अन्तर्गत निहित समस्त या किसी भी अधिकार जिसका विवरण उक्त धारा में दिया गया है, का प्रयोग करेगा। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के संबन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।
उक्त अधिनियम की धारा–13(13) में निहित प्रावधानों के अनुसार बिना बैंक की लिखित अनुमति के ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता प्रतिभूति आस्तियों जिनका वर्णन नीचे सूची में दिया गया है, की बिक्री लीज एवं अन्य किसी माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा।

ऋणियों/गारण्टरों/का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस दिनांक	नोटिस की रकम
शाखा–एम0जी0 रोड, (019410), आगरा			
1. श्री दीपक वर्मा पुत्र श्री राम मोहन वर्मा (ऋणी), निवासी–मकान नं0 17/75, टीला माईथान, आगरा फोर्ट, आगरा–282003, 2. श्रीमती रामकली वर्मा पत्नी श्री राम मोहन वर्मा (ऋणी एवं बंधककर्ता), निवासी–मकान नं0 17/99, बी पी ऑयल मील के पीछे, टीला माईथान, आगरा–282003	साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं0 4329 (पुराना) एवं हॉल नं0 18/297 का भाग माईथान, तहसील एवं जिला–आगरा, एरिया– 48.67 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती रामकली वर्मा पत्नी स्व0 श्री राम मोहन वर्मा के नाम, **चौहद्दी–पूरब**–अन्य की सम्पत्ति, **पश्चिम**–1.82 मी. चौड़ी गली एवं निकास, **उत्तर**–भूमि उसके बाद दिलीप वर्मा का मकान, **दक्षिण**–मारवाड़ी का मकान।	02.09.2024	रू0 **10,20,464.72** दि. 31.07.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे

दिनांकः 15.09.2024 — स्थानः आगरा — प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक / punjab national bank

मंडल कार्यालय सस्त्र केन्द्र
1–2, रघुनाथ नगर, एम.जी. रोड, आगरा
E-Mail: cs8182@pnb.co.in

(अचल सम्पत्ति का कब्जा नोटिस) (अचल सम्पत्तिय हेतु धारा 8(1) के अन्तर्गत)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम–3 के साथ सहपठित धारा–13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणियों/ गारन्टरों/बंधककर्ताओं/कानूनी वारिशो को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु खाते के सम्मुख अंकित तिथि को मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं/कानूनी वारिशो के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणियों/ गारन्टरों/बंधककर्ताओं/कानूनी वारिशो को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का उपरोक्त अधिनियम की धारा–13 (4) एवं नियमों के उपनियम–8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आधिपत्य उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के संबन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्द्वारा ऋणियों/ गारन्टरों/बंधककर्ताओं/कानूनी वारिशो को विशेषतः और जनसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि चूंकि निम्न सम्पत्ति का सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया गया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है, के अध्याधीन होगा।
ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता का ध्यान, एक्ट के सेक्शन–13 के सब सेक्शन (8) की ओर आकर्षित किया जाता हैं, कि वे उपलब्ध समय में बैंक के देयों को चुकता कर सिक्योर्ड सम्पत्ति को वापिस छुड़ा ले।

खातेदारों एवं गारन्टरों/शाखा का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस दिनांक	कब्जा नोटिस दिनांक	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि
ऋणी/बंधककर्ता/गारंटरः 1. श्रीमती नीता मित्तल पत्नी श्री उमेश मित्तल, 2. श्री अभिषेक मित्तल पुत्र श्री उमेश मित्तल, 3. श्री उमेश मित्तल पुत्र श्री राम बाबू मित्तल। **खाता सं0**– 894600NC00001012 एवं 8946009900000100 **शाखाः** संजय कॉम्प्लैक्स, आगरा।	साम्यिक बंधक फ्लैट नं0 जी–2, (भूतल) कृष्णा एन्कलेव, बल्केश्वर, हरीपर्वत वार्ड, कमला नगर, तहसील एवं जिला आगरा– 282005, एरियाः 114.27 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती नीता मित्तल पत्नी श्री उमेश मित्तल के नाम। **चौहद्दी–पूरब**– अन्य भूमि, **पश्चिम**– निकास एवं 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता, **उत्तर**– फ्लैट नं0 जी–01, **दक्षिण**– पार्किंग एवं फ्लैट नं0 जी–03	08.07.2024	11.09.2024	रू0 **39,28,505.00 दिनांक 30.06.2024 तक** + ब्याज एवं अन्य खर्चे
ऋणी/बंधककर्ता/गारंटरः श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री देवी दयाल। **खाता सं0**– 894600NT00000214 **शाखाः** संजय कॉम्प्लैक्स, आगरा।	साम्यिक बंधक फ्लैट नं0 712–बी, सातवाँ तल, एसयूटी002 टावर, उन्नति आवास योजना, गनपति स्मार्ट सिटी, मौजा बाबरपुर, मुस्तकिल तहसील एवं जिला आगरा– 282007, एरियाः 63.17 वर्ग मी. (680 वर्ग फीट), सम्पत्ति श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री देवी दयाल के नाम। **चौहद्दी–पूरब**– यूनिट नं0 712ए, **पश्चिम**–यूनिट नं0 714, **उत्तर**– मुख्य प्रवेश एवं सामान्य कॉरीडोर, **दक्षिण**– खुला आकाश।	04.07.2024	11.09.2024	रू0 **10,38,156.00 दिनांक 01.05.2024 तक** + ब्याज एवं अन्य खर्चे
ऋणी/बंधककर्ता/गारंटरः 1. **मै0 लवकुश रेफ्रीजरेशन**, 2. श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री श्यामवीर सिंह– प्रोपराइटर, 3. श्रीमती बबली पत्नी श्री नेत्रपाल सिंह। **खाता सं0**– 1862210000383 एवं 1862300002554 **शाखाः** सिकन्दरा आवास विकास कॉलोनी, आगरा।	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति नगर निगम नं0 63बी/410, मौहल्ला सोहल्ला, तहसील एवं जिला आगरा– 282001, एरियाः 70.23 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती बबली पत्नी श्री नेत्रपाल सिंह के नाम। **चौहद्दी–पूरब**– गोपी का मकान, **पश्चिम**– भगवान सिंह का मकान, **उत्तर**– रास्ता 20 फीट चौड़ा एवं निकास, **दक्षिण**– 6 अखिलेश का मकान।	24.06.2024	13.09.2024	रू0 **10,52,682.92 दिनांक 31.05.2024 तक** + ब्याज एवं अन्य खर्चे

दिनांकः–15.09.2024 — **स्थानः आगरा** — **प्राधिकृत अधिकारी**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031
दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न–वर्णित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालनानुपालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित हो चुके थे, अतः उनके ऋण खाता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** को देय–भुग्तेय धनराशियों को संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में सांकित हैं और उक्त धनराशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणकर्ताओं एवं सह–ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	13544306 एवं 32194267	संपत्ति के समक्ष ऋण	1. जेनकॉर्प आईएनसी, 2. मानू खरबंदा, 3. साक्षी जुल्का, 4. सोनिक जुल्का, 5. तरुणदीप खरबंदा	28.08.2024	1,47,65,051.02/–

संपत्ति पता : द्वितीय तल के समस्त वह भाग तथा अंश जो संपत्ति सं. जी–88/एबी के स्वरूप में, अधिमापन 200 वर्ग गज, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– **पूर्व– संपत्ति सं. जी–87, पश्चिम– सड़क, उत्तर– लेन, दक्षिण– लॉन।**

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को बकाया धनराशियों का उनकी संबंधित तिथियों से धनराशियों पर गणनाकृत ब्याज की संविदागत दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों में भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय–भुग्तेय धनराशियों की वसूली करने के लिए यहां इसमें उपरोक्त वर्णित बंधककृत संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाइयां आरंभ करने को बाध्य–विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय / पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तॉंतरण नहीं कर सकेंगे।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

दिनाँक : 15–09–2024
स्थान : दिल्ली/राराक्षे

www.readwhere.com

खबर कोना

अज्ञात बीमारियों पर नियंत्रण को निगरानी तंत्र स्थापित

नई दिल्ली, 14 सितंबर (संवाददाता)।

केंद्र सरकार ने अज्ञात बीमारी से होने वाली मौतों व ऐसी आपदाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया है। गुजरात के कच्छ जिले में 'अज्ञात बुखार' से 15 लोगों की मौत हो जाने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि हवाई अड्डों, भूमि पतन और समुद्री बंदरगाहों जैसे बाहरी प्रवेश स्थानों पर भी गंभीर बीमारियों की निगरानी की जा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, आइएचआइपी नेटवर्क और 'वन हेल्थ मिशन' के माध्यम से एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया है, ताकि इस तरह के किसी भी प्रकोप से तुरंत निपटा जा सके। सूत्रों ने कहा कि इस निगरानी तंत्र के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं का नेटवर्क अज्ञात बीमारियों के लक्षणों का पता लगाएगा।

'भारत लचीली कृषि प्रणालियां विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध'

नई दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा)।

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर ने कहा कि भारत लचीली कृषि प्रणालियां विकसित करने और वैश्विक मंच पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 12-14 सितंबर, 2024 को ब्राजील के कुइआबा में जी20 कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यह टिप्पणी की। भारत ने बैठक में खाद्य सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के योगदान को बढ़ाने पर भी जोर दिया। एक आधिकारिक बयान में ठाकुर के हवाले से कहा गया कि हमारा दृष्टिकोण न केवल उत्पादकता पर केंद्रित है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, किसानों की समृद्धि को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत कृषि विकास को प्राथमिकता दे रहा है और किसानों की समृद्धि बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

न्यूनतम मूल्य की पाबंदी हटने से बढ़ेगा बासमती चावल का निर्यात

नई दिल्ली, 14 सितंबर (ब्यूरो)।

बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम मूल्य हटने के बाद किसानों को भी अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। प्रतिस्पर्धी कीमत होने से निर्यात में तेजी के साथ किसानों को अगले कुछ दिनों में बासमती के मौजूदा भाव से 20 से 25 फीसद तक अधिक कीमत मिलने की संभावना जताई जा रही है। निर्यातकों को भी करीब एक साल बाद नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी देशों समेत दुनिया के कई देशों में बासमती चावल का निर्यात बढ़ने का मौका मिलेगा। देश में चावल की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता और व्यापार से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने निर्यात पर न्यूनतम मूल्य हटाने का फैसला लिया है। पिछले साल बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम मूल्य लागू होने से इसकी कीमत में काफी इजाफा हो गया था। इससे दूसरे देशों में भारतीय बासमती की मांग काफी कम हो गई, नतीजतन निर्यात पर इसका असर पड़ा।

नागर विमानन मंत्रालय करेगा लंबित मामलों का निपटारा

नई दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा)।

नागर विमानन मंत्रालय 2 से 31 अक्तूबर के दौरान विशेष अभियान 4.0 में शामिल होगा। इसके तहत लंबित मामलों का निपटारा करने सहित स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान का प्रारंभिक चरण 16 सितंबर से शुरू होगा। नागर विमानन सचिव वुमलुनमंग वुलनम ने 29 अगस्त को विशेष अभियान 4.0 पर चर्चा कर अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अभियान के तहत होने वाली प्रमुख गतिविधियों की पहचान की गई। इस अभियान में शामिल होने के लिए नागर विमानन मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालय, स्वायत्त निकाय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भाग लेने के तैयार हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने स्वच्छता को अपनाते हुए पिछले साल भी लंबित मामलों का निपटारा किया था और पिछले अभियानों के उद्देश्यों और उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस साल 2.01 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई

आनलाइन गेमिंग क्षेत्र में 81,875 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआइ) ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2.01 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी से जुड़े 6,084 मामलों का पता लगाया है।

यह राशि 2022-23 के दौरान 4,872 मामलों में पकड़ी गई 1.01 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) चोरी से दोगुनी है। डीजीजीआइ की जांच के दौरान आनलाइन गेमिंग, बीएफएसआइ सेवाएं और धातु कारोबार सबसे अधिक कर चोरी की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा 2023-24 में 26,605 करोड़ रुपए के स्वैच्छिक कर का भुगतान किया गया, जो 2022-23 के 20,713 करोड़ रुपए से अधिक है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की वार्षिक रपट के अनुसार कर चोरी के लगभग 46 फीसद मामले कर का भुगतान न करने (गुप्त आपूर्ति और कम मूल्यांकन के जरिए) से संबंधित हैं। इसके अलावा 20 फीसद मामले फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) से संबंधित हैं, और 19 फीसद मामले आइटीसी का गलत लाभ उठाने से जुड़े हैं। रपट में कहा गया है कि 2023-24 के दौरान आनलाइन गेमिंग क्षेत्र में 78 मामलों में 81,875 करोड़ रुपए की अधिकतम कर चोरी पाई गई।

बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (बीएफएसआइ) क्षेत्र में 171 मामलों में 18,961 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। लोहा, तांबा, स्क्रैप और मिश्र धातु क्षेत्रों में जीएसटी चोरी के 1,976 मामले सामने आए, जिनमें 16,806 करोड़ रुपए की कर चोरी हुई। पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी उद्योग में 5,794 करोड़ रुपए की कर चोरी हुई।

भगवान विश्वनाथ का सच्चा स्वरूप है ज्ञानवापी : योगी

गोरखपुर, 14 सितंबर (भाषा)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है और ज्ञानवापी स्वयं भगवान विश्वनाथ का एक सच्चा स्वरूप है। योगी ने शनिवार को गोरखपुर विवि में 'समरस समाज के निर्माण में नाथपंथ का अवदान' विषयक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की, जहां उन्होंने काशी व ज्ञानवापी के पूजनीय स्थल के आध्यात्मिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर विपक्षी सपा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग ज्ञानवापी को मस्जिद कहते हैं, जबकि यह स्वयं भगवान विश्वनाथ का स्वरूप है। मुख्यमंत्री ने पौराणिक ऋषि आदि शंकर का भी विस्तृत उल्लेख किया और काशी में भगवान विश्वनाथ के साथ शंकर की मुलाकात के बारे में एक किस्सा सुनाया। यह किस्सा सुनाते हुए ही मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी को स्वयं भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप बताया।

उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी मुद्दा लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई का केंद्र रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष का तर्क है कि ज्ञानवापी मस्जिद लोकिथत तौर पर पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी, जबकि मुसलिम पक्ष ने इस दावे का विरोध किया है। विपक्षी सपा ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है, जबकि भाजपा और अयोध्या के कुछ संतों ने उनका समर्थन किया है।

प्रधानमंत्री कल गुजरात में करेंगे 'वंदे मेट्रो' ट्रेन की शुरुआत

अहमदाबाद, 14 सितंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान सोमवार को देश की पहली 'वंदे मेट्रो' ट्रेन सेवा की शुरुआत करेंगे। यह मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद से भुज के बीच चलेगी, जो पूरी तरह से अनारक्षित और वातानुकूलित है। इस ट्रेन में 1,150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि 2,058 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे।

पश्चिम रेलवे (अहमदाबाद मंडल) के जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा ने शनिवार को बताया कि हाल ही में इस मेट्रो ट्रेन का प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। अहमदाबाद-भुज वंदे मेट्रो ट्रेन नौ स्टेशनों पर रुकेगी और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से 360 किलोमीटर की दूरी पांच घंटे 45 मिनट में तय करेगी। यह मेट्रो ट्रेन भुज से सुबह 5.05 बजे रवाना होगी और 10.50 बजे अहमदाबाद जंक्शन पर पहुंचेगी। अधिकारियों ने बताया कि 'वंदे मेट्रो' ट्रेन को स्वदेशी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, जिसका हर डिब्बा पूरी तरह वातानुकूलित है। इस ट्रेन को टकराव-रोधी प्रणाली (कवच) के साथ-साथ अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के पहले दिन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के पास वडसर एयर फोर्स स्टेशन पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेश सम्मेलन- 2024 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा

आरक्षण खत्म करना चाहता है 'शाही परिवार'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

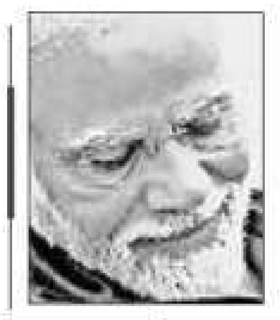

मोदी ने कहा कि जब तक वे सत्ता में हैं, आरक्षण के एक अंश को भी लूटने या हटाने की इजाजत नहीं देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि विपक्षी दल का 'शाही परिवार' दलितों के लिए आरक्षण को खत्म करना चाहता है। मोदी ने कहा कि जब तक वे सत्ता में हैं, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण के एक अंश को भी लूटने या हटाने की इजाजत नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने पांच अक्तूबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पूर्व हरियाणा में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही।

कुरुक्षेत्र जिले में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने राज्य में कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान हुई कुछ घटनाओं का जिक्र किया और उपस्थित लोगों से पूछा कि कांग्रेस के दलित विरोधी चेहरे को हरियाणा से बेहतर कौन जान सकता है? उन्होंने गांधी परिवार पर देश में 'सबसे बड़ी दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और आदिवासी विरोधी' ताकत होने का आरोप लगाया। मोदी ने दावा किया कि अब उन्होंने कहा है कि अगर वे सत्ता में आए तो दलितों और वंचितों के लिए आरक्षण खत्म कर देंगे। यह इस परिवार की सच्चाई है।

उन्होंने दावा किया कि गांधी परिवार हमेशा आंबेडकर से नफरत और आरक्षण का कड़ा विरोध करता रहा है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों का अपमान किया है। सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस पर हमला करते हुए कह रही है कि राहुल गांधी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के खिलाफ हैं और इस प्रावधान के खिलाफ उनका पूर्वाग्रह हाल में अमेरिका के जार्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान खुलकर सामने आ गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत में कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी, जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी और अभी ऐसा नहीं है।

रोमांचक

कर्नाटक के बंगलुरु में पैलेस ग्राउंड में शनिवार को आटो शो के दूसरे दिन मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते युवक।

निमोनिया में एंटीबायोटिक के लिए बनाए जा रहे नए दिशानिर्देश

नई दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा)।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) निमोनिया, बुखार और सांस संबंधी संक्रमण में एंटीबायोटिक दवा के इस्तेमाल के लिए पहली बार साक्ष्य-आधारित व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने पर काम कर रही है। इस प्रक्रिया में एंटीबायोटिक दवाओं से शरीर में पैदा होने वाली जटिलताओं के प्रभाव का विश्लेषण करके नए सुझावों को शामिल किया जाएगा।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, आइसीएमआर की ओर से निमोनिया और सांस संबंधी संक्रमण के कारगर इलाज और एंटीबायोटिक दवा से शरीर को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की पहल की गई है। समीक्षा और व्यापक विश्लेषणों से प्राप्त साक्ष्यों का ग्रेडिंग पद्धति का इस्तेमाल कर व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि इसकी गुणवत्ता का पता लगाए जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि 'पेशेंट, इंटरवेंशन, कंपैरिजन एंड आउटकम' (पीआइसीओ) से जुड़े समीक्षा प्रश्नों को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें एंटीबायोटिक दवा को कब शुरू करना है, किस ग्रेड की दवा पहले दी जानी है, दवा कब बंद करनी है और इसे कब बदलना है। इस कार्य में आइसीएमआर संबंधित क्षेत्र के कुशल शोधकर्ताओं को भी शामिल करेगा, जिसके लिए संस्थान ने शोधकर्ताओं से अभिरुचि पत्र भी आमंत्रित किए हैं। ये शोधकर्ता नए दिशानिर्देश में अहम भूमिका निभाएंगे।

हिमाचल : कई शहरों में हिंदू संगठनों ने बाजार बंद रखकर कीर्तन किया

जनसत्ता टीम
मंडी/कुल्लू/हमीरपुर, 14 सितंबर।

हिमाचल प्रदेश में 'अनधिकृत' मस्जिदों के निर्माण और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की हालिया कार्रवाई के खिलाफ शनिवार को राज्य में दो घंटे के बंद के आह्वान का असर कई शहरों में देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और विभिन्न व्यापारिक समूहों द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे तक के बंद के बाद, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, पांवटा साहिब और अन्य स्थानों पर कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकाला।

शिमला में इसका ज्यादा असर नहीं दिखा क्योंकि व्यापार मंडल ने गुरुवार को ही बंद का आह्वान किया था। प्रदर्शनकारियों ने हमीरपुर और चंबा शहरों में बंद के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया और नारे लगाए। विहिप पदाधिकारियों ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन शिमला में एक मस्जिद में अनधिकृत निर्माण और मंडी में एक मस्जिद द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के अलावा बुधवार को शिमला में हिंदू समूहों के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और शुक्रवार को मंडी में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार किए जाने के खिलाफ था।

मनाली व्यापार मंडल के महासचिव रजनीश ने कहा कि दो घंटे तक दुकानें बंद रखीं। डलहौजी में भी दुकानें बंद रहीं। डलहौजी के एक दुकानदार ने बताया कि बाहरी लोगों की उपयुक्त जांच की जानी चाहिए और अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। शिमला शहर के संजौली क्षेत्र में बुधवार को पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में चार पुलिसकर्मियों सहित 10 लोग घायल हो गए थे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा

किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, खाद्य तेलों पर 20 फीसद आयात शुल्क पूरी तरह किसानों के हित में है। किसानों को तिलहन फसलों के बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं। कृषि व किसान कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों के हित में खाद्य तेलों पर 20 फीसद आयात शुल्क लगाया गया है जो अब तक नहीं था। अन्य मदों को शामिल कर कुल प्रभावी शुल्क 27.5 फीसद हो जाएगा।

सरकार के इस कदम से तिलहन किसानों को खासतौर पर सोयाबीन और मूंगफली के फसल के अच्छे भाव मिलेंगे। रबी में तिलहन की बुवाई में बढ़ोतरी से सरसों की फसल की भी कीमत पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। कृषि मंत्री चौहान ने रांची में कहा कि सरकार के इस फैसले से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा और निर्यात भी हो सकेगा। इससे सोया से जुड़े तमाम क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को भी हटा लिया है। इससे बासमती उत्पादक किसानों को उपज की अच्छी कीमत मिलेगी और निर्यात में भी वृद्धि होगी। किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन तेल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5 फीसद तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे रिफाइन तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग में बढ़ोतरी होगी, जिसका किसानों को फायदा मिलेगा। इस फैसले से छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

शिवराज चौहान ने कहा कि सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को भी 40 फीसद से घटाकर 20 फीसद कर दिया है। उन्होंने कहा कि निर्यात शुल्क में कमी से प्याज उत्पादकों को अब अच्छे दाम मिल सकेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों के साथ-साथ प्याज के कारोबार से जुड़े तमाम क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचेगा।

महंगाई पर लगाम

कई शहरों में खुदरा कीमतों में आई कमी, 55 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचा

रियायती प्याज की बिक्री से आम लोगों को मिली राहत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने रियायत वाले प्याज की मात्रा बढ़ाने और वितरण माध्यमों का विस्तार करके ई-कामर्स मंच, केंद्रीय भंडार आउटलेट और मदर डेयरी के सफल स्टोर को शामिल करने का फैसला किया है। सरकार ने प्रमुख शहरों में प्याज का थोक निपटान भी शुरू कर दिया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पांच सितंबर को शुरू की गई सरकार की रियायत वाले प्याज की बिक्री की पहल से कुछ ही दिनों में प्रमुख शहरों में कीमतों में गिरावट आई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 60 रुपए से घटकर 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि मुंबई में 61 रुपए से घटकर 56 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। चेन्नई में खुदरा कीमत 65 रुपए से घटकर 58 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई।

सरकार ने मोबाइल वैन और एनसीसीएफ और नैफेड के आउटलेट के जरिए 35 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर पर प्याज की बिक्री शुरू की है। दिल्ली और मुंबई में शुरू हुआ यह कार्यक्रम अब चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर और गुवाहाटी सहित अन्य प्रमुख शहरों में भी फैल चुका है।

बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी वाले प्याज की मात्रा बढ़ाने और वितरण चैनलों का विस्तार करके ई-कामर्स मंच, केंद्रीय भंडार आउटलेट और मदर डेयरी के सफल स्टोर को शामिल करने का फैसला किया है। सरकार ने प्रमुख शहरों में प्याज का थोक निपटान भी शुरू कर दिया है। यह दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पहले ही शुरू हो चुका है, और हैदराबाद, बंगलुरु और कोलकाता और अंततः सभी राज्यों की राजधानियों तक इसे विस्तारित करने की योजना है। रसद आपूर्ति में सुधार और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सड़क और रेल तंत्र दोनों को शामिल करते हुए एक दोहरी परिवहन रणनीति लागू की जा रही है।

उपभोक्ता मामले विभाग मांग और मूल्य प्रवृत्तियों के आधार पर लक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि 4.7 लाख टन प्याज के बफर स्टाक और पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ बुवाई क्षेत्र में वृद्धि के साथ 'सरकार को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में प्याज की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। साथ ही उन्नत खुदरा और थोक बिक्री रणनीतियों के संयोजन से कीमतों में स्थिरता आएगी।'

किसानों की आज जींद में होगी महापंचायत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों के समर्थन में रविवार को हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत होगी। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों का कहना है कि महापंचायत में अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने शनिवार को कहा कि जींद की उचाना मंडी में महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान पहुंचने लगे हैं। महापंचायत की जगह या तारीख में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के आ'ान पर इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना है।

खबर कोना

सुनीता, बुच ने प्रार्थनाओं के लिए आभार जताया

केप केनवरल, 14 सितंबर (एपी)।

अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने शुक्रवार को कहा कि वे वापसी के लिए सभी लोगों की प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं की सराहना करते हैं। पिछले सप्ताह बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल की वापसी के बाद से यह उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी है। इस कैप्सूल से दोनों जून में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) गए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी नासा ने कैप्सूल में कुछ विसंगतियों का पता लगाया जिसके कारण धरती पर उनकी वापसी को लेकर अनिश्चितताएं पैदा हो गईं। विल्मोर और विलियम्स अब स्टेशन के पूर्ण चालक दल के सदस्य हैं।

अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप एक कार्यक्रम में बोलते हुए।

पाकिस्तान : इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज

इस्लामाबाद, 14 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान की शीर्ष जांच एजंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकारी अधिकारियों को विद्रोह के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मीडिया में आई खबर के अनुसार, जांच और तकनीकी अधिकारियों वाली संघीय जांच एजंसी (एफआइए) की टीम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक खान से उनके आधिकारिक 'एक्स' खाते पर एक विवादास्पद पोस्ट के संबंध में पूछताछ करने के लिए अदियाला जेल पहुंची। 'डान' समाचार पत्र ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एफआइए ने खान के खिलाफ सरकारी अधिकारियों को विद्रोह के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। खान (71) ने जोर देकर कहा कि वह अपने वकीलों की उपस्थिति के बिना पूछताछ नहीं करने देंगे, जिसके बाद एफआइए के कर्मी वापस लौट गए।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आइएस के नौ संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार

लाहौर, 14 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कानून प्रवर्तन एजंसियों ने आइएस और शिया विरोधी संगठनों के नौ संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों व धार्मिक स्थलों पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने दावा किया कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर प्रांत के विभिन्न जिलों में 71 अभियान चलाए। इस दौरान नौ आतंकवादियों को हथियारों, विस्फोटकों और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया गया। सीटीडी के प्रवक्ता ने बताया कि इस सप्ताह इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया।

जयशंकर ने अपने समकक्ष इग्नाजियो डेनियल से की मुलाकात

स्विटजरलैंड के साथ हुई वैश्विक, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्विटजरलैंड के अपने समकक्ष इग्नाजियो डेनियल जियोवानी कैसिस के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच व्यापार समझौते का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। चार देशों के इस संघ में स्विट्जरलैंड भी शामिल है।

बयान में कहा गया है, 'दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की, जिसमें व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत और ईएफटीए के सदस्य देशों (स्विट्जरलैंड, नार्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन) के बीच मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाने पर विशेष ध्यान दिया गया।'

भारत ने मार्च में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ एक 'व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते' (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत भारत को इन चार यूरोपीय देशों से 100 अरब अमेरिकी डालर का निवेश प्राप्त होगा। बैठक के दौरान, जयशंकर और कैसिस ने परस्पर हितों के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। अपनी यात्रा के दौरान, जयशंकर ने जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात की। इनमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डा टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस शामिल हैं।

उन्होंने बहुपक्षवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण, मानवाधिकारों को बेहतर करने को लेकर इसके दृष्टिकोण, वर्तमान वैश्विक मानवाधिकार स्थिति और मानवाधिकार परिवेश के लिए विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के तरीकों को साझा किया। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहयोग को और बढ़ाने तथा वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की। बयान में कहा गया है कि उन्होंने जिनेवा में भारत द्वारा नवनिर्मित अत्याधुनिक स्थायी मिशन का भी उद्घाटन किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, निरस्त्रीकरण सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन और भारत के महावाणिज्य दूतावास से जुड़े भारत के मिशन स्थित हैं।

उन्होंने यहां स्थायी मिशन में, भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता डा भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने मिशन में भारतीय समाज सुधारक और शिक्षिका हंसा मेहता की याद में एक हॉल का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया। मेहता ने 1947 से 1948 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में सेवा दी थी। जयशंकर ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पौधा भी लगाया। उन्होंने स्थायी मिशन में भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों की एक बड़ी सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने भारत की तेज गति से विकास और दुनिया के साथ जुड़ने के भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।

जयशंकर दो-दिवसीय यात्रा पर जिनेवा आए थे, जिसका समापन शुक्रवार को हुआ। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान में कहा कि एक विशेष शिष्टाचार के तहत स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री इग्नाजियो डेनियल जियोवानी कैसिस ने जिनेवा में जयशंकर की मेजबानी की।

कोटा में तार चुराने के आरोप में दलित लड़के से बदसलूकी

आरोपी पिता-पुत्र समेत छह लोग गिरफ्तार

कोटा, 14 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान के कोटा में एक कार्यक्रम के दौरान तार चुराते हुए पकड़े जाने के बाद दलित लड़के को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर-के नाचने के लिए मजबूर किया गया और वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक समाचार पोर्टल पर कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें लड़का चार-पांच व्यक्तियों के साथ एक गाने पर नाच रहा है।

वीडियो में, लड़के को मुस्कुराते हुए नाचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामला वीडियो मिलने और पीड़ित का पता चलने के बाद सामने आया। पुलिस ने पीड़ित के परिवार को शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया। पीड़ित के पिता की शिकायत के अनुसार, शुक्रवार रात को उनका बेटा जीएडी सर्किल में आयोजित एक मेले में हास्य कार्यक्रम में गया था और रात एक से चार बजे के बीच करीब चार-पांच लोगों ने उनके बेटे को घेर लिया और तार चोरी करने का आरोप लगाकर पीट दिया। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगाया कि आरोपियों ने उसके बेटे को निर्वस्त्र करके नाचने के लिए मजबूर किया और वीडियो बनाई। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी पिता-पुत्र समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान क्षितिज गुर्जर उर्फ बिट्टू, आशीष उपाध्याय उर्फ विक्कू, उसका बेटा ययाति उपाध्याय उर्फ गुनगुन, गौरव सोनी, संदीप सिंह उर्फ राहुल बन्नाशा और सुमित कुमार सैन के रूप में हुई है। डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि छह आरोपी एक 'म्यूजिक' कंपनी का हिस्सा थे और उन्हें शक था कि पीड़िता ने उनके म्यूजिक सिस्टम से तार चुराए हैं।

कर्नाटक : यादगीर में दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार

कर्नाटक में यादगीर जिले के एक गांव में सवर्ण जाति के एक युवक के खिलाफ पाक्सो के तहत शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद दलित परिवारों को कथित तौर पर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने शनिवार को यह बात कही।

पुलिस के अनुसार, अगस्त में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि हुनसागी तालुक के पास एक गांव के सवर्ण जाति के व्यक्ति ने नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाए जिससे वह गर्भवती हो गई। इसमें कहा गया कि चूंकि लड़की दलित समुदाय से थी, इसलिए व्यक्ति ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और पीड़िता एवं उसके परिवार को धमकी दी कि वे इस बारे में किसी को न बताएं।

पीड़ित परिवार के समझौता न करने पर ग्रामीणों के एक वर्ग ने कथित तौर पर दलित समुदाय के सदस्यों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इस पर अधिकारियों द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और सभी मतभेदों को सुलझा लिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब हालात सामान्य हो गए हैं। मुद्दे सुलझा लिए गए हैं।

केंद्र सरकार ने कहा

संवेदनशील जानकारियों के कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 सितंबर।

केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा है कि सरकार के पास मौजूद 'संवेदनशील तथ्य' विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की सिफारिशों के क्रियान्वयन में देरी की वजह हैं। अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि उन्हें केंद्र सरकार से कुछ जानकारियां मिली हैं, जो संवेदनशील प्रकृति की हैं।

उन्होंने शीर्ष अदालत से यह भी कहा कि इन मुद्दों को सार्वजनिक करना न तो संस्थान के हित में होगा और न ही इसमें शामिल न्यायाधीशों के हित में। वेंकटरमणी ने पीठ से कहा कि मैं जानकारियों और सुझावों को न्यायाधीशों के अवलोकन के लिए सीलबंद लिफाफे में रखना चाहूंगा। मामले की सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी।

शीर्ष अदालत अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें केंद्र द्वारा उच्चतम न्यायालय कालेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में कहा गया है कि निश्चित समय अवधि के अभाव में, 'सरकार मनमाने ढंग से नियुक्तियों को अधिसूचित करने में देरी करती है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात होता है।

आपदा

म्यांमा के नेपीताव में बाढ़ग्रस्त इलाके से सुरक्षित निकलते लोग और जानवर।

जो बाइडेन से अलग होने का दावा

मैं नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हूं : हैरिस

वाशिंगटन, 14 सितंबर (एपी)।

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने शुक्रवार को कहा कि वह वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से अलग है क्योंकि वह नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं।
देश में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। चुनाव का एक अहम हिस्सा है 'प्रेशिडेंशियल डिबेट'।

रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बुधवार को यह बहस हुई जिसमें हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आईं। पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के नफरत भरे और विभाजनकारी भाषण की आलोचना की और कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जिस तरह की नेतृत्व शैली अपनाते हैं अब उससे लोग थक गए हैं।'

फिलाडेल्फिया में समाचार चैनल डब्लूपीवीआइ-टीवी के एंकर ब्रायन टैफ ने हैरिस से पूछा कि वह एक या दो ऐसे क्षेत्र बताएं जहां वह बाइडेन से खुद को अलग समझती हैं। हैरिस ने कहा, 'देखिए मैं जो बाइडेन नहीं हूं और मैं नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हूं।' उन्होंने कहा कि जिन चीजों को एक बार हल्के में लिया गया उन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हैरिस ने कहा, 'उदाहरण के लिए, मेरी पास एक योजना है जो एक नए दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके तहत मैं परिवारों के लिए उनके बच्चे के एक वर्ष के होने तक 'चाइल्ड टैक्स क्रेडिट' 6,000 अमेरिकी डालर तक बढ़ाना चाहती हूं क्योंकि यह वर्ष बच्चे के विकास लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होता है और इसलिए मेरा नजरिया वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए नए विचारों, नई नीतियों के बारे में है।

कोमोरोस के राष्ट्रपति पर चाकू से हमला, हवालात में संदिग्ध की मौत

मोरोनी, 14 सितंबर (एपी)।

हिंद महासागर के द्वीपीय देश कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असौमानी पर शुक्रवार को उस समय चाकू से हमला किया गया जब वह एक धार्मिक नेता के अंतिम संस्कार में भाग लेने पहुंचे थे। इस हमले में असौमानी मामूली रूप से घायल हुए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान में जानकारी दी कि 24-वर्षीय संदिग्ध हमलावर शनिवार को हवालात में मृत पाया गया।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति अजाली असौमानी मामूली रूप से घायल हुए हैं और वह अपने घर लौट आए हैं। बयान के अनुसार, हमलावर को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया था, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि एक दिन बाद उसे हवालात में बेहोश पाया गया और उसे मृत घोषित कर दिया गया। संदिग्ध की पहचान अहमद अब्दु के रूप में हुई है। सरकारी वकील अली मोहम्मद जोनैद ने कहा कि अब्दु ने असौमानी पर चाकू से हमला किया था।

सरकार के मंत्री अबूबकर सैद अनली ने शनिवार को बताया कि हमले के दौरान राष्ट्रपति को बचाने के प्रयास में एक नागरिक भी घायल हुआ। यह हमला राजधानी मोरोनी के बाहरी इलाके में स्थित सलीमानी शहर में हुआ। सरकारी वकील जोनैद ने संवाददाताओं को बताया, 'राष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत युवक को काबू में कर लिया और उसे जांचकर्ताओं को सौंप दिया।' उन्होंने कहा कि हमलावर के मकसद और हिरासत में उसकी मौत की परिस्थितियों की जांच जारी है।

महसा अमीनी की मौत की दूसरी बरसी से पहले चलन | **बदलाव** | मौत के बाद देश भर में हुआ था प्रदर्शन

ईरान की सड़कों पर बिना हिजाब जाती दिखीं महिलाएं

दुबई, 14 सितंबर (एपी)।

ईरान में महसा अमीनी की मौत और उसके बाद हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों की दूसरी बरसी से पहले शहरों में महिलाओं को बिना हिजाब पहने सड़कों पर निकलते देखना आम बात हो गई है। हालांकि इस बढ़ते चलन के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है और न ही इसके बारे में कोई अध्ययन हुआ है। सोशल मीडिया पर सामने आ रहीं वीडियो में महिलाओं और लड़कियों विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद बाल खोलकर आते-जाते हुए देखा जा सकता है।

देश के नए सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने चुनाव प्रचार के दौरान, धर्माचार पुलिस द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने का वादा किया था। लेकिन देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई (85) ने कहा था कि पर्दा हटाने पर धार्मिक और राजनीतिक रूप से पाबंदी है। कुछ धार्मिक मुसलिम महिलाओं के लिए उनके परिवार से बाहर किसी पुरुष के सामने सिर ढकना ईश्वर के समक्ष पवित्रता और विनम्रता का प्रतीक होता है।

अमीनी की मौत के बाद देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद कई महीनों तक चली सुरक्षा कार्रवाई में 500 से अधिक लोग मारे गए और 22,000 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए।

आज, तेहरान के उत्तरी उपनगर में अमीर व्यक्तियों की कालोनियां हों या फिर दक्षिणी इलाकों में श्रमिकों के मोहल्ले हों, महिलाओं को सड़कों पर बिना हिजाब पहने निकलते देखा जा सकता है। यह विशेष रूप से शाम के समय शुरू होता है, हालांकि सप्ताह के अंतिम दिनों में सूर्यास्त से पहले भी महिलाओं को प्रमुख पार्कों में बाल खोले देखा जा सकता है। तेहरान शरीफ विश्वविद्यालय की छात्रा अजादेह (25) ने कहा, 'महसा अमीनी के कारण मुझमें हिजाब न पहनने का साहस आया है और हमें इसे एक उपलब्धि के रूप में संरक्षित करना होगा।'

उन्होंने कहा, 'अगर वह (अमीनी) जिंदा होतीं, तो मेरी उम्र की होतीं।' हालांकि ऐसी महिलाओं के लिए मुश्किलें भी कम नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सरकार ने उन निजी व्यवसायों की पहचान की है जहां महिलाएं बिना सिर ढके नजर आती हैं और निगरानी कैमरे लगे वाहनों से हिजाब न पहनने वाली महिलाओं की तलाश की जाती है ताकि उन पर जुर्माना लगाया जा सके और उनकी गाड़ियां जब्त की जा सकें।

ईरान में हिजाब और कुछ लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पूरी काली चादर - लंबे समय से एक राजनीतिक प्रतीक भी रही है। अमीनी (22) की 16 सितंबर, 2022 को एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उन्हें देश की धर्माचार पुलिस ने हिजाब नहीं पहनने के कारण गिरफ्तार कर लिया था।

गाजा पर इजराइली हमले में 14 लोगों की मौत

गाजा पट्टी, 14 सितंबर (एपी)।

शनिवार देर रात इजराइल ने मध्य व दक्षिणी गाजा पर हवाइ हमले किए। इस हमले में लगभग 14 लोगों की मौत हो गई। यह हवाई हमला उस दौरान हुआ जब तुर्की मूल की एक अमेरिकी कार्यकर्ता के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इजराइल की ओर से किए गए हमले में फिलिस्तीन के एक घर को भी निशाना बनाया गया। इसमें तीन महिलाएं और चार बच्चों सहित 11 लोग रहते थे। इसके साथ ही विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने ठिकानों को ढेर कर दिया गया।

10-11 सितंबर को शिविर और विस्थापितों के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से बनाए गए स्कूल को इजराइल ने नैस्तनाबूद कर दिया था। इजराइली सैनिक द्वारा मारी गई तुर्की मूल की अमेरिकी कार्यकर्ता आयसेनुर एजगी ईगी का अंतिम संस्कार 14 सितंबर को तुर्की के तटीय शहर में किया जाना था ।

www.readwhere.com

खबर कोना

अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जर्मनी व स्पेन अंतिम आठ में शामिल

शुहाई, 14 सितंबर (एपी)।

अमेरिका ने स्लोवाकिया को 3-0 से हरा कर जर्मनी, स्पेन और आस्ट्रेलिया के साथ डेविस कप फाइनल के अंतिम आठ में जगह बनाई। स्पेन ने फ्रांस को हरा कर अंतिम आठ में प्रवेश किया। उसके स्टार खिलाड़ी और चार बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन कार्लोस अल्करास ने उगो हम्बर्ट को 6-3, 6-3 से हराया। इससे पहले अनुभवी राबर्टो बातिस्ता अगुट ने आर्थर फिल्स के खिलाफ पहला एकल 2-6, 7-5, 6-3 से जीता। स्पेन की जीत से आस्ट्रेलिया भी ग्रुप बी से आगे बढ़ने में सफल रहा। मैकेंजी मैकडोनाल्ड ने लुकास क्लेन को 6-4, 6-3 से, जबकि डेविस कप में पदार्पण करने वाले ब्रैंडन नकाशिमा ने जोजेफ कोवालिच को 6-3, 6-3 से पराजित किया।

सैन फ्रांसिस्को में बेसबाल टूर्नामेंट की पहली पारी के दौरान सैन फ्रांसिस्को जाइंट्स के खिलाफ सैन डिएगो पैड्रेस के डायलन सीज गेंद फेंकते हुए।

फारूख के दो गोल, चेन्नईयिन एफसी ने ओड़ीशा को हराया

भुवनेश्वर, 14 सितंबर (भाषा)।

फारूख चौधरी के दो गोल और डेनियल चीमा चुकवु के एक गोल की मदद से चेन्नईयिन एफसी ने शनिवार को यहां इंडियन सुपर लीग फुटबाल मैच में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए ओड़ीशा एफसी पर 3-2 से जीत दर्ज की। चेन्नईयिन के लिए फारूख ने 48वें और 51वें मिनट में दो गोल दागे जबकि टीम के लिए एक अन्य गोल चीमा ने 69वें मिनट में किया। ओड़ीशा एफसी को डिएगो मौरसियो ने नौवें मिनट में पेनल्टी से गोल कर बढ़त दिलाई, पर चेन्नईयिन ने वापसी करते हुए तीन गोल कर डाले। इसके बाद राय कृष्णा ने 90 5वें मिनट में ओड़ीशा एफसी के लिए दूसरा गोल किया।

ईश्वरन की शतकीय पारी से भारत बी ने 309 रन बनाए

अनंतपुर 14 सितंबर (भाषा)।

कप्तान और सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन की 143 रन की नाबाद पारी से भारत सी के खिलाफ भारत बी का संघर्ष जारी है, जिसने दलीप ट्राफी मैच के तीसरे दिन शनिवार को यहां अपनी पहली पारी में सात विकेट पर 309 रन बना लिए। भारत सी के लिए अंशुल कंबोज ने 23 .5 ओवर में 66 रन देकर पांच विकेट चटकाए। भारत सी ने पहली पारी में 525 रन बनाए थे। भारत बी अब भी भारत सी से 216 रन पीछे है। टीम को फालोआन बचाने के लिए और 66 रन की जरूरत है। भारत बी ने दिन की शुरुआत 124 रन से आगे से की। कंबोज ने बीते दिन के नाबाद बल्लेबाज नारायण जगदीसन (70) को आउट करने के बाद चार अन्य बल्लेबाजों को चलता किया।

मुकाबला

अमेरिका : डब्लूएनबीए बास्केटबाल के दूसरे क्वार्टर में मिनेसोटा लिंक्स की ब्रिजेट कार्लटन और शिकागो स्काई की माइकेला ओनयेनवेरे (दाएं) गेंद के लिए जूझती हुईं।

बालाजी और रामकुमार पहले दिन हारे, स्वीडन से पिछड़ा भारत

टेनिस

स्टाकहोम, 14 सितंबर (भाषा)।

भारत को एकल में बालाजी को उतारने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि देश के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने पीठ की चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया।

एन श्रीराम बालाजी को इलियास यमेर ने आसानी से हरा दिया जबकि रामकुमार रामनाथन निचली रैंकिंग के लियो बोर्ग के खिलाफ जरा भी आक्रामक नहीं दिखे, जिससे भारत शनिवार को यहां डेविस कप विश्व ग्रुप एक मुकाबले में स्वीडन से 0-2 से पिछड़ गया।

युगल विशेषज्ञ बालाजी को यमेर के खिलाफ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने पहले एकल में 6-4, 6-2 से जीत दर्ज की। डेविस कप के अनुभवी खिलाड़ी रामकुमार से भारत को मुकाबले में वापस लाने की उम्मीद थी लेकिन वह रायल टेनिस हाल में दूसरे एकल में दिग्गज ब्योर्न बोर्ग के बेटे और 603 रैंकिंग के लियो बोर्ग से 3-6, 3-6 से हार गए। भारत को एकल में बालाजी को उतारने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि देश के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने पीठ की चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। भारत के लिए पहले दिन एक अंक जीतने की जिम्मेदारी रामकुमार पर थी।

21 वर्षीय बोर्ग के खिलाफ अपना एकल मैच जीतना चाहिए था लेकिन वह स्वीडिश खिलाड़ी की चुनौती को पस्त नहीं कर पाये और उनकी चुनौती सिर्फ 58 मिनट में ही खत्म हो गई। अगर भारत को अगले साल के क्वालीफायर में जगह बनानी है तो अब रविवार को अपने बचे हुए तीनों मैच जीतने होंगे।

31वां श्रीमती कृष्णा खेतान मेमोरियल आल इंडिया जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट

पंजाब के वंश और मनमीत की जोड़ी ने तीसरे दौर में प्रवेश किया

बैडमिंटन

चंडीगढ़, 14 सितंबर (ब्यूरो)।

मध्य प्रदेश के उज्ज्वल गोयल ने उत्तर प्रदेश के भूमेश उत्तरानी को 15-12, 10-15, 15-8 से हरा कर अगले दौर में अपनी जगह बनाई।

पंजाब के वंश बत्रा और मनमीत कौर की जोड़ी ने ताऊ देवी लाल खेल कांप्लेक्स में चल रहे योनेक्स सनराइज 31वें श्रीमती कृष्णा खेतान मेमोरियल आल इंडिया जूनियर रैंकिंग प्राइज मनी टूर्नामेंट के तीसरे दिन अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। बत्रा और कौर ने नौवीं वरीयता प्राप्त संकीर्थ पी और प्रमोद बाविकट्टे की चुनौती को 15-10, 16-14 से हरा कर अंडर-19 मिश्रित युगल वर्ग के तीसरे क्वालिफिकेशन दौर में प्रवेश किया।

मुकाबले की शुरुआत पंजाब की जोड़ी ने दबदबे के साथ की और इस जोड़ी ने पहला गेम 15-10 से जीत लिया। दूसरे गेम में दोनों जोड़ियों ने एक-दूसरे से मुकाबला किया, इससे पहले कि पंजाब की जोड़ी ने दूसरा गेम 16-10 से जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसी वर्ग के एक अन्य मैच में, केरल के ब्योर्न जैसन और उत्तराखंड की अन्या बिष्ट की मिश्रित युगल जोड़ी ने हरियाणा के भविष्य अहलावत और नीती बराक की जोड़ी को 15-7, 15-4 से हराकर तीसरे क्वालिफिकेशन दौर में जगह बनाई। जैसन/बिष्ट ने मैच में शानदार शुरुआत की और पहला गेम 15-7 से जीतकर मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरे गेम में भी जैसन/बिष्ट ने नियंत्रण के साथ खेला और इस जोड़ी ने दूसरा गेम 15-4 से जीतकर प्रतियोगिता में आगे बढ़त बना ली।

सातवीं वरीयता प्राप्त तेलंगाना के अखिल राव सूर्यनेनी और प्रांजला निसर्ग की जोड़ी के लिए यह कठिन रहा क्योंकि उन्होंने इसी वर्ग में नीलेश सेठ और सीजा की पंजाब की जोड़ी को 15-13, 15-10 से हराकर तीसरे क्वालिफिकेशन दौर में जगह बनाई। सूर्यनेनी/निसर्ग को शुरुआती गेम में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा, इससे पहले कि यह जोड़ी 15-13 से गेम जीतकर मैच में 1-0 की बढ़त ले ले।

दूसरे गेम में भी दोनों जोड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इससे पहले कि तेलंगाना की जोड़ी ने 15-10 से गेम जीतकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। लड़कों के एकल अंडर-19 वर्ग में, दिल्ली के यश शर्मा ने कर्नाटक के 16वें वरीय प्रणव कृष्णमूर्ति की चुनौती को 15-10, 15-11 से हराकर चौथे क्वालिफिकेशन दौर में प्रवेश किया। दिल्ली के इस युवा खिलाड़ी ने पहले गेम में कुछ महत्त्वपूर्ण अंक जीतकर गेम 15-10 से जीत लिया, इससे पहले कि वह दूसरा गेम 15-11 से जीतकर अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते।

हरमनप्रीत के दो गोल से भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया

एशियाई चैंपियंस हाकी टूर्नामेंट

बेजिंग, 14 सितंबर (भाषा)।

हरमनप्रीत सिंह।

हरमनप्रीत और अशरफ के बीच हुई तीखी नोकझोंक

मैच में हरमनप्रीत और पाकिस्तान के अशरफ वहीद राणा के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ऐसा राणा के भारतीय सर्कल के अंदर जुगराज सिंह को कंधा मारने के बाद हुआ। जुगराज इस धक्के से गिर गए थे और दर्द से कराह रहे थे। मैदानी अंपायर और पाकिस्तान के कप्तान बट और दोनों टीमों के अन्य खिलाड़ी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दौड़े। राणा को पीला कार्ड दिखाया गया।

कप्तान हरमनप्रीत सिंह के पेनल्टी कार्नर पर किए गए दो गोल की मदद से गत चैंपियन भारत ने शनिवार को हुलुनबुइर में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से हरा कर एशियाई चैंपियंस ट्राफी के सेमी फाइनल में प्रवेश किया।

भारत की यह छह टीमों के राउंड राबिन टूर्नामेंट में लगातार पांचवीं जीत है। पाकिस्तान ने अहमद नदीम (8वें मिनट) के गोल से बढ़त हासिल की लेकिन हरमनप्रीत सिंह (13वें और 19वें मिनट) ने दो पेनल्टी कार्नर को गोल में बदलकर भारत को जीत दिलाई। यह इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की पहली हार थी। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इससे पहले अंतिम चार के लिए क्वालीफाई कर लिया था। इस जीत की बदौलत भारत ने 2016 से पाकिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखा है।

दोनों टीमों के बीच पिछली भिडंत हांगझाउ एशियाई खेलों में हुई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया था। इससे कुछ महीने पहले भारत ने चेन्नई चरण में पाकिस्तान को 4-0 से हराया था। जकार्ता में एशिया कप में भारत की युवा टीम ने पाकिस्तान को 1-1 से बराबरी पर रोका, जबकि ढाका में 2021 एसीटी में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा कर कांस्य पदक जीता था। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मैच की तरह पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने जीत हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीयों ने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन करते हुए दबदबा बनाया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ता गया। पाकिस्तान के लिए हन्नान शाहिद ने मिडफील्ड में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारतीय रक्षात्मक में खलबली मच गई और नदीम ने गेंद भारतीय गोल में पहुंचाकर अपनी टीम को आगे कर दिया। इस गोल से स्तब्ध भारत ने संयम बनाए रखा और हमले जारी रखे।

टीम ने 13वें मिनट में अपना पहला पेनल्टी कार्नर हासिल किया और कप्तान हरमनप्रीत ने पाकिस्तानी गोलकीपर मुन्नेब के बाईं ओर एक ताकतवर ड्रैग फ्लिक से गोल किया। भारतीयों ने दूसरे क्वार्टर में दबाव बनाना जारी रखा और 19वें मिनट में अपना दूसरा पेनल्टी कार्नर हासिल किया। एक बार फिर पाकिस्तानी रक्षण के पास कोई जवाब नहीं था और हरमनप्रीत के सटीक शाट से भारत 2-1 से आगे हो गया। दूसरे क्वार्टर में भारत गेंद को कब्जे में रखने में सफल रहा।

पाकिस्तान ने कई मौकों पर प्रतिद्वंद्वी सर्कल में सेंध लगाने के मौके बनाए। दूसरे हाफ से मात्र 45 सेकंड पहले पाकिस्तान के पास बराबरी का मौका था लेकिन यह विफल रहा।

भारतीय खिलाड़ियों ने छोर बदलने के बाद भी दबदबा बनाए रखा और 37वें मिनट में अपना तीसरा पेनल्टी कार्नर हासिल किया। लेकिन गोल नहीं कर सके। पाकिस्तान ने इसके बाद लगातार चार पेनल्टी कार्नर हासिल किए लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति को नहीं भेद सके। अंतिम क्वार्टर में दोनों टीमों ने लगातार हमले किए। भारत ने तीन और पेनल्टी कार्नर हासिल किए लेकिन गोल करने में विफल रहा।

भारतीय टीम का चार दिवसीय शिविर

पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ शामिल

क्रिकेट

चेन्नई, 14 सितंबर (भाषा)।

गुरनूर को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा के गेंदबाजी एक्शन के लिए खास तौर पर बुलाया गया है, जिन्होंने हाल में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ टैस्ट मैच में पांच विकेट चटकाए थे।

छह फीट पांच इंच लंबे कद के कारण राणा ने गेंदबाजी में काफी उछाल हासिल किया और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टैस्ट में उन्होंने सीधी लाइन में गेंदबाजी की थी।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीमें मैच के अभ्यास पर काफी हद तक निर्भर रही हैं। गौतम गंभीर की टीम भी इससे अलग नहीं है, जो विशेष कौशल वाले नेट गेंदबाजों का चयन कर रही है। चार दिवसीय शिविर के लिए तेज गेंदबाजों में से एक पंजाब के गुरनूर बराड़ को बुलाया गया है, जिन्होंने अब तक पांच प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और वह पिछले सत्र में इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के दौरान पंजाब किंग्स के साथ भी थे।

19 सितंबर से शुरू हो रही बांग्लादेश के साथ शृंखला के लिए बल्लेबाजों को तैयार होने में मदद मिल सके। गुरनूर का प्रथम श्रेणी रेकार्ड अच्छा नहीं है। लेकिन इस 24 वर्षीय खिलाड़ी के लिए जो चीज कारगर रही है वो उनकी छह फीट साढ़े चार इंच लंबा कद और तेज गति से गेंद फेंकने की उनकी क्षमता है। ऐसा माना जा रहा है कि गुरनूर को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा के गेंदबाजी एक्शन के लिए खास तौर पर बुलाया गया है, जिन्होंने हाल में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ टैस्ट मैच में पांच विकेट चटकाए थे। राणा ने उछाल हासिल किया और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टैस्ट में उन्होंने सीधी लाइन में गेंदबाजी की थी।

लिविंगस्टोन की पारी से इंग्लैंड ने आस्ट्रेलिया को शिकस्त दी

टी20

कार्डिफ, 14 सितंबर (एपी)।

लियाम लिविंगस्टोन और जैकब बेथेल ने 47 गेंदों पर 90 रन की साझेदारी करके इंग्लैंड को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आस्ट्रेलिया पर तीन विकेट से जीत दिलाई। इंग्लैंड ने इस तरह से तीन मैच की शृंखला 1-1 से बराबर की। तीसरा और निर्णायक मैच रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा।

आस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 193 रन बनाए। चुनौती पूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसका स्कोर एक समय तीन विकेट पर 79 रन था। बेथेल के 24 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट होने से इंग्लैंड की स्थिति फिर से नाजुक हो गई लेकिन लिविंगस्टोन ने 47 गेंदों में पांच छक्कों और छह चौकों की मदद से 87 रन की शानदार पारी खेलकर उसे जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। जब स्कोर बराबर था तब लिविंगस्टोन आउट हो गए।

रशीद ने विजयी रन बना कर इंग्लैंड का स्कोर 19 ओवर में सात विकेट पर 194 रन पर पहुंचाया। इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने भी 39 रन का योगदान दिया। आस्ट्रेलिया की तरफ से कामचलाउ स्पिनर मैथ्यू शार्ट ने अपने करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 22 रन देकर पांच विकेट लिए।

अजेय जडेजा ने कहा, शृंखला में आक्रामक रुख अपनाएंगे | क्रिकेट | भारत दो टैस्ट और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा

विपक्षी टीम को दबदबा बनाने का मौका नहीं देंगे गंभीर

कोलकाता, 14 सितंबर (भाषा)।

जडेजा से जब गौतम गंभीर की मौजूदगी में टीम के दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'यह बिल्कुल साफ है, उनका दृष्टिकोण आक्रामक है। एक बात निश्चित है कि उनकी मौजूदगी में कोई नीरस पल नहीं आएगा, वह हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे।'

भारत के लिए 196 एकदिवसीय में 37 .47 की औसत से 5359 रन बनाने वाले 53 साल के इस पूर्व दिग्गज ने कहा, गंभीर ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जो शांतचित रहकर चीजों को चलने दे।

उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि वह किसी की सलाह नहीं लेंगे और अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे क्योंकि जिस चीज से आपको पहचान मिली है उस पर भरोसा कर के उस पर कायम रहना चाहिए।

भारत के पूर्व बल्लेबाज अजय जडेजा का मानना है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर बांग्लादेश के खिलाफ आगामी दो मैचों की टैस्ट शृंखला में आक्रामक रुख बनाए रखेंगे और विपक्षी टीम को दबदबा बनाने का मौका नहीं देंगे।

भारत दो टैस्ट मैचों की शृंखला और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की शृंखला के लिए बांग्लादेश की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश के इस दौरे का आगाज 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू होने वाले टैस्ट मैच से होगा। जडेजा से जब गौतम गंभीर की मौजूदगी में टीम के दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'यह बिल्कुल साफ है, उनका दृष्टिकोण आक्रामक है। एक बात निश्चित है कि उनकी मौजूदगी में कोई नीरस पल नहीं आएगा, वह हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे।'

भारत के लिए 196 एकदिवसीय में 37.47 की औसत से 5359 रन बनाने वाले 53 साल के इस पूर्व दिग्गज ने कहा, 'गंभीर ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जो शांतचित रहकर चीजों को चलने दे। वह कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो सबको आश्चर्यचकित करेगा। जैसे हमने सूर्यकुमार यादव को अचानक कप्तान बनते देखा था। मैं उस रोमांच का इंतजार कर रहा हूं जो हम देखने जा रहे हैं।'

जडेजा से बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के वार्षिक पुरस्कार समारोह के मौके पर जब यह पूछा गया कि वह इस टैस्ट शृंखला के लिए गंभीर को क्या सलाह देना चाहेंगे तो उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि वह सुझाव नहीं मांगेंगे। वह वहां इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद को साबित किया है और उनका एक नजरिया है।' उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि वह किसी की सलाह नहीं लेंगे और अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे क्योंकि जिस चीज से आपको पहचान मिली है उस पर भरोसा कर के उस पर कायम रहना चाहिए। वह हमेशा बेहतर हो सकते हैं।' जडेजा ने भारत में 2023 एकदिवसीय विश्व कप के दौरान अफगानिस्तान टीम के मेंटर के रूप में काम किया था।

बांग्लादेश पाकिस्तान में ऐतिहासिक टैस्ट शृंखला जीत कर आ रहा है लेकिन जडेजा ने कहा कि भारत कहीं बेहतर टीम है। उन्होंने कहा, 'कोई भी टीम जब जीतकर आती है वह हमेशा सोचती है कि वह जीत सकती है लेकिन इस समय पाकिस्तान और भारत क्रिकेट टीम में काफी अंतर है। भारत कहीं बेहतर टीम है।' उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश के नजरिये से देखे तो वे सोचेंगे कि अगर पाकिस्तान को हराया है तो भारत को भी शिकस्त दे सकते है लेकिन भारत की टीम पाकिस्तान से काफी बेहतर है।'

स्थानीय लीग के जरिए अंदर घुसना चाहते हैं भ्रष्टाचारी : मार्शल

दुबई, 14 सितंबर (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एसीयू) के निवर्तमान प्रमुख एलेक्स मार्शल ने कहा कि शीर्ष स्तर की क्रिकेट सुरक्षित और साफ सुथरी है लेकिन संभावित भ्रष्टाचारियों की नजर स्थानीय क्रिकेट संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही टी20 लीग के जरिए इस खेल में घुसपैठ करने पर है।

ब्रिटेन के पूर्व पुलिस अधिकारी ने यह नहीं बताया कि क्या वह किसी विशेष स्थानीय लीग या देश के संदर्भ में यह बात कह रहे थे। मार्शल ने एक क्रिकेट वेबसाइट के हवाले से कहा, 'मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप जो क्रिकेट देख रहे हो वह सुरक्षित और साफ सुथरी है।' उन्होंने कहा, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ यह भी कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी इस खेल में अंदर घुसने का रास्ता तलाश रहे हैं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 41, अंक 302

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,

बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com